लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४१, १९६०/१८८२ (शक)

२१ मार्च से २ अप्रैल १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४१ में अंक २१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

पृष्ठ

विषय सूची

[द्वितीय माला, खंड ४१—अंक ३१ से ४०—२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)]

अंक ३१—सोमवार, २१ मार्च, १९६०/१ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५९ से ९६१, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७४, ९७७ से ९८१ और ९८३ . . . . ३२७९–३३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० ३३०३-०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६२, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७२, ९७३, ९७५, ९७६, ९८२ और ९८४ से ९९६ . . ३३०४–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६१ से १३०७ . . ३३१५–३५

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ३३३५

स्थगन प्रस्ताव

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल ३३३६-३७

चीन के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य . . . ३३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३३७

प्राक्कलन समिति

बहत्तरवां प्रतिवेदन ३३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लुधियाना में कपड़े के कारखानों का बन्द होना . . . ३३३९

अनुदानों की मांगें –

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ३३३९–८६

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३३८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ३३९१–९६

पृष्ठ

अंक ३२—मंगलवार, २२ मार्च, १९६०/२ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९९, १००१, १००२, १००४ से १००६, १००८ से १०१२, १०१४ और १०१५ . . . ३३९७–३४४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८, १०००, १००३, १००७, १०१३ और १०१६ से १०३७ . . ३४२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३५७ . . ३४३५–३४५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४५७-५८

प्राक्कलन समिति—

अठहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

शाहदरा में छोटे पैमाने के अलुमीनियम कारखानों का बन्द होना . ३४५९

अनुदानों की मांगें ३४५९–३५२५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ३४५९–३५०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३५०६–२५

दैनिक संक्षेपिका . . . ३५२६–३०

अंक ३३—बुधवार, २३ मार्च, १९६०/३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४२, १०४४ से १०४७, १०५० से १०५२ और १०५४ . . . . . ३५३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४३, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५५ से १०६८ . . . . . ३५५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५८ से १४०६ और १४०८ से १४११ ३५६२–८९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

दक्षिण अफ्रीका की घटनायें ३५८९–९१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५९१–९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३५९२

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें--

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . ३५९२-३६५०

दैनिक संक्षेपिका . ३६५१-५५

अंक ३४—गुरुवार, २४ मार्च, १९६०/४ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ से १०७३ और १०७५ से १०८० ३६५७-७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४, १०८१ से १०९० और १०९२ से १०९५ ३६७८-८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१२ से १४५० ३६८५-३७०१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बनारस के निकट विमान दुर्घटना . . ३७०१-०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७०२

प्राक्कलन समिति—

सततरवां प्रतिवेदन ३७०२

अनुदानों की मांगें ३७०३-५९

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय ३७०३-१०

गृह कार्य मन्त्रालय ३७११-५९

दैनिक संक्षेपिका ३७६०-६३

अंक ३५—शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०/५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १०९८, ११००, १११६, १११९, ११०१, ११०३ से ११०७, १११४, १११५ से १११८ . ३७६५-९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११०२ और ११०८ से १११३ . . ३७९१-९५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५१ से १४८५ . . . . ३७९५-३८१०

दक्षिण अफ्रीका के लगां नामक स्थान पर गोलीकाण्ड के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८१०-१३

पृष्ठ

सभा का कार्य ३८१३

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मन्त्रालय . . . . . ३८१३—४१

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३८४१–४२

अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प ३८४२—४६

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प ३८४६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८६८—७२

अंक ३६–सोमवार, २८ मार्च, १९६०/८ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२३, ११२९, ११२६, ११३२, ११३४, ११३७ से ११४०, ११४२, ११४३, ११४५ और ११४६ . . ३८७३—९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३१, ११३३ ११३५, ११३६, ११४१ और ११४४ . . . ३८९९—३९०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८६ से १५४१ . . ३९०४—२८

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में ३९२९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९२९–३०

प्राक्कलन समिति—

उनासीवां प्रतिवेदन . . ३९३०

लोक लेखा समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन ३९३०

विधि व्यवसायी विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ३९३१

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति . . . ३९३१

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—पुरःस्थापित ३९३१–३२

धार्मिक न्यास विधेयक—पुरःस्थापित ३९३२

	पृष्ठ
दक्षिण अफ्रीका में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में संकल्प .	३९३२—४०
अनुदानों की मांगें . . .	३९४१—८५
वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय	
दैनिक संक्षेपिका	३९८७—९१
अंक ३७—बुधवार, ३० मार्च, १९६०/१० चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ से ११४९, ११५१ से ११५५, ११५७ से ११६० और ११६२ से ११६४	३९९३—४०१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५६, ११६१ और ११६५ से ११८३	४०१८—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४२ से १५८४ और १५८६ से १६०४	४०२६—४९
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में . . .	४०४९—५०
मा पटल पर रखे गये पत्र .	४०५०
गैर-सरकारी संस्थाओं के विनियमों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकसठवां प्रतिवेदन . .	४०५०
प्राक्कलन समिति—	
इक्यासीवां प्रतिवेदन .	४०५०
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	४०५१
अनुदानों की मांगें—	
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . . .	४०५१—४१०६
भारतीय लोक प्रशासन संस्था के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	४१०६—०७
दैनिक संक्षेपिका	४११२—१६
अंक ३८—गुरुवार, ३१ मार्च, १९६०/११ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८४ से ११८६, ११८८ से ११९१, ११९३ से ११९७ और १२०४ . . .	४११७—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८७, ११९२, ११९८ से १२०३ और १२०५ से १२१५	४१४३—५३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६४९ और १६५१ .	४१५३—७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	४१७४
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	४१७५
लोक लेखा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन .	४१७५
प्राक्कलन समिति—	
चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	४१७५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
उन्नीसवां प्रतिवेदन	४१७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
बोकारो में इस्पात का कारखाना .	४१७६
अनुदानों की मांगें—	
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . .	४१७६—८८
नियम का निलम्बन .	४१८९–९०
बम्बई पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४१९१—४२०५
दैनिक संक्षेपिका	४२०६—११
अंक ३९—शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०/१२ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२५, १२२७, १२२९ और १२३१ से १२३४	४२१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२८ और १२३५ से १२४२	४२३७—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५२ से १६८५ .	४२४१—५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	४२६०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी लेने से रोकना	४२६०
तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर की शुद्धि .	४२६१
बम्बई पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	४२६१—८३

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन ४२८३

न्यायालय अवमान विधेयक—श्री बि० दास गुप्त का—पुरःस्थापित . ४२८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक .

(धारा ७३ का संशोधन)—वापस लिया गया—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ४२८४—९२

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ४०९२—४३००

दैनिक संक्षेपिका . ४३०१—०४

अंक ४०—शनिवार, २ अप्रैल, १९६०/१३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४४, १२४६, १२४७, १२४९ से १२५१, १२५४ से १२५६, १२५८, १२६० और १२६१ . ४३०५—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४८, १२५२, १२५३, १२५७, १२५९ और १२६२ से १२६६ . . . ४३२७—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७१० और १७१२ से १७१६ ४३३२—४७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

सहारा में फ्रांस द्वारा दूसरा आणविक परीक्षण ४३४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४३४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मालगाड़ी से मोटर टायरों का लूटा जाना . ४३४७—४९

सभा का कार्य . . ४३४९

अनुदानों की मांगें—

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय . ४३५०—४४०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४०३—०५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, २८ मार्च, १९६०

८ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब के लिये अमरीकन मक्का के बीज

†*११२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से १९५९ के बीच बीज के लिये पंजाब सरकार को कुल कितनी अमरीकन मक्का दी गई है ;

(ख) काश्तकारों के बीच वितरण की दर और शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश शर्तें पूरी नहीं की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) टी० सी० एम० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका से निम्नलिखित मात्रा में जितनी मक्का प्राप्त हुई वह बीज के लिये पंजाब सरकार को दे दी गई :—

सितम्बर, १९५६	डबल क्रास बीज तथा फाउन्डेशन बीज	३५,५६०	पौंड
जून, १९५७	डबल क्रास बीज	३९,०८०	पौंड
जुलाई, १९५७	तदेव	३३,६८८	पौंड
	फाउन्डेशन बीज	७,११७	पौंड
जुलाई, १९५९	तदेव	८४६	पौंड
	कुल	१,१९,५०६	पौंड

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सितम्बर, १९५६ और जून, १९५७ में प्राप्त डबल क्रास बीज विस्तार कर्मचारियों को उनकी मांगों के अनुसार अमेरिकी प्रविधिकों की सलाह के अनुसार मुफ्त दिया गया था ताकि पंजाब में किसानों के बीच इन को लोक प्रिय बनाने के लिये उनका किसानों के खेतों पर प्रदर्शन किया जा सके ।

सरकारी फार्मों में पैदा किया गया बीज १० आना प्रति पौंड के हिसाब से बेचा गया, क्योंकि विस्तार कर्मचारियों ने बेचने के लिये प्रसंका बीज की और मांग की थी, अतः जुलाई, १९५७ में प्राप्त डबल क्रास बीज काश्तकारों को उसी दर पर उपलब्ध कर दिया गया था जिस पर स्थानीय रूप से पैदा किया गया बीज बेचा गया था । किन्तु बाद में यह देखा गया कि अमेरिका से यहां तक आने में बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है और इसलिये इसे बेचने से रोक लिया गया ।

फाउन्डेशन बीज सरकारी फार्मों में डबल क्रास बीज पैदा करने के काम में लाया गया ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण से यह पता चलता है कि प्रदर्शन करने के लिये बीज मुफ्त दिया गया था । कितने काश्तकारों को बीज दिया गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हजारों को बीज दिया गया है । यदि माननीय सदस्य ब्यौरा जानना चाहते हों, तो मैं बाद को दे दूंगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण से यह भी पता चलता है कि बीज दुबारा उसी दर पर बेचा गया जिस पर स्थानीय रूप से पैदा किया गया बीज बेचा गया था । क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अधिकांश बीज स्थानीय व्यापारिकों से ४० रुपये मन के हिसाब से खरीदा था और ६० रुपये मन के हिसाब से बेचा, अर्थात् २० रु० प्रति मन के लाभ से ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह काश्तकारों को दस आना प्रति पौंड के हिसाब से बेचा गया था ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : विवरण में यह बताया गया है "कि बाद में यह पाया गया कि अमेरिका से यहां तक आने में बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई, अतः इसको बेचने से रोक लिया गया ।" किसानों को दिये गये कितने बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हुई और साथ ही यह कब पता चला कि प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है और क्या किसानों से लिया गया मूल्य उन्हें वापस लौटा दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया फिर से अपना प्रश्न दोहरायें ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : प्रश्न यह है । विवरण से ज्ञात होता है कि अमेरिका से आने वाले बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई । जो बीज किसानों को दिया गया था और जिसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई थी, उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों से लिया गया मूल्य उन्हें वापिस कर दिया गया है अथवा नहीं ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : पहले हमने अमेरिका से बीज मंगाया था और फिर स्थानीय उत्पादकों ने उसे स्वयं पैदा किया था । १९५७–५८ में पंजाब में केवल पांच आदमियों ने उसे

---

†मूल अंग्रेजी में

पैदा किया और १९५८-५९ में यह तीन लोगों के फार्मों में पैदा किया गया। वही बीज खरीदा गया था तथा किसानों को बेचा गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कि किसानों को वह बीज बेच दिया गया जिससे कुछ पैदा नहीं हो सकता था और जब यह पता चला कि उनकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है अथवा वे बेकार हो गये हैं, तो क्या किसानों को उसका मूल्य लौटा दिया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि कुछ विशिष्ट मामलों में ऐसा हुआ है और यदि वे मामले हमारी सूचना में लाये जाते हैं, तो निस्संदेह हम उनकी जांच करेंगे।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : यह विवरण में दिया हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न काल के दौरान में कृपया अपने स्थान पर ही बैठें। कुछ सदस्यों को छोड़ कर मैं सभी सदस्यों को पहचानता हूं। और जैसे ही वे अपने स्थान पर खड़े होते हैं, मैं पहचान जाता हूं कि वे कौन हैं। अतः कुछ ही मामलों में माननीय सदस्य मेरी अनुमति लेकर आगे के किसी स्थान में बैठ सकेंगे, अन्यथा वे अपने ही स्थान पर बैठने की कृपा करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान पंजाब के उर्दू के समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि जनरल मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति को काफी बड़ी मात्रा में बीज दिया गया था और उसने उसे पंजाब सरकार को ४० रुपये की दर से बेचा था और वह काश्तकार को वस्तुतः ६० रुपये की दर से बेचा गया था ? क्या यह सच है कि जनरल मोहन सिंह को ही बीज दिया गया था और काश्तकार के लिये वह ६० रुपये की दर से बेचा गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इसकी सूचना हमें नहीं दी गई। इसके लिये मुख्यतः पंजाब सरकार उत्तरदायी है। किन्तु क्योंकि बीज के लिये इस प्रसंका मक्के की बड़ी आवश्यकता है अतः स्वभावतः इस सम्बन्ध में कुछ हुआ होगा। यदि माननीय सदस्य हमको इस बारे में लिखें, तो हम पंजाब सरकार को कार्यवाही के लिये लिखेंगे।

†**श्री त्यागी** : बीज का सामान्यतः क्या परिणाम निकला ? क्या यह भूमि के माफिक पड़ा तथा यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सावधानी बरती कि भारत में पैदा किये गये बीज पर किसी अन्य प्रकार के बीज का प्रभाव न पड़ सके ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस बीज के अधिकांश मामलों में बड़े अच्छे परिणाम निकले हैं। ऐसे मामलों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हमारी भूमि में बीज बेकार न हो जाये।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा कोई उल्लेख किया है कि उनके यहां से मंगाया गया बीज किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में ही वितरित किया जाये अथवा यह बात भारत सरकार के ऊपर ही छोड़ दी गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अमेरिका के कुछ विशेषज्ञ यहां काम कर रहे हैं और उनके सहयोग से हमारे विशेषज्ञ कुछ स्थान चुनते हैं। उदाहरणतः हैदराबाद पहला स्थान है, पंजाब दूसरा है, उत्तर प्रदेश का तराई फार्म तीसरा स्थान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : विवरण में बताया गया है "किन्तु बाद में यह देखा गया कि इस बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है।" सरकार को यह कब पता चला कि इसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है तथा कितना ऐसा बीज, जिसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई थी, किसानों को दिया जा चुका था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : बीज आरम्भ में ठीक होगा। किन्तु कुछ समय बाद इसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है और उसे यहां पुनः पैदा करना होता है तथा उसे बदलना होता है। जब कभी इसकी सूचना हमें दी जायेगी, हम उसको बदल देंगे।

†**श्री तंगामणि** : १,१९,००० पौंड बीज में से कितना बीज किसानों को किस अभिकरण द्वारा विशेष रूप से १९५७ के बाद दिया गया ? १९५६–५७ में किस अभिकरण के जरिये बीज दिया गया, इसका तो उल्लेख है। १९५७ के बाद किस अभिकरण के जरिये दिया गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह पंजाब सरकार के जरिये दिया जाता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इसका मतलब यह है कि मंत्री द्वारा बताये गये उत्तर में तथा विवरण में बताई गई बात में परस्पर विरोध है। विवरण में बताया गया है कि अमेरिका से यहां तक आने में बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई, अर्थात् जब यह अमेरिका से जहाजों द्वारा भेजा जा रहा था तभी उसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई थी उसमें से कितना किसानों को वितरित किया गया था।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यदि कोई विरोध है, तो मैं बाद में उसे ठीक कर दूंगा। किन्तु इसना निश्चित है कि एक काश्तकार को जो हम १० पौंड बीज देते हैं, उसमें से कुछ भाग बेकार हो सकता है और ७० प्रतिशत ठीक होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल विवरण का उल्लेख कर रहेहैं जिसमें यह बताया गया है कि वहां से यहां तक आने में इसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सारे बीज की नहीं, अपितु कुछ की ही।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो समझाना था।

†**श्री सुगन्धि** : बोने के लिये देने के पहले क्या बीज का परीक्षण किया गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी हां, उनका सामान्य रूप से परीक्षण किया जाता है। किन्तु प्रत्येक बीज का परीक्षण संभव नहीं है।

†**श्री सुगन्धि** : और बाद में क्या वे नहीं उगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रत्येक माल में से हम एक नमूना ले लेते हैं। कभी-कभी प्रत्येक बोरी का परीक्षण किया जाता है। किन्तु प्रत्येक बीज का परीक्षण नहीं किया जा सकता। एक बार परीक्षण के बाद हम पुनः उसका वितरण नहीं कर सकते।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि काश्तकारों को अमरीकी मक्का का बीज दिया गया। एक काश्तकार को अधिक से अधिक कुल कितना बीज दिया गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है। मुझे पंजाब सरकार से पूछना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगम्य क्षेत्र समिति

+

*११२१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगम्य क्षेत्र समिति ने इस बीच अपना काम समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) भाग १—जनरल और भाग २ बम्बई राज्य के रत्नागिरि ज़िले के बारे में प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् की लायब्रेरी में रख दी गई हैं। दूसरे क्षेत्रों के प्रतिवेदनों को भी संसद् की लायब्रेरी में रखने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) भाग १ जनरल प्रतिवेदन, जो कि इन क्षेत्रों की आम समस्याओं से सम्बन्धित है, की प्रतियां को राज्य सरकारों और प्रशासनों को जो सिफारिशों के साथ सम्बन्धित हैं तथा उन केन्द्रीय मन्त्रालयों को भी जिनका सम्बन्ध सिफारिशों से है आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं। रत्नागिरि जिले के सम्बन्ध में प्रतिवेदन बम्बई सरकार को भेजा गया है । इस प्रतिवेदन की उन सिफारिशों को जिन पर केन्द्रीय सरकार ने कार्यवाही करनी है, सम्बन्धित मन्त्रालयों को भेजा गया है। दूसरे क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

श्री भक्त दर्शन: क्या राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे जल्दी से जल्दी इस बारे में कोई राय दें, यानी कोई समय क्या निर्धारित किया गया है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जो सिफारिशें समिति ने की हैं उन को हम ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया है और इस के बारे में जल्दी से जल्दी अमल करने के लिये भी प्रार्थना की है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चूंकि सारे देश के लिये तीसरी योजना बन रही है और इस कमेटी की सिफारिशें इन इलाकों के लिये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो क्या यह कोशिश की जायेगी कि तीसरी योजना में उन को शामिल कर लिया जाय ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : तीसरी योजना में इस के वास्ते ज्यादा पैसा खर्च करने के लिये भी हम ने प्रार्थना की है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या नेफा के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन संकलित कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या इस दल ने शिलांग में नेफा का प्रधान कार्यलय अथवा नेफा के क्षेत्र का निरीक्षण किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : निदेश पदों में नेफा भी सम्मिलित किया गया है । उन्होंने नेफा को खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिये वहां की जाने वाली कार्यवाही के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दी है ।

†**श्री बसुमतारी** : माननीय मंत्री ने बताया है कि उस दल ने नेफा के कुछ दलों का निरीक्षण किया है । किन-किन क्षेत्रों तथा जिलों का निरीक्षण किया गया है, क्योंकि वहां कई जिले हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मुझे पूरी जानकारी नहीं है किन्तु मैं इतना जानता हूं कि उन्होंने नेफा क्षेत्र का निरीक्षण किया है । यदि माननीय सदस्य को इसमें दिलचस्पी है, तो मैं पूरी जानकारी देने को तैयार हूं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछली बार माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जब इस कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी तब उन पार्लियामेंट के मेम्बरों को, जो इन इलाकों के सदस्य हैं, उस पर विचार करने का मौका दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि वह मौका कब दिया जायेगा ।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अभी उस की दो रिपोर्टें हाउस की टेबल पर रखी गई हैं । अभी एक और आने वाली है । उसको भी हम टेबल पर रखेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि इसके बारे में हम क्या इन्तजाम करें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से यह पता चलता है कि रत्नागिरि के बारे में केवल एक रिपोर्ट संसद्-पुस्तकालय में रखी गई है । कितनी रिपोर्टें और तैयार हैं और वे कब पुस्तकालय में रखी जायेंगी ? इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण देश में काम कब तक पूरा होगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : समिति को जो काम सौंपा गया था वह उसने पूरा कर लिया है । सभा-पटल पर दो रिपोर्टें रखी जा चुकी हैं । कुछ और भी रिपोर्टें हैं जिनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है । तैयार होते ही उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

बर्ड एण्ड कम्पनी

\+

†*११२२. { **श्री विद्या चरण शुक्ल** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री २५ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा के पार्सल के ठेकेदार, बर्ड एण्ड कम्पनी के खिलाफ यह जो शिकायत मिली थी कि उसने पश्चिम बंगाल के प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट का उल्लंघन किया है, क्या इस बीच उसकी जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री(श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने जो यह कहा था कि पश्चिम बंगाल के प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट उन पर सीधा लागू नहीं होता, उस पर कानूनी राय ली गई थी और उसकी पुष्टि हो गई है । इन शर्तों से, जिनके अनुसार उन्होंने काम प्रारम्भ किया, उत्पन्न होने वाले दायित्व से क्या उनका कोई अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है और यदि आगे कोई कार्यवाही करनी है तो वह क्या की जानी चाहिये, इस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : कानूनी राय क्या ली गई थी ? क्या इस सम्बन्ध में श्रम मन्त्रालय से भी परामर्श किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हां, श्रीमान् । श्रम मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय दोनों से परामर्श किया गया था ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : यदि यह सच है कि मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी प्रथम न्यायाधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित नहीं कर रहा है तो क्या यह आपके अधिकार में नहीं है कि आप उस ठेके को खत्म करके किसी और को दे दें जो प्रथम न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने को तैयार हो ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वह ठेका बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया । यह मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के साथ कुछ ही महीनों के लिये अस्थायी प्रबन्ध किया गया था । १ अगस्त, १९५९ को वह समाप्त हो गया ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि इस ठेके के अन्तर्गत मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी अपने श्रमिकों को केवल १.६५ रुपये प्रतिदिन दे रही थी जबकि प्रथम न्यायाधिकरण ने उसी काम के लिये उससे अधिक दैनिक मजूरी देने की सिफारिश की थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह विवाद की बात थी । हमने वह मामला श्रम मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय को भेजा था और उन्होंने यह बताया कि क्योंकि प्रथम विवाद में, जिसके सम्बन्ध में पंचाट दिया गया था, मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी का सम्बन्ध नहीं था, यह उन पर जबरदस्ती ठूंसा नहीं जा सकता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या इस प्रकार का काम हमेशा के लिये है और यदि हां, तो क्या रेलवे को इस काम को विभागीय रूप से प्रारम्भ करने के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : किन परिस्थितियों में मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को हावड़ा के माल गोदाम में पार्सलों का प्रबन्ध करने का काम अस्थायी रूप से दिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कुछ असाधारण परिस्थितियां थीं । पहले ठेकेदार श्री एम० सी० कुंडु का ठेका ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त हो गया था । हमने उससे कुछ और महीने तक काम जारी रखने के लिये कहा किन्तु उसने मना कर दिया । इसके पश्चात् हमें मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी से जिनको १ मई से माल सम्भालने का ठेका दिया गया, यह कहना पड़ा कि टेन्डरों पर अन्तिम निर्णय होने तक क्या कुछ महीनों के लिये वे इस काम को सम्भाल सकते हैं । वे पूर्णतः अस्थायी तौर से इस काम को करने के लिये सहमत हो गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी** : जबकि सरकार यह जानती थी कि इस तारीख को ठेका खत्म होने जा रहा है तो उन्होंने उसके समाप्त होने के पूर्व ही कोई ठेका निश्चित करने के बारे में क्यों नहीं विचार किया ताकि यह बुराई पैदा नहीं होती ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने काफी समय पूर्व कार्यवाही की । ठेका ३० अप्रैल को समाप्त होना था । हमने फरवरी में टेण्डर मांगे थे । पांच टेण्डर प्राप्त हुये । किन्तु वे टेण्डर सन्तोषजनक नहीं पाये गये क्योंकि उनमें उल्लिखित मूल्य बहुत ऊंचे थे । अत : हमने फिर टेण्डर मांगना चाहा जो कि हमने किया और इससे कुछ महीनों की देरी हुई ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या ठेके के समय सरकार ठेकेदारों को यह बताती है कि कर्मचारियों को कितना देना है और यदि हां, तो क्या इस मामले में यह बात स्पष्ट की गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : समझौते में इस विषय से सम्बन्धित केवल यही खण्ड है कि ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये रूप में उचित मजूरी देनी चाहिये । जब कभी उचित मजूरी के बारे में झगड़ा पैदा होता है, तो यह काम स्वयं श्रमिकों का ही है कि वे इस मामले के बारे में सम्बन्धित राज्य के श्रम विभाग को लिखें । रेलवे प्रशासन हमेशा उनको सहयोग देता है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या इस काम के लिये अस्थायी ठेकेदार के रूप में मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को नियुक्त करते समय अन्य ठेकेदारों तथा कम्पनियों से परामर्श किया गया था और यदि हां, किस की दरें सबसे कम व लाभदायक पाई गईं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पहले पहल केवल एक महीने के लिये प्रबन्ध किया गया था । क्योंकि मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को माल सम्भालने के काम का ठेका दिया जा चुका है, अत: हमने यह सोचा कि यह अधिक अच्छा रहेगा यदि यह भी उसी ठेकेदार को दिया जाये ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : शुरू के एक महीने के ठेके की समाप्ति पर यह कितने और महीने के लिये बढ़ाया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : दो महीनों के लिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न संख्या ११२३ के साथ तारांकित प्रश्न संख्या ११२९ भी ले लिया जाये क्योंकि दोनों एक ही विषय पर हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मन्त्री दोनों का उत्तर देने को तैयार हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : जी हां, उनका एक साथ उत्तर दिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग में विशेष पुलिस संस्थापन

+

†*११२३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार के महानिदेशक के नियन्त्रण के अधीन विशेष पुलिस संस्थापन की नियुक्ति कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तांबे के तारों की चोरियों के सम्बन्ध में उसने क्या पता लगाया है; और

(ग) उपचारात्मक कार्यवाही के रूप में क्या सुझाव मंजूर किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) डी० आई० जी० के पद के एक पदाधिकारी को ३ महीने के लिये विशेष कार्य के लिये लगाया गया था ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इन चोरियों के लिये उस क्षेत्र में क्रियाशील समाज विरोधी तत्व उत्तरदायी हैं और उसमें यह सिफारिश की गई है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से उन तत्वों को रोकने वाली तथा दण्ड देने वाली कार्यवाही की जानी चाहिये । डाक तथा तार उपमहानिदेशक उस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं ।

टेलीग्राफ के तारों की चोरी

†*११२९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि हाल में उत्तर प्रदेश में जिला फर्रूखाबाद के एक गिरोह के पास से डेढ़ मन टेलीग्राफ के तार बरामद हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या तार-अधिकारियों ने इस मामले के सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी; और

(ग) आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक गिरोह के दो व्यक्तियों को, जो चोरी के लिये उत्तरदायी बताये गये थे, गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक और व्यक्ति ने अपने आपको पुलिस को सौंप दिया है । पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि एक अधिकारी कारणों की जांच करने के लिये केवल तीन महीनों से नियुक्त किया गया है । क्या यह अफसर १९५९–६० के दौरान हुई चोरियों के मामलों की जांच करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : हमने सोचा कि इस चोरी के कारणों की जांच के लिये तीन महीने की अवधि पर्याप्त होगी । इसके अतिरिक्त, हम भूमिगत तार के द्वारा और तांबे के तारों के स्थान पर तांबे से वैल्ड किये हुये तार के प्रयोग के द्वारा इन चोरियों को रोकने के लिये भी कार्रवाई कर रहे हैं । चोरी तांबे की तार के कारण होती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न संख्या ११२९ के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री के उत्तर के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी; और यदि हां, तो क्या अभी तक किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : आरम्भ में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । दूसरे ने अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया है । दूसरा व्यक्ति अभी पकड़ा नहीं गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जिस आदमी ने अपने आप को पुलिस को सौंप दिया है क्या उससे पूछताछ की गई है और क्या उसने इसके बारे में कोई बात बताई है कि यह चोरी कैसे की जाती है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मेरे पास इस मामले के तथ्य नहीं हैं । मुझ इतना मालूम है कि उसने अपने आपको सौंप दिया है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्योंकि तार की लाइनें रेलवे लाइनों के साथ साथ जाती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन लाइनों की रक्षा करना रेलवे का उत्तरदायित्व है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी, नहीं । इनमें से कुछ लाइनें रेलवे लाइनों के साथ नहीं चलतीं । इसलिये डाक तथा तार विभाग उन्हें उचित अवस्था में रखने के लिये उत्तरदायी है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : यह सामाजिक अपराध है इसको ध्यान में रखते हुए, क्या तांबे के तार की चोरी के विषय में कोई कड़ा दण्ड देने या विधि में कोई संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय मंत्री भी मेरे जैसे ही वकील हैं । मुझे विश्वास है कि वह इस बात को समझेंगें कि इस समय ऐसी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या जांच और अभियोग के मामले में डाक तथा तार महानिदेशक और गृह-कार्य मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन विशेष पुलिस फ़ोर्स का क्षेत्राधिकार समवर्ती होगा ? यदि हां, तो क्या कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होंगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी, नहीं । वे निश्चय ही समवर्ती होंगे । हम इस विषय में जो कुछ भी कार्रवाई करेंगे उसके बारे में गृह-कार्य मंत्रालय को सूचित किया जाता रहेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मन्त्री महोदय कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह हजारों रुपये माहवार का जो तार चोरी जाता है तो उसको रोकने के वास्ते कोई उपाय किया जा रहा है जिससे यह तार चोरी न जाएं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको दूसरा सहायक रखना चाहिये ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मुझे सहायता करने वाला कोई दिखाई नहीं देता । यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं कृतज्ञ हूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या चोरी की जांच करने में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास यहां एक अनुवादक होना चाहिये । माननीय मंत्रियों में से कोई अनुवाद कर देगा ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : क्या माननीय सदस्य प्रश्न दोहराने की कृपा करेंगे ?

†**सेठ अचल सिंह** : हमें सूचित किया गया है कि हजारों रुपये की चोरी हो रही है । उचित उपायों के द्वारा इन चोरियों को पकड़ने के लिये किस प्रकार का प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि चोरी हुए तार का फिर प्रयोग न किया जा सके ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : इसी कारण तो हमारी सहायता करने के लिए डी आई जी पुलिस हमारे पास है । अब चोरी अधिकतर विशेष रूप से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में होती है । इस चोरी के लिये जो लोग उत्तरदायी होते हैं हम उन की निगरानी रखते हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या विभाग ने यह बात मालूम कर ली है कि इस तार को हमेशा खरीदने वाले लोग विभाग को यह माल बेचते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जहां तक मुझे विदित है, वे विभाग को नहीं देते । ऐसे भी लोग हैं जिनका पता लग गया है और जिन के कब्जे में चोरी का माल है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : मैं यह पूछ रहा हूं कि जो लोग माल लेते हैं क्या वे लोग विभाग को माल देते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जहां तक मुझे मालूम है, माल खरीदने वाले विभाग को माल नहीं देते ।

हरिनघाटा की पश्चिम बंगाल नदी विज्ञान संस्था

†***११२६. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में हरिनघाटा की पश्चिम बंगाल नदी विज्ञान संस्था को कुछ अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) ५,९४,२३३ रुपये ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या संस्था का स्तर ऊंचा उठाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री हाथी** : पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिये प्रयत्न कर रही है कि यह संस्था विभिन्न समस्याओं को हल करे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वहां प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की गई है ?

†**श्री हाथी** : जी, नहीं । यह केवल अनुसंधान संस्था है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संस्था में किये जाने वाले काम की योजना प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो यह क्या है ?

†**श्री हाथी** : जी, हां। संस्था की अनेक समस्यायें हैं जिनको वे हल करना चाहती हैं। ये समस्याएं चैनलों के डिजाइनों, भूमि के इंजीनियरी सम्बन्धी तत्वों, नालों और जलाशयों का तलछट सम्बन्धी अध्ययन, नीचे की भूमि का बहाव, नदी रक्षा कार्य के लिये पत्थर का स्थान लेने वाले सस्ते पदार्थ का विकास और औज़ारों आदि के प्रयोग आदि से सम्बन्ध रखती हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : नदी आयोग द्वारा साधारणतया किये जाने वाले कार्य के साथ इस संस्था में किये जाने वाले अनुसंधान का कैसे सहयोग किया जाता है ?

†**श्री हाथी** : इस कार्य के लिये यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसी लगभग १२ अनुसंधान संस्थाएं हैं। देश में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याएं उनके रूसी प्राविधिक कर्मचारियों और उनके पास उपलब्ध अन्य सुविधाओं के अनुसार इन संस्थाओं को आवंटित कर दी जाती हैं। इस केन्द्र को ये समस्यायें सौंपी गई हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में तरह तरह के कितने इंस्टीट्यूट्स हैं और अगर नहीं हैं तो क्या दूसरे सूबों के लोगों को यहां जाकर ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिलेगा ?

श्री हाथी : मैंने जैसा कहा वह ट्रेनिंग सैंटर नहीं है बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है।

रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त-पद

\+

†*११३२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे की विभिन्न रेलवे वर्कशापों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त-पदों पर पिछले कुछ वर्षों से बड़ी संख्या में गैर-अनुसूचित आदिम जातियों के और गैर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे की नौकरियों में इस प्रकार की गलत नियुक्तियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) अब तक कितने मामलों का पता चला है और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हां, पूर्व रेलवे पर अभी तक १४ मामलों का पता चला है।

(ख) वर्तमान आदेशों के अधीन, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर भर्ती के समय वे जो कुछ भी प्रत्यक्ष साक्ष्य दे सकते हैं, उसके आधार पर नियुक्त कर लिया जाता है और तब उनके दावों का सत्यापन उन स्थानों के, जहां वे अथवा उनके परिवार साधारणतया रहते हैं, जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी तक १४ मामले पाये गये हैं जिनमें से १२ व्यक्तियों को पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है और अब २ मामलों की जांच की जा रही है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि पूर्व रेलवे से १४ मामलों का पता चला है। मैं जानना चाहता हूं कि कि सरकार ने इस की जांच की है कि इन कर्मचारियों को भर्ती के लिये कौन उत्तरदायी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए सामान्य अभिकरण है जिससे माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं। यदि कोई अभ्यर्थी गलत साक्ष्य देता है और बाद में जब तथ्य सामने आते हैं तो हम तुरन्त उसे नौकरी से निकाल देते हैं। किन्तु अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये हम जांच करते समय कुछ मात्रा तक अपनी व्यवस्था को ढीला कर लेते हैं। यदि हमें गलत घोषणा की सूचना मिलती है तो हम तुरन्त उस पर उचित कार्यवाही करते हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार पिछले दस वर्षों में नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों में से भर्ती किये गये लोगों की छानबीन करने के लिये समिति नियुक्त करेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं। सरकार यह करना नहीं चाहती।

†**श्री बसुमतारी** : क्या आसाम में उत्तर पूर्व सीमा रेलवे में ऐसे मामले हुए हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं। पूव रेलवे में भर्ती किये गये ७०० अभ्यर्थियों में से १४ लोगों ने गलत घोषणा की थी। बेकार युवकों को अपने आप को अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी होने के नाते नौकरी प्राप्त करने की आशा और प्रलोभन होता है। यह केवल रेलवे के अभ्यर्थियों की बात नहीं, अन्यत्र भी एसा होता है।

श्री दलजीत सिंह : रिहैबिलिटेशन मिनिस्टरी ने बहुत से आदमी शिड्यूल्ड कास्ट के रिट्रेंच किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनको इस मिनिस्ट्री में लेने के रास्ते में कौनसी कठिनाई आती है कि जिनकी वजह से वे नहीं लिये जा सकते ?

श्री शाहनवाज खां : आनरेबल मेम्बर का सवाल बहुत साफ नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पुनर्वास मन्त्रालय कुछ लोगों की छंटनी कर कहा है और उनमें से कुछ अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के हैं। क्या रेलवे मंत्रालय उन्हें कुछ रिक्त स्थानों पर लगाएगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह प्रत्येक मामले के गुण दोष पर निर्भर है ?

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो जगहें शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये सुरक्षित हैं, अगर उनके लिये उचित योग्यता के आदमी उन जातियों में से नहीं मिलते तो अन्य जातियों के लोगों को उन जगहों के लिये लेने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं आते, तो उन्हें खपाने में क्या कठिनाई है ? यह एक पुराना प्रश्न है। माननीय मंत्री यदि चाहते हैं तो उत्तर दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : स्थिति इस सभा को भली भांति विदित है और कई अवसरों पर इसकी चर्चा की जा चुकी है । रिक्त स्थान रक्षित होते हैं और यदि वे एक वर्ष के दौरान भरे नहीं जा सकते, तो उन्हें अगले वर्ष में ले लिया जाता है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : सम्बद्ध कार्य का क्या होता है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : कुछ नहीं होता ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : कितने लोगों ने गलत घोषणा की और सरकारी नौकरी प्राप्त की और वे किन जातियों से सम्बन्ध रखते थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बता चुके हैं, १४ ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़**: : उनका किन जातियों से सम्बन्ध था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे उनके गोत्र आदि मालूम नहीं हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़**: : क्या उनका सम्बन्ध उच्च जातियों से था या मध्यम जातियों से ? उनका किन जातियों से सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य किसी उच्च जाति को मान्यता नहीं देते । वह चाहते क्या हैं ?

†**श्री विभूति मिश्र** : अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उम्मीदवार न मिलने की हालत म क्या सरकार इन रिक्त स्थानों को दूसरे लोगों द्वारा भरना उचित समझती है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : साधारणतया हमें गैर प्रविधिक श्रेणियों में कोई कठिनाई नहीं होती । प्रविधिक श्रेणियों में कुछ कमी अवश्य रहती है । जब तक अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी नहीं मिलते तब तक हम उन स्थानों पर दूसरी जातियों के लोगों को लगा लेते हैं, अथवा उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : अभी माननीय उपमंत्री ने कहा कि रेलवे को प्रविधिक रिक्त स्थानों को भरने के लिये अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी लेने में कठिनाई होती है । रेलवे मन्त्रालय ने इन लोगों की भरती करने और उनको नौकरी में रखते हुए ट्रेनिंग देने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैंने अभी कहा कि हमने पहले ही कुछ कार्रवाई की है और ऐसे ही राज्य सरकारों ने कदम उठाये हैं । उनके अपने पोलीटैक्निक आदि हैं जहां वे उनको प्रविधिक प्रशिक्षण दे सकते हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मन्त्री ने कहा कि ७०० व्यक्ति नियुक्त किये जा चुके हैं । क्या इन सब लोगों की छानबीन की जा चुकी है और यदि हां, तो किस अभिकरण के द्वारा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की भरती के लिये, हम स्कूलों और कालेजों के प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हैं । यदि प्रमान पत्र में किसी को अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहा गया है तो हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं । हम विधान सभा और

---

†भूल अंग्रेजी में

संसद् के सदस्यों, गज़टिड अफसरों और एस० डी० ओ० द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम इन लोगों की भरती करते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र में कोई जाति नहीं दी जाती और इसलिये जब मंत्री यह कहते हैं कि यह प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक वक्तव्य नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७

†*११३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ का कितने मील का टुकड़ा अब भी ऊपर से काला[1] नहीं किया गया है और मोटरों के चलने लायक नहीं हैं ; और

(ख) इस काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १५०३ मील में से केवल १९५ मील के ऊपर से काला[1] नहीं किया गया है। तथापि सड़क का यह सारा भाग मोटर चलने योग्य है, किन्तु अभी कुछ पुल पूरे करने हैं।

(ख) सभा पटल पर विवरण रखा जाता है।

विवरण

१. मध्य प्रदेश (६० मील)

रीवा और जबलपुर के बीच लगभग ६० मील सड़क को छोड़ कर जिसकी वाटर बाउण्ड मैकेडम सतह है, सारी सड़क को ऊपर से काला किया गया है। सड़क पर मोटरें चल सकती हैं। तीसरी पंच वर्षीय योजना में वाटर बाउण्ड मैकेडम सतह को ऊपर से काला करने का विचार है।

२. बम्बई (६५ मील)

हिंगनघाट से बम्बई-आंध्र प्रदेश सीमा तक का भाग हाल में बनाई गई वाटर बाउण्ड मैकेडम सड़क है और इस पर आरपार कुछ नालियां और तीन पुल बनाने की आवश्यकता है। ये कार्य विभिन्न स्तर पर चल रहे हैं।

३. आन्ध्र प्रदेश (७० मील)

महबूबनगर और रंगपुर (लगभग ४० मील) के बीच की टुकड़ी वाटर बाउण्ड मैकेडम सतह है। कई छोटे फाटक हैं जिन पर पुल नहीं है, और जिनके प्राक्कलन विचाराधीन हैं।

रंगपुर और कुर्नूल के बीच एक नया टुकड़ा (२९ मील लम्बा) और कृष्ण तथा तुंगभद्रा के ऊपर दो पुल बनाये जा चुके हैं। हिंदरी के ऊपर ४,९०,३०० रुपये की लागत का प्राक्कलन हाल में ही मंजूर किया गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, २५५ मील सड़क ऐसी है जिसे अभी तक ऊपर से काला नहीं किया गया है ? इसे ऊपर से काला करने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मुझे आशा है दो वर्षों में इसे ऊपर से काला कर दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Black-topped.

†**श्री रघुनाथ सिंह** : विवरण से प्रतीत होता है कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों पर दो पुल बनाये जा रहे हैं। उन पर कितनी देर लगेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : कितना समय लगेगा यह कहना असम्भव है, परन्तु मुझे विश्वास है कि जितनी शीघ्र सम्भव होगा यह कार्य पूर्ण किया जाएगा।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि ११ या १४ मील का टुकड़ा छो दिया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि शेष सारी सड़क अच्छी होने के बावजूद, राष्ट्रीय राजपथ मोटरें के चलने लायक नहीं रहा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं इस की जांच करूंगा।

†**श्री तंगामणि** : इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजपथ पर, क्या मद्रास राज्य के मदुरा जिले में कोई 'डाईवर्जन' बनाने का विचार है और यदि इस कुछ विलम्ब है तो उसका क्या कारण है ?

†**डा ० प० सुब्बरायन** : जब हम देखते हैं कि सड़क किसी नगर के उत्पन्न घनी आबादी वाले भाग में से गुजरती है तो 'डाइवर्जन्स' की व्यवस्था की जाती है और निस्सदेह राज्य सरकार के सब सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाता है।

†**श्री तंगामणि** : क्या मद्रास सरकार ने मदुरा नगर के पास 'डाइवर्जन' का सुझाव दिया है और वह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं जानता हूं कि मद्रास सरकार ने यह सुझाव दिया है और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जा सके।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : इस राष्ट्रीय राजपथ पर बहुत से पुल और पुलियां हैं जिनका निर्माण रुका पड़ा है और उसमें विलम्ब हो रहा है। क्या सरकार इनके निर्माण में शीघ्रता करने के बारे में हिदायतें दे रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हमारे अधीन २०,००० मील राष्ट्रीय राजपथ के रूप में है और हमें प्राथमिकताएं निर्धारित करनी हैं। माननीय सदस्य जिस पुल का विचार कर रहे हैं वह सम्भवतः हमारी प्राथमिकताओं में नहीं आता।

दिल्ली में आंधी

†११३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ मार्च, १९६० को राजधानी में ९८ मील प्रति घंण्टे की रफ्तार वाली आंधी आई थी जिसने परिवहन तथा संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि का अनुमान है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां। परन्तु परिवहन और संचार पर केवल आंशिक प्रभाव पड़ा है।

(ख) दिल्ली-अम्बाला और दिल्ली-बरेली मार्गों में तार लाइन टूटने के कारण ६,००० रुपये और सफदरजंग हवाई अड्डे पर असैनिक विमान और इमारतों को कुछ क्षति हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सफदरजंग के असैनिक हवाई अड्डे को किस प्रकार की क्षति हुई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : एक विमान अपने 'मूरेंग्स' से हट गया और कुछ रुकावट होने के कारण कुछ क्षति हुई ।

†**श्री फीरोज गांधी** : यहां कोई आंधी नहीं किन्तु पत्र उड़ रहे हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या आंधी इतनी तेज थी कि हमारा हवाई अड्डा भी इससे पर्याप्त रक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सका ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह काफी तेज थी और विमान दूसरे स्थानों को भेज दिये गये थे । वास्तव में ऋतु विज्ञान विभाग ने प्रातःकाल अर्थात् १० बजे आने वाली आंधी की पूर्व सूचना दे दी थी, पुनः २ बजे और ३ बजे सूचना दी और विमानों को अन्य स्थानों की ओर भेज दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आंधी हो तो क्या किया जा सकता है । अब अगला प्रश्न लेंगे । यदि वह एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भविष्य में कोई सावधानी की जायेगी कि हमारी विमान सेवाओं में इस प्रकार गड़बड़ न हो ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : हम जो सावधानी कर सकते हैं वह यह है कि आने वाली आंधी के बारे में विमानों और विमान चालकों को सावधान कर दिया जाए ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या ऋतु विज्ञान विभाग, जो इसी मन्त्रालय के अधीन है, उस दिन १० बजे से पहले पूर्व सूचना नहीं दे सका ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं । आंधी आने के बारे में प्रातःकाल ही संकेत मिला । पूर्व सूचना पहले नहीं दी जा सकती थी ।

गन्ने का मूल्य

*११३८. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष चीनी के अधिक उत्पादन पर पचास प्रतिशत उत्पादन-शुल्क कम करने के कारण मिल मालिकों को जो लाभ हुआ है उसका कितना भाग किस प्रकार गन्ना उत्पादकों को दिलाया जायेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश निकाला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल रखी जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). चीनी कारखानों को गत दो वर्षों के औसत चीनी उत्पादन से इस वर्ष जितनी अधिक चीनी तैयार हुई, उस पर ५० प्रतिशत मूल-उत्पादन-शुल्क में छूट देने से जो लाभ होगा वह मूल्य निर्धारित सूत्र के आधार पर गन्ना उत्पादकों और मिल मालिकों में बांटा जाएगा । इस उद्देश्य के लिये सूत्र में समुचित संशोधन कर दिया गया है ।

(ग) आदेश की एक प्रति सभा के पटल पर १८ मार्च, १९६० को रखी गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस सदन में पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री श्री अ० म० थामस ने कहा था कि कुछ चीनी कारखाने १रु० १० आने से भी अधिक भाव पर गन्ना खरीद रहे हैं। ऐसे चीनी के कारखाने कौन-कौन हैं। वे उत्त र प्रदेश में हैं अथवा बिहार में ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : ऐसे कारखाने उत्तर प्रदेश में हैं, उन कारखानों को नाम मेरे पास इस समय मौजूद नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ कारखानों ने अधिक गन्ना प्राप्त करने के लिये एक दो आने अधिक मूल्य दिया था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिये उन कारखानों को सरकार ने अनुमति दे दी थी। यदि हां, तो क्या अन्य कारखानों में भी गन्ने का भाव बढ़ा देने का सरकार का कोई विचार है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी नहीं। गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिये कोई मंजूरी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई चीनी कारखाना यह देखता है कि वह एक-दो आना प्रति मन अधिक भुगतान करके अधिक गन्ना प्राप्त कर सकता है और अधिक गन्ना पेर कर अधिक चीनी तैयार कर सकता है, तो उसे ऐसा करने की पूरी आजादी है और हम उसका स्वागत करेंगे।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिक उत्पादन करने में मजदूरों ने भी अंशदान किया है तो क्या सरकार उसमें मजदूरों का भी कुछ हिस्सा निश्चित करना उचित समझेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह सूत्र तो केवल गन्ना उत्पादकों और कारखानों में लागू होता है। यदि मजदूरों को भी उसमें हिस्सा मिलता है तो उनके लिये और मार्ग भी हैं। इस बारे में एक समिति जांच कर रही है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : सरकार द्वारा प्रस्तावित यह अतिरिक्त मूल्य गन्ना उत्पादकों को कब से मिलने लगेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अधिक चीनी तैयार करके कारखानों को जो लाभ होगा उसमें उनका भी हिस्सा होना अर्थात् मूल्य निर्धारक सूत्र के अनुसार उनको दो साल से अधिक के औसत उत्पादन में हिस्सा मिलेगा।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या जो चीनी कारखाने अधिक ऊंची दर पर गन्ना खरीदते हैं उनमें अन्य कारखानों की अपेक्षा अधिक चीनी तैयार की जाती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : निस्सन्देह; यदि वे नवम्बर के आरम्भ से गन्ना पेरना शुरू करते हैं तो चीनी का उत्पादन कुछ कम होता है। यदि कुछ समय बाद गन्ना पेरना आरम्भ किया जाता है तो उत्पादन अधिक होता है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि मूल्य निर्धारक सूत्र के अनुसार किसानों को गन्ने का प्रतिमन कितना मूल्य मिलेगा ? यह भाव २ रुपये होगा अथवा १ रु० १४ आने ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इसका हिसाब तो सारी चीनी बिक जाने पर ही लगाया जा सकेगा कि कारखानों को कितनी आमदनी हुई है। दक्षिण भारत के चीनी कारखानों में गन्ने का भाव प्रति मन कभी-कभी छः-सात आने आता है। उत्तर भारत के कारखानों में वह एक-दो आने मन आता है। यह कितने प्रतिशत उत्पादन होता है और गन्ना कितने समय में पेरा जाता है इस पर निर्भर करता है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि बेसिक एक्साइज़ ड्यूटी में पचास परसेंट रीबेट देने से किसानों को जो फ़ायदा होगा—किसानों को जो ज्यादा पैसे मिलेंगे, वह मिल वाले देंगे, या सरकारी कोई मशीनरी बिठा कर उसके द्वारा मिल वालों से ग्रोअर्ज़ को पैसा दिलायगी।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हम ने जो कनसेशन दिया है, उससे मिल वालों को जो पैसा मिलता है, मिल वाले उसमें से किसानों को पैसा देते हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे जो मुनाफा होगा, जो ज्यादा पैसे मिलेंगे, उस में से मिल वाले तो किसान को देना चाहेंगे नहीं, तो फिर क्या सरकार कोई ऐसी मशीनरी सैट-अप करती है, जो कि मिल वालों को मजबूर करके किसानों को पैसा दिलाए।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा: मशीनरी तो गवर्नमेंट ही है। गगर्नमेंट ने गत वर्ष कम्पलसेरी फारमूला बनाया था। गवर्नमेंट हिसाब रखती है, कैलकुलेशन करती है। कम्पलसेरिली दे विल बि आस्कड टु पे।

†**श्री सिंहासन सिंह** : सरकार को इस बारे में क्या विधिक मंजूरी प्राप्त है कि वह मिल मालिकों से कह यह सके कि वे अपने अतिरिक्त लाभ में गन्ना उत्पादकों को भी हिस्सा दें ? यदि मिल मालिक उन्हें हिस्सा नहीं देते हैं तो क्या सरकार इस बारे में कोई कानून बनायेगी जिससे मिल मालिक किसानों को उनके हिस्से का भुगतान करें ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हमने इसे अनिवार्य कर दिया है। उसका भुगतान मिल मालिकों को करना ही पड़ेगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो हमें उनसे भुगतान करने के लिये कहने का भी अधिकार प्राप्त है और चूंकि हमने इसे अनिवार्य कर दिया है, इस कारण उस राशि का भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि कारखाने और मजदूरों के बीच मुनाफे के बंटवारे के बारे में एक समिति बनाई गई है। यह समिति कौनसी है जिसके सामने मजदूर अपना अभ्यावेदन रख सकें ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह हिस्से-बांट का सूत्र प्रमुख रूप से गन्ना-उत्पादकों और मिल मालिको के लिये है। यदि यह आवश्यक है कि मजदूरों का भी हिस्सा होना चाहिये तो मजदूरों को लाभ में हिस्सा देने के और तरीके भी हैं ?

†**श्री विश्नाथ राय** : गन्ना-उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ का भुगतान करने के संबंध में हमारा जो पहले का अनुभव है, उसे ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने के काम में शीघ्रता करने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : पिछले साल तक सूत्र के अनुसार भुगतान करने के लिये मिल मालिक बाध्य नहीं थे। किन्तु पिछले साल से ही सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है और उन्हें धन का भुगतान करना पड़ता है। अन्यथा चीनी की निकासी, मूल्य निर्धारण तथा अन्य विभिन्न बातों पर हमारा उन पर नियंत्रण है और हम उनसे भुगतान करा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या स्वर्गीय मंत्री श्री रफी अहमद किदवई के समय में यह जो घोषणा की गई थी कि अतिरिक्त लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा होगा, सरकार इससे पीछे हट रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : दक्षिण भारत के अधिकांश कारखानों में तथा उत्तर के भी कुछ कारखानों में, अतिरिक्त लाभ का भुगतान नहीं किया गया था। शिमला सूत्र के अनुसार बहुत से कारखानों ने स्वेच्छा से भुगतान किया है तथा उत्तर भारत में भी कुछ कारखानों ने भुगतान किया है किन्तु चूंकि यह आवश्यक नहीं था इसलिये बहुत से कारखानों ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। किन्तु पिछले साल से उन्हें भुगतान करने के लिये विवश किया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : सरकाल ने किस कानून से जितना उत्पादन शुल्क आयेगा उसमें से आधा राजस्व छोड़ दिया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह इसी बुद्धिमत्तापूर्ण, साहसपूर्ण और सामयिक निर्णय का परिणाम है कि चीनी के उत्पादन में ३ लाख टन की वृद्धि हुई है और उससे भी अधिक हो जाने की संभावना है अन्यथा चीनी के भावों का प्रभाव अन्य मंत्रालय पर पड़ता।

†**श्री त्यागी** : हमने उत्पादन शुल्क की एक नियमित दर निश्चित की है। इसका निर्णय करना संसद का काम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किस प्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व को छोड़ देगी।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैं समझता हूं कि प्राधिकार के बिना सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। यदि माननीय सदस्य कहें, तो मैं उसे सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हूं।

†**श्री त्यागी** : किस प्राधिकार और कानून के अन्तर्गत ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री पूर्व सूचना चाहते हैं।

दवाओं की किस्म

†*११३९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय (१) सरकारी क्षेत्र और (२) गैर-सरकारी क्षेत्र में बनी दवाओं की किस्म की जांच के लिये क्या व्यवस्था है ; और

(ख) किस्म की जांच के मामले में सरकार का क्या सुधार करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में तैयार की गई दवाओं की किस्म की जांच करने की व्यवस्था का उपबन्ध भषज अधिनियम, १९४० और उसके अधीन नियमों में की गई है। राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिये निरीक्षक और विश्लेषणकर्त्ता नियुक्त किये हैं।

(ख) अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकारों को सहायता देने की दृष्टि से भारत सरकार भेषज अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के निरीक्षकों की नियुक्ति करने के लिये शक्तियां प्राप्त करने का विचार करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि वर्तमान व्यवस्था और पद्धति प्रभावरहित सिद्ध हुई है और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है ? क्या स्वास्थ्य और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों के बीच कोई बात-चीत हुई है ? यदि हां, तो क्या निर्णय निकला है ?

†**श्री करमरकर** : सरकार को यह पता है कि विद्यमान व्यवस्था में भेषज अधिनियम के अधीन सुधार करने की आवश्यकता है और इसीलिये सरकार का विचार शक्तियां प्राप्त करने का है, जैसा कि मैं कह चुका हूं, जिससे कि उनकी अपनी निरीक्षण व्यवस्था हो सके ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह नियंत्रण निर्माण पर लगेगा अथवा फुटकर दुकानों पर भी ?

†**श्री करमरकर** : प्रतिबन्ध सभी जगह है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार ने तैयार की गई और बेची गई दवाओं की किस्म का कोई हिसाब लगाया है ? चूंकि हम सभी जगह हिसाब लगा लेते हैं तो क्या सामान्य भावना को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने तैयार की गई दवाइयों की घटिया किस्म और अपमिश्रण का कोई हिसाब लगाया है । यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रश्न में लगाये गये आरोपों को मैं स्वीकार करने के लिये सहमत नहीं हूं । देश में जो दवाइयां बन रही हैं, सरकार को उनकी अच्छी किस्म पर सन्तोष है । जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है और हम वे शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं जिससे हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में राज्य सरकारों की सहायता कर सकें ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री करमरकर** : हम इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और जब हम निर्णय पर पहुंचेंगे तो मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र हमारा समर्थन करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकारी क्षेत्र में जो निरीक्षणालय हैं वे किसी संस्था के अन्तर्ग नहीं आते अथवा वे किसी संस्था से सम्बद्ध हैं ?

†**श्री करमरकर** : ये निरीक्षणालय संबंधित राज्य सरकारों के अधीन हैं । जिन का में ये दवाइयां बनती हैं उनका इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है । क्या रवाई ठाया

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार के पास विभिन्न राज्य निरीक्षणालयों द्वारा पता लग अभियोगों तथा किये गये अपराधों की कोई सूची है ? यदि है, तो क्या जो नया निरी जनरल स्थापित किया जाने वाला है, वह कोई निदेश देगा ? यहां पर ास्त की गई ा अपना अपना

†**श्री करमरकर** : नया निदेशालय हमारे निरीक्षण और प्रत्यक्ष नियंत्रण निदेश देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वह सदैव ही हमारे निदेशानुसार वर्तमान निरीक्षणालय पूर्णतया राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है उ

†मूल अंग्रेजी में

कारों के द्वारा निदेश जारी करावने की शक्ति हमें प्राप्त नहीं है। इसी कारण से जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में कहा था, हम शक्ति प्राप्त करने का विचार रखते हैं।

†श्री **तंगामणि** : क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है कि निरीक्षणालयों ने किस प्रकार के अपराधों का पता लगाया है और जिनमें भेषज अधिनियम के अधीन अन्त में सजा दी गई हो ?

†श्री **करमरकर** : मैं पूर्व सूचा चाहता हूं।

†श्री **दलजीत सिंह**: यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों में अपमिश्रण को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: वह पहले ही बता चुके हैं कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

दिल्ली में बाढ़-उपकर

†*११४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आरम्भ की गयी बाढ़ संरक्षण योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों पर बाढ़-उपकर अथवा सुधार-कर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). जी हां। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अभी ब्योरा तैयार किया जाना है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : बाढ़ से रक्षा करने की कितनी योजनायें आरम्भ की गई थीं और दिल्ली के लोगों के हित के लिये उनमें से वास्तव में कितनी योजनायें पूरी की गईं ?

†**श्री हाथी** : दिल्ली में ऐसी योजनाओं की संख्या लगभग २५ हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनमें से कितनी योजनायें पूरी की जा चुकी हैं। इन पर कुल १.३६ करोड़ रुपया खर्च होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि बाढ़ रक्षा योजनाओं की प्रगति सन्तोषजनक नहीं किस्म?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि ठीक प्रगति हो रही है।

मुरादाबाद-दिल्ली पैसेंजर गाड़ी में डाका

तैयार व
१९४० अ †*११४२. { **श्री आचार** : **श्री अजित सिंह सरहदी** :
और विश्ले

रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) अ।

भेषज अधिनियम ग ६ मार्च, १९६० की रात को १ अप मुरादाबाद–दिल्ली पैसेंजर के तीसरे दर्जे
प्राप्त करने का विचार आठ यात्री लूट लिये गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस लूट से संबंधित परिस्थितियां क्या थीं ; और

(ग) क्या अपराधियों में से किसी को गिरफ्तार किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जी हां । ९-३-६० की रात को एक घटना हो गई थी जबकि उत्तर रेलवे के बरेली-मुरादाबाद सेक्शन पर दुगनपुर और धमोड़ा स्टेशनों के बीच रौजा-मुरादाबाद-दिल्ली यात्री गाड़ी के एक तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को पिस्तौल दिखाकर दो जवान पुरुषों ने लूट लिया । इन दोनों नौजवानों ने यात्रियों की दो घड़ियां, दो अटैचियां और कुछ नकदी छीन ली थी । गाड़ी जब धमोड़ा स्टेशन के सिग्नल के पास जाकर रुकी तो ये उपद्रवी गाड़ी से उतर गये और भाग गये । पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) अभी तक एक भी नहीं ।

†**श्री आचार** : उसमें ८ यात्री थे और दो आदमियों ने उन्हें लूट लिया । यात्रियों ने खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी रोक क्यों नहीं ली ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह प्रश्न तो यात्रियों से पूछा जाना चाहिये ना कि मुझ से ।

†**श्री आसर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार हुआ । क्या खतरे की जंजीर खराब थी ? उस डिब्बे में शायद ८ या उससे अधिक यात्री थे । वे जंजीर क्यों नहीं खींच सके ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उस डिब्बे में दस व्यक्ति थे । उन दो नवयुवकों ने पिस्तौल तान दी और मैं समझता हूं कि उसी से उन दसों यात्रियों के होश हवास गुम हो गये । वास्तव में हुआ यह कि उन दस व्यक्तियों में से एक वृद्ध पुरुष उठा और डाकुओं से लिपट गया किन्तु उसके मुंह पर उन लोगों ने थप्पड़ मार दिया और उसके बाद वह बचारा कुछ नहीं कर सका ।

†**श्री आचार** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या खतरे की जंजीर खराब थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवत: यात्रियों में सूझ नहीं थी । अगला प्रश्न ।

†**श्री आचार** : क्या जंग्रीर खराब थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं, वह खराब नहीं थी ।

श्री जगदीश अवस्थी : गत वर्ष में उत्तर रेलवे में चोरियों आदि की संख्या बहुत बढ़ी है । क्या सरकार ने इस प्रकार की चोरियों की रोकथाम करने के लिये कोई ठोस कारवाई की है या कारवाई करने की बात सोची है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में कोई ठोस कदम उठाया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : बहुत ठोस कारवाई करने की कोशिश की है । तमाम इंस्पैक्टर्स जनरल आफ पुलस की यहां पर कांफ्रेंस बुलाई गई थी और हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहिबान यहां पर जब तशरीफ लाये थे तो वे भी रेलवे मिनिस्टर साहब से मिले थे और उन से भी दरख्वास्त की गई थी कि यह ला एंड आर्डर का मामला है और स्टेट का मामला है, इसलिये वे हमको अपना अपना पूरा तआवुन दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ढले लोहे के स्लीपर

+

†*११४३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वें० प० नायर :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढले लोहे के स्लीपरों के लिये मांगे गये टेंडरों के उत्तर में आये प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १·७७ लाख टन के निर्माण और संभरण के लिये आर्डर दे दिया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह आर्डर फर्म को दिया गया है और कौन सा टेंडर सबसे कम है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जिस फर्म का टेंडर सबसे कम था उसको आर्डर दे दिया गया है । वास्तव में दो फर्मों ने सबसे कम उद्धरण दिये हैं । कुल ६५ फर्मों ने टेंडर भेजे थे । हमने सबसे कम वाले टेंडर को मान लिया और उन सभी फर्मों से संभरण करने का प्रस्ताव कर दिया था ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : सबसे कम टेंडर की दर पर संभरण करने का प्रस्ताव कितनी फर्मों ने मंजूर किया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ४७ ।

†**श्री बासप्पा** : क्या भद्रावती के आयरन एंड स्टील वर्क्स ने ढले लोहे के स्लीपरों का संभरण किया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने जिन स्लीपरों का संधरण किया वे अन्य फर्मों द्वारा संभरण किये गये स्लीपरों से अच्छे थे ? यदि हां, तो भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स को जो आर्डर दिया गया था उसमें वृद्धि करने के लिये क्या कारवाई की जा रही है क्योंकि यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थित है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैं बता चका हूं कि ६५ फर्मों ने टेंडर भेजे थे जिनमें से ४७ ने निम्नतम टेंडर की दर पर संभरण करना मंजूर कर लिया था । हम उन फर्मों ने पहले जैसा काम किया है उसे ध्यान में रखते हुये आर्डर दे रहे हैं । आर्डर उनकी क्षमता के अनुसार दिये जाते हैं जिसकी पहले ही जांच कर ली जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स को, जो कि सरकारी क्षेत्र में है, प्रोत्साहित करने के लिये कोई कारवाई की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां**: हमने पिछले वर्षों में आर्डर दे दिया था, यदि उनका काम सन्तोषजनक होता है तो अगले वर्ष हम उसे अधिक आर्डर दे देते हैं।

†**श्री त्यागी** : पिछले वर्ष आर्डर किस दर पर दिया गया था और इस वर्ष किस दर पर दिया गया है ? क्या यह सच है कि इस वर्ष जिस फर्म ने सबसे कम दर उद्धृत की थी उसे कुछ भी आर्डर नहीं दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे कम टेंडर की दरें मेसर्स बैजनाथ आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड और श्री हनुमान फाउन्ड्रीज़ की थीं। उन्होंने बड़ी लाइन के स्लीपरों के लिये ३४५ रुपये प्रति टन और छोटी लाइन के लिये ३७० रुपये प्रति टन दर उद्धृत की थी। पिछले साल के आंकड़े मेरे पास इस समय यहां तैयार नहीं हैं किन्तु मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की दरें कम हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि मेसर्स बैजनाथ आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड और श्री हनुमान फाउन्ड्रीज़ इन दो फर्मों के टेंडर सबसे कम थे। ठेका मेसर्स बैजनाथ आयरन एंड स्टील कम्पनी को इस कारण नहीं दिया गया था कि यह कम्पनी इस काम में नई थी और सरकार जानना यह चाहती थी कि क्या वह काम पूरा कर सकेगी। जहां तक दूसरी फर्म का संबंध था, उसे ठेका इसलिये नहीं दिया गया कि उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल विचाराधीन थी। क्या श्री हनुमान फाउन्ड्रीज़ के बारे में जांच पूरी हो चुकी है और क्या इस फर्म को भी आर्डर मिल गया है अथवा मेसर्स बैजनाथ आयरन एंड स्टील कम्पनी को ही आर्डर दिया गया है, जो कि इस काम में नई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : श्री हनुमान फाउन्ड्रीज़ हमको पहले स्लीपर संभरण कर चुकी है और वह काफी अच्छी कम्पनी है। पहले के भुगतानों आदि के बारे में उससे कुछ झगड़े चल रहे हैं, जिन में से कुछ मुकदमे उच्च न्यायालय में हैं। हम उससे कुछ समझौता करना चाहते हैं जिससे हम उसके साथ संभरण का काम जारी रख सकें।

दिल्ली के इर्विन अस्पताल में कैंसर का उपचार

+

†*११४५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इर्विन अस्पताल में कैंसर के रोगियों के उपचार के लिये एक कोबाल्ट संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस संयंत्र की लागत कितनी है; और

(ग) इस के कब से कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली के इर्विन अस्पताल में कैंसर के रोगियों के उपचार के लिये एक कोबाल्ट संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) लगभग २,५०,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) १९६०–६१ के पूंजी सहायता कार्यक्रम के लिये कोबाल्ट एकक लगाने का निवेदन कोलम्बो प्राधिकारियों को भेजते समय इर्विन अस्पताल की आवश्यकताओं को, ध्यान में रखा जायेगा । इर्विन अस्पताल में इस संयंत्र के आ जाने के बाद संयंत्र द्वारा काम शुरू होने में छः मास लग जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : संयंत्र कब तक आ जायेगा और वह कब से चालू होगा

†**श्री करमरकर** : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस संबंध में अभी निर्णय होना बाकी है कि कोबाल्ट संयंत्र १९६०–६१ में प्राप्त होगा अथवा नहीं । उस के पश्चात् माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न उत्पन्न होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या कैंसर के उपचार के लिये दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी इस प्रकार के संयंत्र हैं ?

†**श्री करमरकर** : अभी नहीं, किन्तु हम सफदरजंग अस्पताल के लिये एक संयंत्र मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में कैंसर का उपचार करने के लिये मंत्रालय ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**श्री करमरकर** : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इर्विन अस्पताल में जो कुछ हो रहा है उस के अलावा हम सफदरजंग अस्पताल में भी एक नया कैंसर अनुभाग खोलने जा रहे हैं ।

रेलवे में भर्ती में विलम्ब

†***११४६. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में भर्ती में विलम्ब होने के कारणों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) उन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुछेक ऐसे मामले हैं जिन में परीक्षायें लेने अथवा चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति में कुछ विलम्ब हो गया था । परीक्षायें होने में विलम्ब हो जाने के निम्नलिखित कारण थे (१) सेवा आयोगों को किसी काल विशेष में भर्ती सम्बन्धी अत्याधिक कार्यभार के कारण कार्यक्रम में कुछ विलम्ब करना पड़ा था, (२) किन्हीं विशेष रिक्त स्थानों के लिये बहुत कम आवेदन पत्र आने पर एक से अधिक बार उन के लिये नोटिस जारी करने पड़े थे, और (३) विभिन्न रेलों में अलग अलग रूपों में प्राप्त भर्ती सम्बन्धी मांगों को एकीकृत करना पड़ा है और चुने हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति में विलम्ब के निम्नलिखित कारण थे (१) अपेक्षित सीमा तक यातायात के विकसित न होने के कारण अधिकतर अनुमानित रिक्त स्थान समाप्त हो

†मूल अंग्रेजी में

गये हैं; और (२) कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में गलत अन्दाजा लगाया गया था ।

(ग) रेलों को हिदायत दे दी गई है कि वे कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में ध्यान-पूर्वक हिसाब लगाया करें और अपनी वार्षिक आवश्यकताओं के स्थान पर अर्द्ध वार्षिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एकीकृत मांगें भेजा करें । उस प्रक्रिया से आशा है कि भर्ती का काम समुचित रूप में हो सकेगा और उस से आयोगों को गलत मांगें भेजने की सम्भावना भी समाप्त हो जायेगी । उस के साथ ही साथ रेलवे सेवा आयोग के पथ प्रदर्शन के लिये एक समय अनुसूची भी निर्धारित कर दी गयी है ताकि किसी भी मांग की प्राप्ति के छः मास के अन्दर अन्दर उस के लिये चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा सके ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : एक पहले के प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि विलम्ब का एक कारण वर्तमान प्रक्रिया है । उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं ने अभी ही तो बताया है कि अब हम 'इंडेंट' एक वर्ष की बजाय छः महीने के लिये मांग रहे हैं । आशा है कि उस से कार्य को गति मिलेगी ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्व कृषि प्रदर्शनी

†*११२४. **श्री वाजपेयी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को नई दिल्ली में विश्व कृषि प्रदशनी देख कर अपने गांवों को लौटने वाले किसानों के लिये स्वागत-समारोहों का आयोजन करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार के स्वागत समारोहों का आयोजन किस विचार से किया जा रहा है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कुछ वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस प्रकार के स्वागत समारोहों के आयोजन इस दृष्टि से किये जा रहे हैं कि किसानों तथा उन के व्यवसाय के महत्व के सम्बन्ध में भावना पैदा की जा सके और उन्हें विश्व कृषि प्रदशनी में देखी गयी नयी टेक्नीक के सम्बन्ध में प्रचार करने का एक अवसर प्रदान किया जा सके ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेक्लोपान के इंजेक्शन के कारण मृत्यु

†*११२५. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ दिसम्बर १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२४–क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रोकेन पैनिसिलीन की एक ब्रांड सेक्लोपान के इंजैक्शन से शक्ति नगर के एक निवासी की मृत्यु के समाचार के के मामले की जांच पूरी हो गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सरकारी विश्लेषयिता ने यह घोषणा की है कि इंजैक्शन के लिये इस्तेमाल की गयी पेनिसिलीन और डिस्टिल्ड वाटर के नमूने स्टैण्डर्ड के अनुसार थे। इसलिये जिस फर्म ने उन का संभरण किया था, उस के विरुद्ध कोई कायवाही नही की जा सकती। इस सम्बन्ध में पकड़ी गयी सभी औषधियों के नमूने की अब बिक्री के लिये अनुमति दे दी गई है क्योंकि सेक्लोपान और इंजैक्शन के लिये इस्तेमाल किये गये डिस्टिल्ड वाटर दोनों के ही नमूने स्टैण्डर्ड के अनुसार घोषित कर दिये गये हैं; इसलिये इन में से किसी भी बस्तु को उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं माना जा सकता। फिर भी पुलिस इस सम्बन्ध में जांच कर रही है ।

दिल्ली–अलीगढ़ लाइन के रेल के फाटकों पर ट्रकों और लारियों का लूटा जाना

†*११२७. **कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-अलीगढ़ रेलवे लाइन के रेल के फाटकों पर ट्रकों और लारियों के लूटे जाने की हाल की घटनाओं का पता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों और व्यापारी-जनता की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। २९-११-५९ की रात को एक घटना हुई थी जब कि दिल्ली-अलीगढ़ रोड पर चुहारपुर रेलवे क्रासिंग पर (जो कि अलीगढ़ से लगभग १३ मील की दूरी पर है) लगभग १० या १५ डाकुओं ने ५ ट्रकों को बलात रोक लिया था। उन डाकुओं ने दो ट्रकों में बैठे हुए व्यक्तियों से कुछ नकद रुपया और कुछ कपड़े लूट लिये थे ।

(ख) राज्य पुलिस की उस घटना स्थल से दो मील की दूरी पर एक चौकी है। घटना के बाद अब गश्त लगाने के लिये एक सशस्त्र पुलिस गार्द भी नियुक्त कर दी गई है।

रेलवे के लिये कंक्रीट के स्लीपर

†*११२८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठ, ढ़ले लोहे और इस्पात के कश्तीनुमा स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाने के प्रयोग सफल हो गये हैं ; और

(ख) क्या मशीनों से कंक्रीट के स्लीपर तैयार करने की रीति अपनाई जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे अभी तक कंक्रीट के स्लीपरों के सम्बन्ध में परीक्षण कर रही है, इसलिये उस की सफलता के सम्बन्ध में इसी समय नहीं बताया जा सकता ।

(ख) जी नहीं ।

चम्बल परियोजना

†*११३०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल परियोजना के लिये दिये गये ऋणों पर सूद की दरों में रूप भेद करने के राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सूद की दरों में किस सीमा तक रूप भेद किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्याज की दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में फैसला नहीं हो सका है ।

दिल्ली में पीने के पानी का सम्भरण

†*११३१. **श्री याज्ञिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के नगरीय और ग्राम्य क्षेत्रों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने में दिल्ली नगर निगम ने पिछले वर्ष कितनी राशि व्यय की है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्राम्य क्षेत्रों में साधारण कुंएं खोदकर और नलकूप लगाकर पानी की व्यवस्था करने की दिल्ली निगम की कई योजनायें सरकार ने रोक रखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्वीकृत राशि ग्राम्य क्षेत्रों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था पर इस कारण व्यय नहीं की जा सकी कि सरकार ने यह आग्रह किया कि यह राशि केवल पानी–कल के निर्माण द्वारा नल के पानी की व्यवस्था पर ही खर्च की जाय ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) गत वर्ष खर्च की गयी राशि का ब्यौरा यह है :–

नगरीय क्षेत्र	९२.१४ लाख रुपये
ग्राम्य क्षेत्र	८.०० लाख रुपये

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डकोटा और ग्लाइडर की टक्कर

†*११३३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ जनवरी, १९६० को नागपुर में एक पाकिस्तानी डकोटा और एक ग्लाइडर की टक्कर के संबंध में २३ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कुछ मुआवजा दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : जी, नहीं ।

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

†*११३५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना की अवधि में कर्मचारियों के ६६,००० अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण का शुरू में जो प्रस्ताव किया गया था उसमें कटौती कर अब यह संख्या ५५,००० कर देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों से एक ही प्रकार के क्वार्टरों के लिये वसूल किया जाने वाला किराया भिन्न भिन्न जोनों में भिन्न भिन्न है ; और

(ग) क्या इस अन्तर को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इमारती सामान की कीमतें बढ़ जाने के कारण क्वार्टरों के लिये निर्धारित निधि से कम संख्या के क्वार्टर तैयार किये जा सके हैं ।

(ख) जी, हां, कुछ सीमा तक ।

(ग) जी, नहीं ।

पानी की दरें

†*११३६. **श्री दामानी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री मं० वें० कृष्णराव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पानी की दरों का पुनर्विलोकन करने का विचार है ,

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को आवश्यक संदेश भेज दिया गया है ; और

(ग) यदि हां,तो इस संबंध में भेजे गये संदेश का ब्योरा क्या है और उस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे पानी की दरों का पुनरीक्षण करें ताकि उन्हें फसलों की वर्तमान कीमतों के अनुरूप निर्धारित किया जा सके और राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान पानी की दरों के क्रम में सफलता पैदा की जासके ताकि सिंचाई विभाग को आत्मनिर्भर बनाया जा सके ।

अभी तक केवल बम्बई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों से ही उत्तर प्राप्त हुआ है । बम्बई और मध्य प्रदेश सरकारों ने सूचित किया है कि पानी की दरों के पुनरीक्षण का प्रश्न इस समय विचाराधीन है । उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उसने पानी को दरों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में पुल

†*११४१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में मद्रास–कलकत्ता राष्ट्रीय राजपथ पर गोदावरी नदी की सहायक नदियों पर पुलों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इनके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) गौतमी नदी पर पुल निर्माण-कार्य में ५८.४८ प्रतिशत प्रगति हो चुकी है और वशिष्ट नदी के पुल के सम्बन्ध में प्राप्त टेंडरों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) आशा है कि गौतमी नदी का पुल १९६१ में पूरा हो जायेगा और जहां तक वशिष्ट नदी के पुल का सम्बन्ध है वह आरम्भ होने के तीन वर्ष बाद तक पूरा हो जायेगा ।

कलकत्ते को अनाजों का संभरण

†*११४४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह किया है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भावों के स्थिरीकरण के लिये केन्द्रीय संग्रह (पूल) में से कलकत्ते के बाजार को अनाज का और भी स्टाक दिया जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनवरी १९६० से अब तक केन्द्रीय संग्रह (पूल) में से पश्चिम बंगाल को अनाज भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां । उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने भारत सरकार को यह सूझाव दिया है कि पश्चिमी बंगाल में वितरण के लिये उस राज्य सरकार को भारी मात्रा के चावल संभरित किया जाये ।

(ख) जी हां ।

(ग) जनवरी, १९६० के आरम्भ से अब तक पश्चिमी बंगाल में वितरण के लिये आवंटित चावल और गेहूं का ब्योरा इस प्रकार है :—

चावल	५७,७७५ टन
गेहूं	१४५,१०० टन

गेहूं की मात्रा में वह भी सम्मिलित है जो कि १५ मार्च, १९६० तक केन्द्रीय डिपुओं से सीधा ही खरीदा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नया रेलवे जोन

†१४८६. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि आन्ध्र प्रदेश के लिये एक अलग रेलवे जोन बनाया जाये जिसका मुख्यालय हैदराबाद में हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने १९५७ में यह सुझाव दिया था कि आन्ध्र प्रदेश के लिये एक अलग रेलवे क्षेत्र बना दिया जाये या मध्य रेलवे के मुख्यालय के दफ्तर को बम्बई से सिकन्दराबाद या हैदराबाद में स्थानान्तरित कर दिया जाये । सम्पूर्ण मामले पर अच्छी प्रकार से विचार करने के उपरान्त आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह सूचित कर दिया गया था कि वर्तमान कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए न तो आन्ध्र प्रदेश के लिये एक अलग रेलवे जोन बनाने की आवश्यकता है और न ही मध्य रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय को बम्बई से सिकन्दराबाद या हैदराबाद में स्थानान्तरित करना न्यायसंगत है ?

आटा आदि की वार्षिक खपत

†१४८७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, मैसूर और केरल राज्यों में आटे, मैदा, सूजी और भूली की अनुमानत: कितनी वार्षिक खपत होती है ; और

(ख) उक्त राज्यों में इस समय उक्त प्रत्येक वस्तु को पीसने की कितनी क्षमता है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) दक्षिण भारत के राज्यों में गेहूं की वस्तुओं का वितरण व्यापारिक एजेन्सियों द्वारा किया जाता है । दक्षिण में मिलों द्वारा उत्पादित गेहूं की वस्तुओं के अतिरिक्त उत्तर भारत की मिलों को भी गेहूं की वस्तुएं वहां भेजने की अनुमति है । इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है कि मैसूर, मद्रास और केरल के राज्यों में वास्तव में कितनी मात्रा में उन वस्तुओं की खपत हुई थी ।

(ख) उक्त प्रत्येक राज्य में पीसने की कुल क्षमता निम्न प्रकार से है :—

मद्रास	१,३५,३६० टन प्रतिवर्ष
मैसूर	४५,९०० टन प्रतिवर्ष
केरल . .	शून्य ।

विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन समय समय पर और विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है ।

पान

†१४८८. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ के बाद प्रतिवर्ष में दक्षिण पूर्व रेलवे के पंचकुट, मचादा और बगान के स्टेशनों से कुल कितने पान का निर्यात किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रतिवर्ष उन स्टेशनों पर किराया भाड़े के रूप में रेलवे को कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ग) उन स्टेशनों पर उक्त अवधि में प्रतिवर्ष रेलवे को वहां से भेजी जाने वाली सभी वस्तुओं से किराया भाड़े के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(घ) क्या उन स्टेशनों पर सामान के लिये नियमित शेड बने हुए हैं ; और

(ङ) १९४८ के बाद प्रतिवर्ष उन स्टेशनों पर सामान का कितना आयात और निर्यात हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सोन बांध योजना

†१४८९. **श्री कमल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने सोन रिमाडलिंग योजना की दूसरी अवस्था के अन्तर्गत बांध एवं सड़क पुल के निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और वह कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने सोन बांध योजना पर विचार किया है और सिंचाई, विद्युत् तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना सम्बन्धी प्रविधिक परामर्शदात्री समिति द्वारा भी उस पर विचार कर लिया गया है । शीघ्र ही इस बारे में भी निर्णय कर लिया जायेगा कि बांध का कार्य प्रारम्भ कब किया जाये ।

उत्तर रेलवे पर स्टेशनों की नयी इमारतें

†१४९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वर्ष उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों की पुरानी इमारतों के स्थान पर नयी इमारतें बनाने का विचार है ;

(ख) क्या उस रेलवे के उन स्टेशनों के नाम तथा स्थान बदल देने के सम्बन्ध में कोई योजना है जो कि महत्वपूर्ण ग्रामों से बहुत दूर पड़ते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्टेशनों के क्या क्या नाम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) निम्नलिखित ११ स्टेशनों की कच्ची इमारतों के स्थान पर पक्की इमारतें बनाने के सम्बन्ध में विचार है :—

(१) खुद्दाकोराला, (२) दुर्दविण्डी, (३) गोविन्द गढ़ खारवेर, (४) रूरा असल, (५) जगतपुर, (६) पंच रुखी, (७) मचरोवाल, (८) परोर, (९) डोढ, (१०) सुलहानी तथा (११) शंकर ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†१४९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शकूरबस्ती में ऊपर के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जा रहा है।

सिंचाई विकास अर्थोपाय निधि

†१४९२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५० में योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि भारत के प्रत्येक राज्य द्वारा एक सिंचाई विकास अर्थोपाय निधि स्थापित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों ने वैसा कर लिया है ;

(ग) उस समय जिन राज्यों में योजना प्रारम्भ की गयी थी, उनका वार्षिक अनुदान कितना था और इस समय अंशदान कितना है ; और

(घ) उन राज्यों को केन्द्र से अनुदान या ऋणों के रूप में वर्ष वार कितनी राशि प्राप्त हुई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में, यह सुझाव दिया गया था कि सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिये प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक सिंचाई विकास (अर्थोपाय) निधि स्थापित की जाये। परन्तु उस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा गया था। सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं पर आने वाले खर्च को प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना कालों में अंशतः राज्य सरकारों द्वारा स्वयं तथा अंशतः केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से पूरा किया जा रहा है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होंते।

अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति

†१४९३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पांगरकर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोखले समिति द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). उन पर अभी विचार किया जा रहा है।

हुगली के पश्चिमी तट पर पत्तन

†१४९४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हुगली नदी के पश्चिमी तट पर गहरे डुबाव वाले जहाजों के लिये एक पत्तन बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : सुझाव के प्रविधिक पक्ष के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। मिट्टी निकालने के काम के सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड के द्वारा पौलैण्ड के एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त कर ली गयी हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड द्वारा निर्देशित एक जलविज्ञान तथा तटवर्ती इंजीनियरिंग विशेषज्ञ भी शीघ्र ही अपना काम प्रारम्भ कर देगा। इस दौरान में नवम्बर १९५९ से फरवरी, १९६० तक अनाज के जहाजों से माल उतारने के लिये हाल्दिया को एक लंगर स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

खाद्यान्नों का क्रमस्थापन[1]

†१४९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ नवम्बर १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्नों के क्रमस्थापन की एकसम योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मूल आंकड़े एकत्रित कर लिये गये हैं और केन्द्रीय भांडागार निगम का खाद्य विभाग के प्रतिनिधियों और कृषि विपणन परामर्शदाता की एक समिति उनका परीक्षण कर रही है।

कलकत्ता में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के लिये इमारत

†१४९६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ नवम्बर १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता में अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्था में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के लिये इमारत बनाने के लिये प्रविधिक मंजूरी दे दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी नहीं। प्रविधिक मंजूरी शीघ्र ही दे दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gradation

सांकराइल और अन्दुल (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच सड़क-पुल

†१४९७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में सांकराइल और अन्दुल के बीच रेलवे पुल संख्या १७ के बिल्कुल समीप एक नया सड़क-पुल बनाने के लिये कोई निश्चय कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : जी, हां । रेलवे प्रशासन द्वारा इस पुल के व्यय का कोई भाग वहन किया जाने में कोई औचित्य नहीं है ।

पूना के अनुसंधान केन्द्र के लिये ब्रिटेन से उपकरणों की भेंट

†१४९८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र को प्रविधिक सहकार योजना के अधीन ब्रिटिश सरकार से लगभग ५ लाख रुपये के मूल्य के उपकरणों के उपहार प्राप्त हुए ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) अनुसन्धान केन्द्र में इसका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अनुसन्धान केन्द्र को कोलम्बो योजना के अधीन लगभग ४·६ लाख रुपये के मूल्य के उपकरण प्राप्त हुए ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) इन उपकरणों का उपयोग नदी प्रशिक्षण बाढ़ नियंत्रण, नदी घाटी परियोजनाओं का जल-विद्युत् ढांचा, पत्तनों और बन्दरगाहों का विकास और सुधार, जल-विद्युत् ढांचों का फ़ोटो-इलास्टिक अध्ययन, बांधों की भू-भौतिकीय जांच-पड़ताल, मिट्टी और नींव सम्बन्धी इंजीनियरिंग जांच पड़ताल और अन्य सम्बन्धित जल विद्युत् जांच पड़तालों के कार्य में किया जायेगा ।

सिद्धपुर स्टेशन पर ऊपरी पुल

†१४९९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने पश्चिम रेलवे के सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर एक रेल का ऊपरी पुल बनाने के लिये निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) क्या यह सच है कि वहां पर ऊपरी पुल न होने से प्रति वर्ष दुर्घटनायें होती हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). जी नहीं। प्रस्तावित पैदल ऊपरी-पुल के लिये जुलाई १६५६ में भेजी गयी योजनाओं और प्राक्कलनों पर बम्बई सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है। लागत का अनुमान ६५,०७७ रुपये लगाया गया था।

(ग) जी, नहीं ?

महबूबाबाद स्टेशन पर ऊपरी पुल

†**१५००. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री २१ अगस्त, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महबूबाबाद टाउन कमेटी ने भारत सरकार को महबूबाबाद स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार के जरिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में और कितनी प्रगति की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बारंगल में निचला पुल

†**१५०१. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री २१ अगस्त, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारंगल नगर प्राधिकार ने वारंगल में एक निचला पुल बनाने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की कार्यान्विति के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, अभी नहीं। यह प्रस्ताव अब आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किया है।

(ख) रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार प्रविधिक ब्यौरे की जांच कर रहे हैं।

दाराकल स्टेशन

†**१५०२. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री २१ अगस्त, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाराकल स्टेशन पर एक ऊपरी-पुल और ढका हुआ प्लेटफार्म बनाने का कार्य वर्ष १६६०–६१ में आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य दोर्णाकल स्टेशन का निर्देश कर रहे हैं। यदि हां, तो ढके हुए प्लेटफार्म बनाने और पैदल ऊपरी पुल के विस्तार के कार्य की स्वीकृति दे दी गयी है और यह शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में बीज के फार्म

†१५०३. **श्री पद्म देव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीज बढ़ाने के फार्म खोलने की योजना इस बीच पूरी तरह लागू हो गई है ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश के लिये उपयुक्त उन बीजों की किस्में क्या हैं जिनके बारे में सरकार द्वारा अब तक किया गया अनुसन्धान कार्य पूरा हो चुका है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) दस सीड फारमों में से, जो कि शुरू में दूसरी योजना में शामिल की गई थीं, अब तक आठ स्थापित की गई हैं। इन के अतिरिक्त आठ और फारमों को योजना अवधि के पिछले वर्ष अर्थात् १९६०–६१ में स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

(ख) गेहूं, धान और मक्की की कुछ सुधरी हुई किसमों पहले से ही विस्तृत की जा चुकी हैं और उनकी खेती करने के लिये सिफारिश की जा रही है। उन अच्छी किस्मों को विस्तृत करने के लिये जो हिमाचल प्रदेश के लिये उपयुक्त हों, अनुसन्धान का काम जारी है।

हिमाचल प्रदेश में पशुधन

१५०४. **श्री पद्म देव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय किस-किस नस्ल के कितने पशु हैं ;

(ख) उन में से कितने लाभप्रद और कितने बेकार हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा लाभप्रद पशुओं की संख्या बढ़ाने और बेकार पशुओं की संख्या कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) आठवीं अखिल भारतीय पशुधन गणना (१९५६) के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ११,७०,७६१ पशु थे जिन में नर ३ वर्ष से ऊपर ३,८१,२४३, मादा ३ वर्ष से ऊपर ४,०१,७३२ और बच्चे ३,८७,७८६।

(ख) उसी गणना के अनुसार लगभग ९,६४४ नर और १,७०१ मादा नाकारा थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपयोगी पशुओं का अनुपात बढ़ाने और नाकारा पशुओं का अनुपात घटाने के लिये मौजूदा नस्ल को निम्न ढंग से सुधारा जा रहा है :—

(१) हरियाना सांड और लाल सिन्धी सान्डों से क्रास ब्रीडिंग

(२) चुनी हुई ब्रीडिंग

(३) वैज्ञानिक ढंग से बनी हुई ढोर साल और उचित चारे के लिये प्रचार

(४) खस्सी करके घटिया सांडों को अलग कर देना

(५) उड़ने वाली बीमारियों की रोकथाम

(६) ऊंचे क्षेत्रों में क्रास ब्रीडिंग के लिये जरसी रैड सिन्धी (Jersey Re Sindhi) सांडों का और १०,००० फुट ऊंचे क्षेत्रों में याक सान्डों का प्रयोग

(७) अच्छे चारे के लिये मौजूदा चरागाई भूमि का सुधार ।

बम्बई राज्य में भूमिहीन कृषि श्रमिक

†१५०५. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बम्बई सरकार से राज्य में भूमिविहीन कृषि-श्रमिकों को बहाने के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्मौरा क्या है ; और

(ग) उस पर अनुमानित कितना व्यय होगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). जी, हां। बम्बई सरकार ने १९५९–६० में क्रियान्विति के लिये एक योजना भेजी थी। इस योजना में २२०० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बना कर चन्दा यवतमाल और अकोला जिलों के गांवों में भूमिविहीन कृषि-श्रमिकों के ११० परिवारों को बसाने की व्यवस्था है। इस योजना की कुल लागत का अनुमान ३,६२,००० रुपये लगाया गया है।

आसाम के लिये उर्वरक

†१५०६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में आसाम को कृषि कार्य के लिये कितनी मात्रा में उर्वरक दिये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० रा० देशमुख)** : अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

(आंकड़े टनों में)

उर्वरक का नाम	आवंटित मात्रा	राज्य सरकार द्वारा वापस की गयी मात्रा	शुद्ध आवंटन	७–३–६० तक दी गयी मात्रा	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
अमोनियम सल्फेट	५,२००	१,८००	३,४००	१००	३४०० टन के स्वीकृत आवंटन में से १–३–६० तक केवल ११०० टन के भेजे जाने के आदेश दिये गये थे। संभरण प्रगति पर है।
	६,००० (पटसन के लिये)	१,५००	४,५००	४,५००	
उरिया अमोनियम सल्फेट	४००	४००	शून्य	शून्य	
नाइट्रेट कैल्शियम अमोनियम सल्फेट	८६०	८६०	शून्य	शून्य	
	३००	३००	शून्य	शून्य	

बीजों का दिया जाना

१५०७. श्री खुशवक्त राय : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यह आदेश दिये गये हैं कि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किसानों को बीज तभी दिये जायें जब वे रसायनिक खाद खरीदें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में ट्राउट का विकास

१५०८. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के महासू जिले की सांगला घाटी में बस्पा नदी में ट्राउट मछली के विकास के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई योजना विचाराधीन है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, हां। शिक्षित संरक्षण स्टाफ को सांगला घाटी में लगाया गया है। महासू जिले में पावर और पस्पा दोनों नदियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये रोहरू घाटी में एक ट्राउट हैचरी (traut hatchery) स्थापित की गई है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में दूसरी हैचरी केवल सांगला घाटी के लिये बनाने का आयोजन किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में पंचायतें

१५०९. श्री पद्म देव : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायत सचिवों ने अपनी वेतन वृद्धि के लिए अभ्यावेदन दिया है और पंचायतों ने भी उसकी सिफारिश की है ;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि न्याय पंचायतें स्थापित होने और उनका काम पंचायत सचिवों को सौंपने के परिणाम-स्वरूप इन सचिवों का कार्यभार और दायित्व बहुत बढ़ गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) विषय हिमाचल प्रदेश प्रशासन के विचराधीन है।

अगरताला में सड़क की धूल

†**१५१०. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा की गयीं अपर्याप्त व्यवस्था के कारण त्रिपुरा की राजधानी अगरताला के व्यक्तियों को सड़क की धूल से बड़ा कष्ट हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने में कब और क्या कार्यवाही की जायगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). अगरताला में सड़कों पर पानी छिड़कने वाली गाड़ी से दिन में दो बार पानी डाला जाता है। इस समय अगरताला नगरपालिका के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे इस कार्य के लिये पानी छिड़कने वाली अधिक गाड़ियों की व्यवस्था कर सके।

त्रिपुरा प्रशासन ने अगरताला की सड़कों की दशा सुधारने के लिये लगभग १२,०२,१०० रुपये की अनुमानित लागत से एक कार्य आरम्भ किया है। जब यह कार्य पूरा हो जायेगा, तो यह कठिनाई दूर हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे बुक स्टाल

१५११. श्री विभूति मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन रेलवे स्टेशनों पर ए०एच०व्हीलर को ३१ जनवरी, १९६० तक बुक स्टाल खोलने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि व्हीलर के एकाधिपत्य के कारण दूसरे लोगों में बड़ा असन्तोष है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई परिवर्तन करना चाहती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जिन रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के बुक स्टाल है, उनकी सूचना साथ के ब्यान में दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिवेदन मिले है कि कुछ स्टेशनों और सैक्शनों पर मेसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी को पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं आदि बेचने का एकाधिकार प्राप्त है ।

(ग) इसकी जांच की जा रही है।

डाक घर

†**१५१२. श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में देश भर में कितने डाक-घर खोले जायेंगे ; और

(ख) उस पर कितना धन खर्च होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) लगभग ४५००।

(ख) लगभग १० लाख रुपये।

राष्ट्रीय बचत योजना

†**१५१३. श्री झूलन सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामुदायिक विकास खंडों के प्रयत्नों के फलस्वरूप राष्ट्रीय बचत योजना में धन संग्रह करने में वृद्धि के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** जी, नहीं।

रेलवे परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ

†**१५१४. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ द्वारा भारतीय रलवे में सुरक्षा उपायों में सुधार के बारे में किये गये प्रयोग सफल साबित हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : पुलों पर लगाये जान वाले बाढ़ की सूचना देने वाले एक यंत्र का परीक्षण किया गया और वह सफल सिद्ध हुआ है। अनुसन्धान केन्द्र में निकाले गये अन्य सुरक्षात्मक उपायों का अभी पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं किया गया है।

खुरमाबाद रोड स्टेशन के समीप गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१५१५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २ डाउन कालका-दिल्ली हावड़ा मेल के उस इंजिन का क्या नम्बर है जो १३ अगस्त १९५९ को पूर्व रेलवे पर खुरमाबाद रोड और शिवसागर रोड स्टेशन के बीच आठ अन्य डिब्बों समेत पटरी से उतर गया था ;

(ख) इंजिन कितना पुराना था और यह किस स्टेशन का था ;

(ग) जिन रेलवे पदाधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच की थी, क्या उन्होंने उस इंजिन का परीक्षण किया था ;

(घ) यदि हां, तो इंजिन के बारे में उनका क्या प्रतिवेदन है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इंजिन का परीक्षण न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३०५३ डब्ल्यू०पी०

(ख) इंजिन को ५ अगस्त, १९५८ को काम पर लगाया गया था और यह गोमोह रनिंग शेड का था।

(ग) सरकारी रेलवे इंस्पैक्टर ने जिसने पुर्घटना की जांच की थी, इंजिन का भी परीक्षण किया था।

(घ) इंजिन में ऐसी कोई खराबी नहीं थी जिससे दुर्घटना हो सकती थी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्दमान का वन विभाग

†१५१६. **श्री रघुनाथ सिंह** :
सरदार अ० सिं० सहगल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य और उत्तरी अन्दमान में धान के खेतों में दो स्थानों पर बन विभाग द्वारा छोड़े गये इमारती लकड़ी के वृक्षों के गिर जाने के फलस्वरूप २ से ४ विस्थापित व्यक्ति मर गये और कुछ घायल हो गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां। उत्तरी अन्दमान में अतलान्ता खाड़ी में (जो कि दुर्गापुर नाम से प्रसिद्ध है) जून, १९५९ में एक पपीते का वृक्ष गिर जाने से २ व्यक्ति मर गये

†मूल अंग्रेजी में

और एक को हल्की चोट आयी। यह वृक्ष भंयकर तूफ़ान के कारण गिरा था। उत्तरी अन्दमान समूह में बसाये जाने के कार्य के लिये वन विभाग द्वारा साफ किये गये क्षेत्रों में वाणिज्यिक रूप से उपयोगी वृक्षों को लगा रहने दिया गया है क्योंकि मेसर्ज पी० सी० रे एंड कम्पनी को, जिन को उत्तरी अन्दमान के वन पट्टे पर दिये गये हैं, इन वृक्षों को गिराने का अधिकार है। जो भी वृक्ष छोड़े गये हैं, ये सब स्वस्थ और उगने वाले हैं।

(ख) कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ये मृत्युएं और चोटें प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हुईं जिनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है।

अन्दमान के वन

†१५१७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
सरदार अ० सिं० सहगल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में कालिनपुर क्षेत्र में ४०० एकड़ जंगल सर्वोच्च मूल्य के टेंडर भेजने वाले श्री गोविंद राजलू को अप्रैल, १९५८ में दो वर्षों में टिम्बर (इमारती लकड़ी) निकालने के लिये दिया गया था जिसमें लगभग ६००० टन वाणिज्यिक लकड़ी थी ;

(ख) क्या जनवरी, १९६० तक उसने ७०० टन लकड़ी भी नहीं निकाली थी जिससे कम से कम २,५०,००० रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है जो कि औसतन ५० रुपये प्रति टन है ; और

(ग) वन विभाग द्वारा इस ठेके को रद्द करने और कार्य पूरा करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जनवरी, १९६० तक ठेकेदार ने ७२३ टन ७.३ हंड्रेडवेट लकड़ी निकाली थी। ठेकेदार के साथ करार की शर्तों के अधीन वह केवल वही वृक्ष साफ़ करेगा जिस पर वन विभाग ने निशान लगाया हो। करार में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है कि वह प्रति मास कितनी मात्रा में लकड़ी निकालेगा। अत: सरकार को राजस्व की किसी हानि अथवा ठेका रद्द करने और कार्य को पूरा करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे पुल, माल्दा

†१५१८. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानन्दा पर माल्दा में रेलवे पुल के 'डेकिंग' के लिये पुरानी माल्दा नगरपालिका ने अभ्यावेदन किया है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस प्रस्तावित पुल के 'डेकिंग' की मंजूरी देने की प्रार्थना की है और उन्होंने लागत के बारे में प्राक्कलन मांगे हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित पुल के 'डेकिंग' की मंजूरी दे दी गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । इस पुल का 'डेकिंग' सम्भव नहीं है ।

ठेकेदारों को बिलों का भुगतान

†१५१९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर निर्माण-कार्य पूरा होने के बाद रेलवे के ठेकेदारों के बिल एक वर्ष से अधिक समय तक रोके जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ठेकेदारों की उन कठिनाइयों का पता है जो उनको बिलों के समय पर भुगतान न मिलने के कारण होती है; और

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं । यह सामान्य बात नहीं है । कुछ मामलों में जहां ऐसा विश्वास किये जाने के उचित कारण थे कि ठेकेदारों को अधिक पैसा दिया जा चुका है, उनके बिलों को जनहित में तब तक के लिये रोक लिया गया था जब तक कि उनके कार्य का सही मूल्यांकन नहीं हो जाता कि उन से कितना रुपया लेना बाकी है । ठेकेदारों को देय राशि उनको दे दी गयी है या दी जा रही है ।

(ख) और (ग). निर्देशित दक्षिण-पूर्व रेलवे के विशेष मामले के बारे में, भुगतान की प्रगति पर विशेष सामयिक प्रतिवेदनों के द्वारा निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है ।

दिल्ली में अनधिकृत रूप से भूमि को कृषि योग्य बनाना

१५२०. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शामलात भूमि अनधिकृत रूप से कृषि योग्य बनाई गई है;

(ख) इस प्रकार कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है ; और

(ग) इस भूमि को अनधिकृत रूप से कृषि योग्य बनाने से कितने लोगों का सम्बन्ध है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने के श्रमिकों के लिये क्वार्टर

†१५२१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों में से ५० प्रतिशत से भी अधिक को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो और क्वार्टर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह सच है कि मेहिजाम में प्राइवेट मकान भी उपलब्ध नहीं है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). चित्तरंजन के रेलवे इंजन कारखाने में नियोजित कर्मचारियों में से ६५ प्रतिशत से भी अधिक को क्वार्टर दिये गये हैं। और क्वार्टर दिये जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक लगभग ७५ प्रतिशत कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर दे दिये जायेंगे।

(ग) कुछ हद तक मकान मिलते हैं।

नलकूप

†१५२२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वेषी नलकूप संगठन को अमरीका सरकार से प्राप्त सामान की सहायता से भूतत्वीय और जल-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने के लिये देश के अन्य भागों में समन्वेषी नल-कूप बनाने के लिये कौन से नये क्षेत्र चुने गये हैं ;

(ख) क्या अभी तक प्राप्त परिणामों का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) भूमिजल समन्वेषण परियोजना के अधीन समन्वेषण के लिये अब तक चुने गये नये क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :

१. बम्बई राज्य :

(क) सौराष्ट्र तटीय क्षेत्र और झालावाड़ जिला

(ख) उत्तर गुजरात में क्षेत्र

२. राजस्थान :

(क) बारमेर और जैसलमेर जिले

(ख) पूर्वी राजस्थान नहर क्षेत्र

(ग) सूरतगढ़ में केन्द्रीय मशीनी फ़ार्म

३. पश्चिम बंगाल :

मिदनापुर जिला

४. उत्तर प्रदेश :

नैनीताल और देहरादून जिले के भावड़ क्षेत्र।

(ख) और (ग). जी, हां। भूमिजल समन्वेषण परियोजना के अधीन किये गये समन्वेषण से अब तक प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि नलकूप द्वारा सिंचाई के और विकास के लिये निम्नलिखित क्षेत्र उपयुक्त हैं :—

१. नरबदा घाटी (मध्य प्रदेश) :

जबलपुर के पश्चिम में, नदी के साथ साथ लगभग ७८०,००० एकड़ क्षेत्र नलकूप द्वारा सिंचाई के लिये उपयुक्त पाया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

२. **राजस्थान :**

चन्दन (जैसलमेर के पूर्व और उत्तर-पूर्व में) के आसपास लगभग १००० वर्ग मील क्षेत्र

३. **कच्छ (बम्बई) :**

मध्य कच्छ में लगभग ३०० वर्ग मील क्षेत्र

४. **मद्रास :**

सामान्य रूप से नलकूप के विकास के लिये चिंगलपुट और तंजॉर जिले में क्षेत्र और पातालफोड़ कुओं के विकास के लिये दक्षिण अर्काट जिले में एक विस्तृत पट्टी।

५. **पश्चिम बंगाल :**

बांकुरा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, २४ परगना, माल्दा, पश्चिमी दीनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपायगुडी और कच-बिहार के जिले।

६. **उत्तर प्रदेश :**

आगरा और मेनपुरी जिलों के अराजी-रूंद-मुहम्मदपुर-नवादा क्षेत्र और ऐटा और मेनपूरी जिलों के नागला-भजुआ-सोनाम क्षेत्र ।

७. **आन्ध्र प्रदेश :**

पूर्वी गोदावरी जिला

८. **बिहार :**

शाहबाद जिले का बिछिया-रामपुर मोहनिया क्षेत्र, गया जिले का तांगरा–थूम्बी क्षेत्र और भागलपुर जिले का महेसी–अकबरनगर क्षेत्र।

रेलवे संहिताओं का हिन्दी अनुवाद

१५२३. श्री नवल प्रभाकर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे शिब्बन्दी संहिता (एस्टेब्लिशमेंट कोड), दूसरी संहिताओं और मैन्यूअल का, जो रेलवे के नित्य प्रति काम में आते हैं, हिन्दी में अनुवाद करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ख) इस पर कितना खर्च होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) रेल संहिताओं, नियमावलियों आदि का हिन्दी अनुवाद एक नियत कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। पहले उन नियम पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है जो प्रधानत: गैर-तकनीकी किस्म की हैं। रेलवे के रोजाना काम में आने वाली कुछ रेल संहिताओं आदि का अनुवाद १९६१ तक पूरा हो जाने की संभावना है जिनमें सब्बिन्दी संहिता और नियमावलि भी शामिल है। तकनीकी नियम-पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय बन जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) चूंकि अनुवाद-कार्य अभी चल रहा है और कुछ संहिताएं संशोधित की जा रही हैं, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि इस काम पर कुल कितना खर्च होगा।

प्रविधिक रेलवे शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची शब्द

१५२४. श्री नवल प्रभाकर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कितने प्रविधिक शब्दों के अब तक हिन्दी पर्यायवाची शब्द बनाये जा चुके हैं ; और

(ख) यह कार्य कब तक समाप्त होने की आशा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के काम में आने वाले शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाने का काम शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है। उसी मंत्रालय के परामर्श से रेलवे के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाये जा रहे हैं। "यातायात" शब्दावलि के कुल २,३५० शब्दों के हिन्दी पर्याय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जा चुके हैं और रेलवे इंजीनियरिंग आदि शब्दावली के हिन्दी पर्यायवाची शब्दों की जांच अभी की जा रही है। चूंकि यह काम अभी जारी है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि यह कब तक पूरा होगा।

पत्तन तथा पोत सांख्यिकी समिति

†**१५२५. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तन तथा पोत सांख्यिकी समिति कब नियुक्त की गयी थी ;

(ख) समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) ये सिफारिशें किस हद तक कार्यान्वित की गयी हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि कलकत्ता के वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित 'भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़ों' नामक पत्रिका में भारत के पत्तनों में आये और खाली हुए जहाजों की संख्या और राष्ट्रीयता के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) ७ मई, १९५३ को।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) नौभार आंकड़ों के एकत्रित करने और संकलित करने के बारे में सिफारिश क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) जनवरी, १९५७ के बाद से कलकत्ता के वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा निकाली गयी 'भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े' नामक पत्रिका में से पोत सम्बन्धी आंकड़े निकाल दिये गये हैं। तथापि यह विभाग 'भारत में समुद्रीय नौवहन के आंकड़े' नामक एक पृथक प्रकाशन निकाल रहा है जिसमें विदेशी व्यापार और भारत के तटीय व्यापार में पोतों के बारे में आंकड़े दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

†१५२६. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने नेपाल में, भीमनगर में, कोसी परियोजना के निर्माण के बारे में बीरपुर में कोसी परियोजना के सदर मुकाम के बिलकुल समीप एक कारखाना लगाया है;

(ख) क्या यह सच है कि भीमनगर में कथित कारखाने में १००० से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं और जिनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम अपने भीमनगर कारखाने में नियोजित श्रमिकों को उनमें से कोई भी सुविधायें नहीं देता जो कि सामान्य रूप से भारतीय श्रम नियमों और विशेष रूप से कारखाना अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कर्मचारियों को दी जाती हैं।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां।

(ख) कारखाने में लगभग ७० श्रमिक हैं। उनमें अधिकांश भारतीय राष्ट्रजन हैं।

(ग) जी, नहीं।

टिड्डी निरोधक विभाग

†१५२७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का 'टिड्डी निरोधक विभाग' नामक एक विभाग है ;

(ख) पिछले दस वर्षों में इस विभाग को कितनी धनराशि आंवटित की गयी और उस पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इस अवधि में इस विभाग ने कोन कौन से क्षेत्रों में टिड्डी-विरोधी कार्य किये ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) ऐसा कोई पृथक् विभाग नहीं है। परन्तु यह कार्य पौधा सुरक्षा, निरोध और भंडार निदेशालय के अधीन "टिड्डी चेतावनी संगठन" द्वारा किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले दस वर्षों में टिड्डी सम्बन्धी कार्यों पर आवंटन और व्यय निम्न प्रकार है :

वर्ष	आवटंन	व्यय
	(रुपये)	(रुपये)
१९५०–५१	पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि पोधा सुरक्षा, निरोधा और भंडार निदेशालय के कुल आयव्ययक में टिड्डी सम्बन्धी कार्य के लिये कोई पृथक् आवंटन नहीं किया गया था।	३,७३,९८५
१९५१–५२		१६,३९,७३७
१९५२–५३		१५,१३,१९५
१९५३–५४	२०,२९,०००	३४,४६,११२
१९५४–५५	३४,१९,२००	१७,५५,९९८
१९५५–५६	३४,१९,८००	२१,२७,२४७
१९५६–५७	१७,२७,६००	२४,०४,०१८
१९५७–५८	१०,४१,०००	१०,००,२०६
१९५८–५९	७,५९,४००	८,८७,४४५
१९५९–६०	१०,१७,८००	१२,८६,६८२

(ग) पंजाब, राजस्थान और बम्बई राज्यों के मरुस्थली क्षेत्रों में जिसका कुल क्षेत्र लगभग ८२,००० वर्गमील है।

धान उगाने की चीनी पद्धति

†१५२८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है भारत में धान उगाने की चीनी पद्धति का प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग कितने फार्मों में किया गया था और उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) कुल परिवर्तनों और देखभाल के व्यय को मिलाकर प्रतिमन उत्पादन-लागत क्या आयी ; और

(घ) प्रति एकड़ भूमि में उत्पादित मात्रा और लागत से सरकार संतुष्ठ है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां।

(ख) २८ सरकारी फार्मों में यह प्रयोग किया गया था। परन्तु अभी तक केवल तीन केन्द्रों से प्रयोग के आकड़े प्राप्त हुए हैं। अतः अभी किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) दो केन्द्रों अर्थात पट्टमबी (केरल) और नसीरपुर (पंजाब) के बारे में व्यय के आंकड़े उपलब्ध हैं जो निम्न प्रकार हैं :

केन्द्र	व्यय (व्यय/एकड़)	अनाज का उत्पादन (मन/एकड़)
नसीरपुर .	४२७०	३६.३
पट्टमबी .	२८९०	१६.८

उपरोक्त व्यय में पर्यवेक्षण व्यय शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन प्रयोगों का फार्मों के पदाधिकारियों द्वारा अपने सामान्य कर्तव्यों के रूप में पर्यवेक्षण किया गया था।

(घ) अब तक प्राप्त परिणामों से खेती का चीनी तरीका अधिक धान उगाने में खेती के जापानी और स्थानीय सुधरे हुए तरीके से अधिक अच्छा नहीं लगता। इस तरीके पर व्यय भी अधिक होता है।

ऐरिमागा में प्रकाशस्तम्भ

†१५२९. **श्री मो० व० कृष्णराव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुख पर ऐरिमागा में एक प्रकाशस्तम्भ बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जी, नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। न ही किसी ने इस स्थान पर एक प्रकाशस्तम्भ बनाने का सुझाव सरकार को दिया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में सामुदायिक विकास कार्य

†१५३०. **श्री दशरथ देब:** क्या **सामुदायिक विकास और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के अमरपुर सब-डिवीज़न में सामुदायिक विकास कार्यों पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) व्यय किन किन मुख्य मदों पर किया गया ?

†**सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) दिसम्बर, १९५९ तक ८·२५० लाख रुपये।

(ख) व्यय की मुख्य मदें ये है :

(१) पशु पालन और कृषि विस्तार (२) सिंचाई (३) स्वास्थ्य और ग्राम्य सफ़ाई (४) शिक्षा (५) सामाजिक शिक्षा (६) संचार (७) ग्राम्य कला, शिल्प और उद्योग और (८) सहकारिता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मशोबरा (हिमाचल प्रदेश) में ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं के लिये स्थान

१५३१. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के ग्राम सेवक और ग्राम सेविका प्रशिक्षार्थियों के लिये हिमाचल प्रदेश में मशोबरा के स्थान पर एक संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है ;

(ख) क्या वहां प्रशिक्षार्थियों और अध्यापकों के रहने के लिये जगह की बहुत कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या पग उठा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) ग्राम सेवकों के लिये हिमाचल प्रदेश की सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र मशोबरा की सरप्लस केपेसिटी (फालतू क्षमता) को जम्मू और लाहौल-पंजाब के स्पीटी क्षेत्र के ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण के लिये प्रयोग किया गया है। लेकिन होम साइन्स विंग में जो केन्द्र से सम्बद्ध है, अब तक केवल हिमाचल प्रदेश ग्राम सेविका ट्रेनीज़ को ही दाखिल किया गया है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

खाद्य परिरक्षण उद्योग

†**१५३२. श्री ओंकार लाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार एक खाद्य परिरक्षण उद्योग की व्यवस्था कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) यह उद्योग किस स्थान पर लगाया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) से (ग). विजलीयन[1] और शीत संग्रहागार सुविधाओं, फल और वनस्पति परिरक्षण और ऐसे ही अन्य कार्यों के बारे में तृतीय पंच-वर्षीय योजना के लिये कुछ प्रस्ताव बनाये गये है। प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजपथ

१५३३. श्री पद्म देव : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से राष्ट्रीय और राज्यीय राजपथ हैं ; और

(ख) १९५६ से १९५९ के बीच उन में कितने मील की वृद्धि हुई ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २२ नामक सिर्फ एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। १९५६—५९ के बीच इस की लम्बाई में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इस बीच इसे शिमला से ९६ मील तक सभी तरह की मोटर गाड़ियों के लायक और इस के आगे ९ मील तक सिर्फ जीप मोटर गाड़ी के लायक बनाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Dehydration.

प्रदेश राजमार्गों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में मुख्य गांवों सम्बन्धी योजनायें

१५३४. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में योजना के आरम्भ से १९५९ तक मुख्य गांवों सम्बन्धी कितनी योजनायें आरम्भ की गईं ; और

(ख) प्रत्येक जिले में कितनी योजनायें आरम्भ की गईं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) अखिल भारतीय "की विलेज" योजना[1] के अन्तर्गत चार "की विलेज" ब्लाक्स और विभागीय "की विलेज" योजना के अन्तर्गत एक "की विलेज" योजना ।

(ख) महासू और बिलासपुर के प्रत्येक जिले में २ "की विलेज" ब्लाक्स और चम्बा में एक विभागीय केन्द्र ।

टेलीप्रिंटरों का निर्माण

†**१५३५. श्री दामानी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में टेलीप्रिन्टरों का निर्माण करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिये प्रति वर्ष १००० टेलीप्रिन्टर और अन्य सामान बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने का फैसला किया है ।

आयात किये गये लकड़ी के स्लीपर

†**१५३६. श्री उ० च० पटनायक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अमरीका और आस्ट्रेलिया से आयात किये गये लकड़ी के स्लीपरों और इमारती लकड़ी की (देशवार और वर्षवार) कितनी मात्रा और मूल्य है ; और

(ख) उस में कितने प्रतिशत माल खराब और नमूनें की अपेक्षा निम्न श्रेणी का पाया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) पिछले तीन वर्षों में अमरीका अथवा आस्ट्रेलिया से कोई टिम्बर आयात नहीं किया गया । जहां तक लकड़ी के स्लीपरों का सम्बन्ध है, एक विवरण संलग्न है जिस में पिछले तीन वर्षों में प्राप्त स्लीपरों की मात्रा और लगभग मूल्य बताये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Key Village Scheme.

(ख) आस्ट्रेलिया : आस्ट्रेलिया से प्राप्त स्लीपरों में कोई भी खराब या नमूने की अपेक्षा निम्न स्तर का नहीं है ।

अमरीका : जैसाकि लोक-सभा में १७-११-१९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के भाग (क) के उत्तर में बताया जा चुका है, कुछ स्लीपरों में दरारें पड़ गयीं । अभी तक ठीक संख्या का पता नहीं है और विषय विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश में मोटर-गाड़ियों म चलते-फिरते चिकित्सालय

१५३७. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिलों में मोटर-गाड़ियों में चलते-फिरते चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है और १९५९-६० में उन से कितने लोगों ने लाभ उठाया ; और

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के आन्तरिक क्षेत्रों में औषधियों के वितरण की कोई ऐसी व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हिमाचल प्रदेश के महासु, मण्डी तथा बिलासपुर जिलों में मोटर गाड़ियों में चलते-फिरते एक-एक चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है और १९५९-६० से उन से १९९९ व्यक्तियों ने लाभ उठाया है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश के आन्तरिक क्षेत्रों में औषधियों के वितरण के लिये एक खच्चर पर चलता-फिरता तथा ५ बेलदारों द्वारा ले जाये जाने वाले चिकित्सालय काम कर रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में अस्पताल

१५३८. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के आन्तरिक क्षेत्रों में ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां एक्स-रे यंत्र लगाये गये हैं ; और

(ख) ये हस्पताल किन-किन स्थानों पर हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख): हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित अस्पतालों/आरोग्याश्रमों में एक्स-रे यंत्र लगाये गये हैं :—

१. जिला अस्पताल, मण्डी ।
२. जिला अस्पताल, चम्बा ।
३. जिला अस्पताल, नहान ।
४. जिला अस्पताल, बिलासपुर ।
५. सिविल अस्पताल, सोलन ।
६. सिविल अस्पताल, रामपुर ।
७. सिविल अस्पताल, थियोग ।

८. सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर ।

९. सिविल अस्पताल, जोगिन्द्र नगर ।

१०. टी० बी० सेनेटोरियम, मन्दोघर ।

हिमाचल प्रदेश में नर्सों और दाइयों का प्रशिक्षण

१५३९. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ऐसे केन्द्र हैं जहां परिचारिकाओं (नर्सों) और दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया है और वे कहां-कहां हैं ;

(ख) १९५९-६० में उन में कितनी नर्सों और दाइयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ; और

(ग) क्या प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन सब को नौकरियां मिल गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हिमाचल प्रदेश में उपचर्या एवं धात्रि-प्रशिक्षण निम्नलिखित केन्द्रों में दिया जाता है :–

१. स्नोडन अस्पताल शिमला में सामान्य उपचर्या प्रशिक्षण का एक केन्द्र ।

२. मण्डी और नहान में सहायक नर्स-धात्रियों के प्रशिक्षण के दो केन्द्र ।

३. अर्की, रामपुर, सूनी, ठ्योग, मण्डी सुन्दर नगर, विलासपुर, चम्बा और नहान में दाइयों के प्रशिक्षण के ९ केन्द्र ।

(ख)	१. सामान्य उपचर्या . . .	२
	२. सहायक नर्स-धात्रियां . . .	९
	३. दाइयां	९२

(ग) ३ सहायक नर्स-धात्रियों के अलावा, जो हाल ही में उत्तीर्ण हुई हैं, सामान्य उपचर्या एवं सहायक नर्स-धात्रि कोर्स में उत्तीर्ण सभी उम्मीदवारों को नौकरियां दी जा चुकी हैं । प्रादेशिक परिषद् उन्हें शीघ्र ही नियुक्ति-पत्र भेज देगी ।

जहां तक दाइयों का सम्बन्ध है, यह प्रशिक्षण मुख्यतया देशी दाइयों के लिये है ताकि वे अपने व्यावसायिक स्तर में सुधार कर सकें और आन्तरिक क्षेत्र में प्रसूति के मामलों में अच्छी गृह-सेवायें दे सकें । फिर भी हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने २९ दाइयों को नौकरी दे दी है ।

हिमाचल प्रदेश में डाक्टर

१५४०. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे डाक्टर थे जिन्हों ने एक्स-रे, क्षय-रोग तथा लोक-स्वास्थ्य आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया था ;

(ख) क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डाक्टर हिमाचल प्रदेश के स्थायी कर्मचारी हैं अथवा अस्थायी कर्मचारी ; और

(ग) उन के प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५९-६० में दस डाक्टर इस प्रकार प्रशिक्षित किये गये :—

१. कान, नाक एवं कण्ठ	१
२. मलेरिया . . .	१
३. कुष्ठ .	१
४. एक्स-रे . .	१
५. परिवार नियोजन . . .	२
६. स्थितिज्ञान (पी० एच० सी०) .	४
योग .	१०

(ख) चार डाक्टर स्थायी एवं शेष अस्थायी हैं ।

(ग) प्रशिक्षण काल में इन डाक्टरों को हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने कर्तव्यस्थ माना और उन्हें उन का वेतन महंगाई-भत्ता, दैनिक भत्ता तथा कर्तव्यस्थान से प्रशिक्षण स्थान तक आने-जाने का यात्रा भत्ता दिया । इस के अलावा एक डाक्टर को ९० रु० फीस के तोर पर भी दिये गये ।

जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली

†१५४१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली के लिये जोरबाग में ३००० लाइनों का एक नया स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है ;

(ख) इमारत और लगाये गये उपकरणों की कुल लागत क्या है ;

(ग) क्या इस नये एक्सचेंज का और विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च किया जायेगा; और

(ङ) उन अतिरिक्त लाइनों को कब सम्मिलित किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना की कुल अनुमानित लागत ५६·६३ लाख रुपये है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अनुमानित धनराशि लगभग ८२·९२ लाख रुपये हैं ।

(ङ) प्रथम दो हजार जून, १९६१ तक । और दो हजार १९६२ के आरम्भ में ।

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मुझे बड़ा खेद है कि मेरे समुदाय के एक व्यक्ति पर कुछ अनुचित आरोप लगाये गये। मैं ने माननीय मंत्री को उत्तर दे दिया था। श्री डेक्रूज़ हमारे समुदाय के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। माननीय मंत्री ने मेरे पत्र की प्राप्ति की मुझे सूचना भी दी थी। उस के बाद श्री डेक्रूज के सम्बन्ध में कोई गलत बात कहना, उन के प्रति अन्याय करना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : यह सब किस बात के सम्बन्ध में है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात गत वादविवाद के सम्बन्ध में है। श्री एन्थनी ने मुझे लिखा कि अखबारों के बारे में खबर थी उन्हों ने उन के समुदाय के एक सम्मानित व्यक्ति पर कुछ आरोप लगाये। वह इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते थे। मैं ने उन के पत्र की एक प्रति माननीय मंत्री के पास भेज दी है। माननीय मंत्री उसे कल लेना चाहते थे, पर श्री एन्थनी चाहते हैं कि वह अभी स्पष्टीकरण दे दें।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो०ब०पन्त)** : मैं श्री डेक्रूज के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहता। यदि मैं ने ऐसा कुछ किया है, तो मुझे उस के लिये बड़ा खेद है। जहां तक मेरे उस वक्तव्य का प्रश्न है, श्री एन्थनी ने उस का प्रतिवाद कर दिया था। जब वह बोल रहे थे, तो उन्हें इस के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं थी। मेरी जो धारणा थी, वह मैं ने सभा में व्यक्त कर दी थी। यदि मुझ से कोई त्रुटि हो गई है, तो मैं इस के लिये खेद प्रकट करता हूं। पर मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं ने कागजात नहीं देखे हैं और यह बात ३, ४ दिन पहले की है। मुझे प्रतिदिन कितने ही पत्रों का उत्तर देना पड़ता है, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। पर मैं इसे देखूंगा। यदि मैं ने गलती की है, तो मुझे खेद अवश्य प्रकट करना चाहिये। मैं सावधानी बरतता हूं कि कभी कोई गलत बात न कहूं। यदि मुझ से कोई गलती हुई है, तो स्वयं अपने ऊपर ही मुझे बहुत खेद है। मैं समझता हूं कि यह बात यहीं समाप्त होती है। मैं इस मामले को देखूंगा और यदि मुझे कुछ और कहना होगा, तो बाद में कहूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलन

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२०४८/६०]**

दिल्ली खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में संशोधन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५६ में कुछ संशोधन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

करने वाली दिनांक २१ जनवरी, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३२ (५०) ५८–एम० एण्ड पी० एच० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०––२०४९/६०]**

मद्रास पत्तन न्यास अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: श्रीमान्, श्री राज बहादुर की ओर से मैं मद्रास पत्तन न्यास अधिनियम, १९०५ की धारा ८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २० फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४३२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०––२०५०/६०]**

हस्तशिल्प उद्योग तथा रेशम कीट पालन उद्योग के बारे में कार्यकारी दल के मूल्यांकन प्रतिवेदन

†**श्री हाथी**: श्रीमान्, श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प उद्योगों की प्रगति के मूल्यांकन के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन।

(दो) रेशम कीट पालन उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल की मूल्यांकन प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०––२०५१/६०]

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : श्रीमान्, मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय––लघु उद्योग (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली) के बारे में प्राक्कलन समिति का उन्नासीवां प्रतिवेदन–भाग २ उपस्थापित करता हूं।

लोक-लेखा समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक), १९५६-५७ और १९५७-५८ तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ और १९५९––खण्ड १ तथा २ के बारे में लोक लेखा समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि व्यवसायी विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्भकोणम्) : मैं विधि व्यवसाइयों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने और विधि व्यवसायी परिषद तथा एक अखिल भारतीय विधि व्यवसायी संघ स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि कृषि (अब खाद्य तथा कृषि) मंत्रालय के दिनांक ८ नवम्बर, १९४८ के अब तक संशोधित संकल्प संख्या एफ० १६–७२/५७–पालीसी के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसे तरीके से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, १ जून, १९६० से आरंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन, अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

बम्बई पुनर्गठन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बम्बई राज्य का पुनर्गठन करने तथा उस से सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि बम्बई राज्य का पुनर्गठन करने तथा उस से सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

†**श्री त्यागी** : (देहरादून) श्रीमान् मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरी राय में यह विधेयक संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं है क्योंकि राज्यों की संख्या के बारे में हम ने संविधान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

में निश्चित उपबन्ध किया है कि भारत में इतने राज्य होंगे, इसलिये राज्यों की संख्या बढ़ाने का विधेयक तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक संविधान का संशोधन न कर दिया जाये। संविधान में संख्या निश्चित है, अतः पहले हमें संविधान में संशोधन करना होगा फिर नया राज्य स्थापित करने के लिये विधेयक लाया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को विधेयक के पुरस्थापन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव के स्वीकृत होने से पहले यह प्रश्न उठाना चाहिये था। अब आप को देर हो गई है अब यह प्रश्न विधेयक पर विचार के समय आप उठा सकते हैं, इस समय नहीं।

धार्मिक न्यास विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री हजरनवीस :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

दक्षिण अफ्रीका में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में संकल्प

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** मैं ने आज सभा में पेश करने के लिये एक संकल्प की सूचना दी थी। मैं उस के अल्फ़ाज़ में थोड़ी तब्दीली करना चाहता हूं। एक जगह का नाम उस में और जोड़ना चाहता हूं। जिस से कि वह संकल्प तथ्यों के मामले में ज्यादा सही हो जाये। उस संकल्प को संशोधित रूप में पढ़ने के लिये मैं आप की इजाज़त चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा २१ मार्च, १९६० को दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन के निकट शार्पविल और लगा की बस्ती में हुई दुखद घटनाओं की, जिन के फलस्वरूप पुलिस की गोली से बहुत से अफ्रीकी मारे गये, निन्दा करती है और उस पर गहरा शोक प्रकट करती है। इस गोली-काण्ड और जातीय भेद-भाव की नीति से तथा अफ्रीका

†मूल अंग्रेज़ी में

निवासियों के अपने ही देश में दमन से जिन अफ्रीकियों को कष्ट हुआ है, उन्हें यह सभा अपनी हार्दिक सहानुभूति भेजती है ।"

अभी एक दो दिन हुए जब सभा में इस दुखद घटना का जिक्र आया था, तब मैं ने इस के बारे में कुछ कहा था । मैं ने यह कहा था कि इस सभा को ही नहीं, बल्कि समूचे देश को दक्षिण अफ्रीका की इस घटना की खबर सुन कर एक बड़ा धक्का लगा है । अब मैं आज उसी सिलसिले में एक यह संकल्प पेश कर रहा हूं । सभा खुद देख सकती है कि इस संकल्प में मैं ने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किय हैं वे हमारे जज्बात हमारी भावनाओं के मुकाबले में काफी कुछ नरम से हैं । मैंने जान बूझ कर ऐसा किया है । इसलिये नहीं कि हम में से कोई इस घटना से कुछ कम उत्तेजित हुआ है । यह तो एक ऐसी घटना है जिस ने इस सभा के सदस्यों के ही नहीं, हमारे पूरे देश की जनता के ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक काफी बड़े हिस्से के लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा उभार दिये हैं । लेकिन मैं ने इस सभा और संसद् की शान इसी बात में समझी कि हम एक नपे-तुले ढंग से अपने अल्फ़ाज़ चुनें, अपनी भावनाओं को कुछ सीमित प्रकार से व्यक्त करें और सख्त अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल न करें । यह मामला इतना गम्भीर है कि सिर्फ कुछ सख्त अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर के हम इसे निबटा या भुला नहीं सकते । वैसे तो आम तौर पर यह सभा ऐसे मामलों पर विचार नहीं करती, जो किसी दूसरे देश के अन्दरूनी मामलों से ताल्लुक़ रखते हों । हम भी यह पसंद नहीं करेंगे कि कोई दूसरा देश हमारे अन्दरूनी मामलों के बारे में अपन यहां बहस करे । आम तौर पर तो यह होता है, और यह ठीक भी है । फिर भी, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसी घटनायें हो जाती हैं, जो आम तौर पर नहीं हुआ करतीं, जो आम तौर की घटनाओं से इतनी ज्यादा मुख्तलिफ होती हैं कि उन के बारे में आम तौर से किये जाने वाले क़ाम का ढंग अपनाना मुश्किल हो जाता है ; मुश्किल ही नहीं, बुरा भी लगता है । ऐसे वक्त में जबकि लोग इतने उत्तेजित हों और उन की भावनाओं को चोट पहुंती हो तो उस वक्त किसी सामान्य प्रथा से चिपके रहना बड़ा बेतुका सा लगता है । आखिर इस सभा को अपने देश की जनता की भावनाओं का कुछ सीमा तक दर्पण होना चाहिये । इसलिये, हालांकि यह आम प्रथा नहीं है, लेकिन हम ने महसूस किया कि इस इतनी बड़ी दुखद घटना के बारे में इस सभा को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक मौका दिया जाना चाहिय ।

दक्षिण-अफ्रीका में पिछले हफ्ते लोगों को जिस तरह मौत के घाट उतारा गया है, वह खुद अपने-आप में एक बड़ी बुरी चीज है । लेकिन जिस ढंग से इतने ज्यादा आदमियों को वहां मौत के घाट उतारा गया है, हमारी खबरों के मुताबिक उस के लिये जो ढंग वहां अपनाया गया है, वह और भी बुरा है । इस सिलसिले में आप को याद रखना चाहिये कि इन सारी घटनाओं के पीछे, इन की जड़ में एक खास नीति है, जिस पर दिक्षण अफ्रीका की सरकार चल रही है । इस नीति पर जिसे जातिभेद या एक जाति विशेष की श्रेष्ठता आदि की नीति कहा जाता है, एक ब्यौरेवार बहस करने का यह वक्त नहीं है । लेकिन हमें यहां यह जरूर समझ लेना चाहिये कि उस नीति के पीछे, उस की जड़ में कौन से उसूल हैं, और उस का अमल क्या है । अगर उसूल के नजरिये से देखा जाये, तो उस के उसूल हर उस चीज़ या उसूस के बिलकुल खिलाफ पड़ते हैं जिन को संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है, और जाहिर है कि जिन्हें हम मानते हैं । और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ही नहीं, आज की हर सभ्य सरकार की नीति में भी जिन उसूलों को सामने रखा जाता है, उन सभी उसूलों के कतई खिलाफ पड़ते हैं ये दक्षिण अफ्रीकी सरकार के उसूल । कोई भी सभ्य-पसन्द सरकार इन की हामी नहीं है और यह एक बड़ी गम्भीर बात है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुछ अर्से पहले दुनिया के अधिकतर लोगों ने जर्मनी की नाजी हुकूमत की जाति-भेद की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलन्द की थी, उन की निन्दा की थी। कहा गया था कि नाजी हुकूमत की नीतियों की वजह से ही एक बड़ी जंग हुई थी। उस की कई और वजहें भी थीं, लेकिन उस में नाजी सरकार की श्रेष्ठ जाति मानने वाली नीतियों का भी काफी हाथ माना जाता था। नाज़ी लोग सोचते थे कि वे एक ऊंची जाति के लोग हैं, और इसीलिये वे अपने से नीची जातियों को दबा-कुचल सकते हैं, यहां तक कि उन को नेस्त-नाबूद करना उन का अधिकार है। दूसरी जाति के लोगों को वे आदमी से, इंसान से कुछ नीचे दर्जे का समझते थे। अब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उसी नीति को, उस के उसूलों को अपना लिया है और वह खुले आम उन का ऐलान कर रही है : इस सभा में कई बार कहा जा चुका है कि ऐसी नीति का एक लाजिमी नतीजा यही होगा कि एक मुसीबत खड़ी हो जाये। इसलिये कि दक्षिण अफ्रीका के दूसरे मुल्क तो क्या दुनिया के किसी भी हिस्से के लोग ऐसी नीति को न तो मंजूर कर सकते हैं और न वे इस के सामने सिर ही झुकायेंग यह तो एक उसूल की बात हुई---रंगभेद, जाति-भेद के उसूल की बात। लेकिन शायद माननीय सदस्यों को इस नीति के अमल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। ज्यादा लोगों को यह नहीं मालूम कि अफ्रीकी लोगों को वहां किन हालत में अपनी जिन्दगी बसर करनी पड़ती है, किस तरह वहां पति अपनी पत्नी से और पिता अपन पुत्र से अलग, दूर रहने पर मजबूर किया जाता है। वे लोग वहां खास तौर पर इजाजत लिये बिना या पास वग़ैरा के बिना न अपनी जगह छोड़ सकते हैं और न कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर किसी को अपने गांव या शहर से बाहर थोड़ा सा भी काम पड़े तो उन्हें उसी वक्त, कुछ ही घंटों में अपना गांव या शहर बिलकुल छोड़ देना पड़ता है, फिर चाहे वे वहां अपने बाप दादों के जमाने से रहते चले आये हों। लेकिन मैं उसके ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सवाल सिर्फ उसूल के गलत होने का नहीं है, सवाल यह है कि उसका अमल और भी बुरा है, वहां की सरकार अफ्रीकी लोगों को बिल्कुल पैरों तले रौंदती रहती है। और यह तब जब कि अफ्रीका का वह देश अफ्रीकी लोगों का अपना घर है उनकी अपनी जन्म भूमि है। अफ़्रीकी लोग कहीं बाहर से आकर तो वहां नहीं बसे थे। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ़्रीका में बसने वाले भारतीय लोगों के साथ भी कैसा भेद भाव का सलूक किया जाता रहा है। उनको कितना तंग किया जा ता रहा है। हम उसके बारे में विरोध प्रकट कर चुके हैं। लेकिन खुद अफ़्रीकी लोगों को तो हमारे लोगों से कहीं ज्यादा बेहिसाब तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हमें अपने लोगों से ज्यादा हमदर्दी उन अफ़्रीकी लोगों के साथ है जो इतना दुख सह रहे हैं।

मैं अपना यह संकल्प उन घटनाओं के ठीक एक हफ्ते बाद पेश कर रहा हूं। अफ़्रीकी लोगों की कुछ जमातों ने आज का दिन अफसोस जाहिर करने का दिन रखने का ऐलान किया है। और मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक यह ठीक ही रहा है कि हम इसी दिन, इस संकल्प पर विचार कर रहे हैं।

अभी इंग्लैंड के प्रधान मंत्री दक्षिण अफ़्रीका गये थे। और उन्होंने शायद दक्षिण अफ़्रीका में ही इस बात का जिक्र किया था कि पूरे अफ़्रीकी महाद्वीप में एक नई हवा, एक नई लहर चली है तबदीली की। उनके अल्फाज बड़े ही नरम थे। उनका मतलब अफ़्रीका में आने वाली नई चेतना की बाढ़ से एक उठने वाले तूफान से था। जो कुछ भी हो, लेकिन इतना साफ है कि दक्षिण अ ीका की सरकार ने तब्दीली के लिये उठने वाले इस तूफान पर गौर नहीं किया, उसका पूरा-पूरा मतलब नहीं समझा, या शायद उनको देखने, समझने और महसूस करने के बाद भी, उनकी वजह से अपनी

नीति में कोई तब्दीली नहीं की है । उस सरकार ने इसके बाद भी वहां एक नया ढंग चलाया है कि हर आदमी जहां भी जाये अपने साथ एक पास ले जाये और वह कुछ खास इलाकों में जा भी नहीं सकेगा । आप जरा सोचिये कि अगर हर आदमी को हर वक्त और हर जगह अपने पास एक पास रखना पड़े और हर जगह पुलिस बस पास को देखने के लिये उसे तंग करे, तो उसकी जिन्दगी कैसी हो जायेगी । वह तो एक कैदी की जिन्दगी, पैरोल पर छूटे हुये एक कैदी की जिन्दगी हो जाती है । अफ्रीकी लोगों को इसी के लिये मजबूर किया गया है । तब फिर इसमें ताज्जुब ही क्या कि उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज बुलन्द की है, इस पर नाराजगी जाहिर की है ।

वहां की घटनायें किस सिलसिले में हुई, यह तो मैं बिना अधिक जानकारी के नहीं बता सकता लेकिन एक मोटे तौर पर इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके खिलाफ उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है । हमारी जानकारी तो यही है । हिंसा की एक दो मिसालें यहां वहां हो सकती हैं, लेकिन मैं अभी ठीक-ठीक कुछ नहीं कह सकता । लेकिन आम तौर पर उनका आंदोलन शांतिपूर्ण ही था । फिर भी उनको मशीनगनों से उड़ा डाला गया, और साथ ही उनको डराने के लिये आसमान में जेट हवाई जहाज उड़ाये गये और जमीन पर उनके चारों तरफ लड़ाई की मशीनें सटा दी गई ।

मौजूदा दुनिया को देखते हुये, सभ्यता और तहजीब के नजरिये से यह एक बड़ी ही हैवतनाक बात है । और इसमें ताज्जुब की जरा भी गुंजाइश नहीं कि सारी दुनिया के लोग इस पर इतने उत्तेजित क्यों हो उठे हैं । मुझे यकीन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में यह सवाल जरूर उठाया जायेगा । वैसे आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र संगठन देशों के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं देता । कभी कभी उसने दखल दिया भी है, और बिलकुल ठीक दिया है । उसने अन्दरूनी मामलों पर भी बहस की है । कुछ लोग कह सकते हैं कि इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संगठन में विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर का उल्लंघन होता हो या अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो । एक तरह से, बिलकुल अल्फाजी मायनों में तो यह ठीक है । लेकिन अगर अल्फाज के असली मायने लगाये जायें, चार्टर का असल मंशा देखा जाये, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र संगठन को विचार करना तो चाहिये, इसलिये कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिये कि इस मामले का एक बहुत ही निकट संबंध स्वयं मानवता से है ।

इस समस्या का लाजिमी नतीजा यही हो रहा है और आगे भी यही होगा कि इंसानियत कुछ ऐसे हिस्सों में बंट जायेगी जो आपस में जूझते रहेंगे । यह चीज तो दो देशों की लड़ाई, उनकी खुली जंग से भी बुरी होगी कि सारी दुनिया के लोग जातियों में बंटकर, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहें । मैं यह नहीं कहता कि ऐसा होकर ही रहेगा, लेकिन हां, हो जरूर सकता है अगर ऐसी नीतियों पर अमल जारी रखा गया ।

इसलिये इस मामले का ताल्लुक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से नहीं है । इसका असर पूरे अफ्रीका पर, और हमारे ऊपर भी पड़ता है, बड़ी अजीब सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक सदस्य अपनी सरकार की ताकत अपने इलाके में दूसरी कौमों पर, अपनी कौम का बड़प्पन लादने के लिये, दूसरी कौमों को दबाने कुचलने के लिये कर रहा है, एक ऐसे काम के लिये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जिसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर में बुरा बताया गया है ।

मैंने आपके सामने इसकी पूरी एक तसवीर रख दी है । कि इसके पीछे क्या है और आगे यह क्या शकल अख्तियार कर सकता है । इसीलिये, मुझे सभा के सामने यह संकल्प रखना पड़ रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†श्री ब्रजराज सिंह :(फिरोजाबाद) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री खाडिलकर (अहमदनगर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री हेम बरुआ :(गौहाटी) : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तु करता हूं ।

†श्री खुशवक्त राय : (खेरी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करूंगा । प्रधान मंत्री ने अपने संकल्प में "शार्पविल" का नाम सम्मिलित कर ही लिया है ।

†अध्यक्ष महोदय: इस संकल्प पर चर्चा भी उसी भावना से की जानी चाहिये, जिससे प्रेरित होकर प्रधान मंत्री ने यह संकल्प रखा है ।

†श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई नगर–मध्य) : मैं माननीय प्रधान मंत्री के इस संकल्प का समर्थन करता हूं । मैं संकल्प की भावना से पूर्णतया सहमत हूं । द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, एशिया के कई देश आजाद हुये हैं । अफ्रीका में भी आजादी की लड़ाई चल रही है । लेकिन साम्राज्यवादियों ने अभी तक आजादी के इस आंदोलन की शक्ति को समझा नहीं है, और इसी से वह इसका प्रतिरोध कर रहे हैं ।

आखिरी जीत अफ्रीका वासियों की ही होगी । सवाल यह है कि हमें उसमें क्या योग देना चाहिये । बड़े बड़े देशों ने ही अफ्रीका के स्वर्ण, हीरों और खनिज सम्पदा के लिये वहां श्वेत जातियों की थोपा है । उन्होंने समूचे अफ्रीका को गुलामी का एक अड्डा बना दिया है ।

इसलिये इसका दायित्व उन देशों पर ही है जो अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाये हुये हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वहां रंग और जाति भेद की नीति का समर्थन कर रहे है । इसलिये उचित यही है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने चार्टर के सिद्धांतों के अनसार इस अमानवीय नीति और दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाये ।

दूसरो चीज यह है कि हमारे प्रधान मंत्री को राष्ट्र मंडलीय सम्मेलन में अफ्रीका की इस समस्या को इस ढंग से पेश करना चाहिये कि दूसरे देशों की जनता इस नीति के विरूद्ध हो जाये । यदि इंग्लैंड, अमरीका और फ्रांस दक्षिण अफ्रीकियों के इस दमन और जाति भेद को खत्म करने का निर्णय कर लें, तो यह खत्म हो जायेगा ।

अलजीरिया में भी आजादी की लड़ाई चल रही है । घाना और उगांडा तो आजाद हो ही चुके हैं । इसी तरह पूरा अफ्रीका आजाद होकर रहेगा । दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भी यह समझ लेना चाहिये कि दक्षिण अफ्रीका की जनता इस आजादी की लड़ाई में अकेली नहीं रहेगी, इसे अफ्रीका के अन्य आजाद देशों और बाहर के देशों से भी मदद मिलेगी ।

इसलिये अफ्रीकी जनता की यह लड़ाई हर इंसान की लड़ाई है, जाति भेद के खिलाफ पूरी मानवता की लड़ाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सर्वसम्पत्ति से पारित हो।

†**आचार्य कृपलानी** : (सीतामढ़ी) : मैं अपने दल की ओर से इस संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। अफ्रीका में यह कत्ले-आम एक ऐसी घटना है जिसका संबंध पूरी मानवता से, पूरे संसार से है। यह किसी एक देश का अन्दरूनी मामला नहीं रह गया है।

इस घटना पर हमें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन साथ ही हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि आज हम जिस क्रूरता की निन्दा कर रहे है, कल कहीं हम खुद भी वही न करने लगें।

मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित–आंग्ल भारतीय) : मैं स्वतंत्र दल की ओर से इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

प्रधान मंत्री ने यह बड़ीही सही बात कही है कि इस संकल्प को पारित करके, हम किसी भी देश के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की इस घटना का संबंध समूची मानवता से है। यह पूरे सभ्य संसार को, लोकतांत्रिक संसार को और राष्ट्र मंडल को एक चुनौती है।

मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि जाति-भेद की यह नीति आगे चल कर पूरे संसार के लिये एक विपत्ति बन सकती है। दक्षिण अफ्रीका के निवासियों की यह हत्या जाति-भेद का सबसे क्रूरतम उदाहरण है। यदि पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों की ओर से इस क्रूरता को रोकने के लिये कुछ न किया गया, तो शायद दक्षिण अफ्रीका की जनता कम्युनिस्ट देशों की ओर झुक जायेगी। इसलिये कि कम्युनिस्ट लोग ऊपरी तौर से तो जातियों की समानता का नारा देते ही हैं। यह अफ्रीका में लोकतांत्रिकता की पराजय होगी।

दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बड़े बड़े नेता जाति-भेद की जिस तरह दुहाई देते हैं उससे पता चलता है कि उन्हें नेतृत्व शास्त्र और इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। इतिहास की दृष्टि से श्वेत जातियों का प्रभुत्व कोई बड़ी पुरानी चीज नहीं है। नीग्रो जाति ने विश्व संस्कृति के विकास में काफी बड़ा योग दिया है। संसार की प्राचीनतम संस्कृति श्वेत जातियों की संस्कृति नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत जातियों के ये सिद्धांतकार इतिहास की धारा के प्रवाह को रोक नहीं सकते।

अन्त में अफ्रीका स्वतंत्र होकर ही रहेगा।

आशा है कि राष्ट्र मंडलीय देश इसके बारे में कड़ा रूख अपनायेंगे। जाति भेद की नीति लोकतांत्रिका से मेल नहीं खाती।

†**श्री प्र० के० देव** : (कालाहांडी) मैं गणतंत्र परिषद् की ओर से प्रधान मंत्री के इस संकल्प का पूरा पूरा समर्थन करता हूं। इन निर्मम हत्याओं के लिये मैं दक्षिण अफ्रीकी सरकार की निन्दा करता हूं और उन शहीदों को अपना सलाम भेजता हूं। बड़ा विचित्र सा लगता है कि कुछ लोग १९६० में भी जाति-भेद और रंग-भेद की इस नीति पर चलते हैं और अपने को सभ्य भी कहते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संगठन के मानवीय अधिकारों के चार्टर को मानने का भी दावा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री को संयुक्त राष्ट्र संगठन में यह प्रश्न उठाना चाहिये और इसके बारे में उचित कार्यवाही की व्यवस्था करनी चाहिये।

हमारे प्रधान मंत्री को इस अवसर पर राष्ट्र मंडल से नाता तोड़ने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये। हम दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ राष्ट्र मंडल में कैसे बैठ सकते हैं ?

मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं इस संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें इससे कुछ अधिक स्पष्ट कहा जाये। इस संकल्प की भाषा बड़ी नरम है। हमने देखा है कि इसके लिये अन्य देशों में और भी कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इससे कहीं ऐसा न हो कि लोग इस हिंसा की शिकार बनने वाली अफ्रीकी जनता को भी एक किसी हद तक दोषी समझें। लेकिन तथ्य तो यह हैं कि अफ्रीकी जनता ने अपनी ओर से जरा भी हिंसा नहीं की।

मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाये। हमारे प्रधान मंत्री को राष्ट्र मंडलीय सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के प्रधान मंत्री के साथ बैठने से इन्कार कर देना चाहिये। सुरक्षा परिषद् में हमारे प्रतिनिधि को इन घटनाओं की जोरदार निन्दा करनी चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति नासेर के साथ बैठकर अगला बांडुग सम्मेलन अफ्रीका में कहीं रखने का कार्यक्रम बनाना चाहिये। राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया जाना चाहिये।

†**श्री खाडिलकर** : प्रधान मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत करते समय जो कुछ कहा, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं।

प्रधान मंत्री ने शुरू में कहा कि यह मामला बहुत कुछ हद तक अन्तरिक सीमा क्षेत्र का है। मुझे उनकी बात पर बहुत आश्चर्य है। आज दुनिया की हालत ऐसी है, कि ऐसी बातों को हम स्थानीय या घरेलू बात कह कर टाल नहीं सकते। फिर अफ्रीका का हमारा पुराना संबंध है। वहां की जनता अपनी आजादी के लिये उन्हीं साधनों का इस्तेमाल कर रही है, जिनका हमने किया था अर्थात् शांतिपूर्ण सत्याग्रह का। अतः अफ्रीका की घटनाओं के संबंध में हमें पूरी आवाज के साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये।

अफ्रीका में पास प्रणाली है। यह एक प्रकार का बन्धन है अफ्रीकी मजदूरों पर। उन्होंने किसी अन्य स्थान पर जाने से रोकने के लिये ही ये पास दिये गये हैं। इस प्रकार वहां के अंग्रेजों ने वहां के निवासियों को बिल्कुल अपनी अधीनता में कर रखा है। आज की दुनिया इस बात को सहन नहीं कर सकती। सभी ओर से अफ्रीका निवासियों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गयी है। आज दब कर रहने की आवश्यकता नही है। आज भारत के लिए वह समय आ गया है, जब उसै खुललर कहना पड़ेगा कि भारत अफ्रीकावासियों के साथ है उनके स्वतंत्रता संघर्ष में उनके सामाजिक समानता व मानवीय सम्मान के संघर्ष में।

यह मामला एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिये कि वह उन राष्ट्रों के विरूद्ध कार्यवाही करे जो मानवीय अधिकार पत्र का उचित पालन नहीं करते। भारत इस तरह की नीति का समर्थन नहीं कर सकता और न वह इस बात को बरदाश्त ही कर सकता है। अतः आवश्यक है कि हम इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज अणुबमों की समस्या है, उससे होने वाली हानियों की समस्या है। पर उससे भी अधिक खतरनाक एक समस्या है और वह है—जातीय भेदभाव की या रंग भेदभाव की। हमें इसके लिये कुछ करना है। दक्षिणी अफ्रीका की जनता इस भेदभाव के कारण पीसी जा रही है। उसे मुक्त कराने के लिये हमें लोकमत तैयार करना है। वहां की जनता की भी हमें हर तरह की मदद करनी है। इसे इस अनैतिक रंग भेदभाव की नीति को समाप्त करना ही होगा।

अन्त में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यह रंग भेदभाव की नीति संसार का युद्ध बन जायेगी केवल एक क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहेगी। अतः मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री इस मामले में अपना पूर्ण समर्थन करेंगे तथा अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट करें। अफ्रीका की जातियों के स्वतंत्रता आंदोलन में सहानुभूति प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है।

†**श्री शिव राज** (चिगलपट–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : भारत की रिपब्लिकन पार्टी की ओर से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

हम अफ्रीका की जातियों के कष्टों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। हम सभी प्रकार के भेदभाव के विरोधी हैं—चाहे रंग संबंधी भेदभाव हो या जाति संबंधी।

मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भी उपयुक्त अवसर पर इस मामले को उठायें और अपने विचार प्रकट करें।

साथ ही मैं इस सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि वह केवल ऐसे अवसरों पर ही वह इस भेदभाव के प्रति अपना विचार प्रकट करके ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री न समझ ले बल्कि लगातार इस बात की मांग करें कि संसार के किसी भी भाग में इस प्रकार का भेदभाव न बरता जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : प्रधान मंत्री तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जो कुछ कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार वहां की शांतिप्रिय जनता पर बड़े अत्याचार कर रही है और हम उसकी निन्दा करते हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि भारत राष्ट्र मंडल की सदस्यता छोड़ दे, पर इतना अवश्य कहूंगा कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार राष्ट्र मंडल की सदस्य है और उसका यह कार्य राष्ट्र मंडल के सम्मान के प्रति एक धब्बा है। माननीय प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को अवश्य उठाना चाहिये।

हमें इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाना चाहिये।

आज दक्षिणी अफ्रीक पर ६ यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभुत्व है। वे वहां पर विदेशियों के रूप में गये थे। पर धीरे-धीरे वे वहां के स्वामी बन बैठे और वहां के मूल निवासी विदेशी बन गये। आज मूल निवासियों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है और उन्हें यातनायें दी जा रही हैं। माननीय मंत्री को चाहिये कि वह कुछ उपाय करें ताकि वहां के निवासियों पर अत्याचार न किये जायें।

वहां की जनता आखिर क्या चाहती है। वह समान अधिकार, समान नागरिकता और समान व्यवहार चाहते हैं। हमें उनकी मांगों के साथ पूर्ण सहानुभूति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये हम सभी प्रधान मंत्री की प्रशंसा करते हैं। इस मामले को इसे किसी देश या दल के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये बल्कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखना चाहिये। आज संसार में एक अशांति व्याप्त है। हमें उसकी जड़ तक जाने की आवश्यकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : आज अफ्रीका गुलामी से जाग कर स्वतंत्रता के लिये युद्ध कर रहा है। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार वहां के निवासियों पर अमानवीय अत्याचार कर रही है। सरकार का यह रवैया मृत साम्राज्यवाद का दिखावा है, जिसकी हम निन्दा करते हैं, अफ्रीका निवासी मनुष्य की भांति रहने का अधिकार मांगते हैं, और वह भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उल्टे उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। निहत्थों पर मशीन-गनों का प्रयोग किया जा रहा है।

सुरक्षा परिषद् में इस संबंध में शिकायत हो चुकी है। पर इस संबंध में सुरक्षा परिषद् कुछ करेगी या नहीं, यह सन्दिग्ध है। अतः मेरा निवेदन है कि हमारे प्रधान मंत्री प्रधान मंत्रियों की बैठक में यह बात उठायें और दक्षिण अफ्रीका की सरकार को यह नीति छोड़ने के लिये वाध्य करें।

अन्त में मेरा निवेदन है कि यदि संभव हो तो प्रधान मंत्री अफ्रीका की जनता की सहायता के लिये भारत में धन संग्रह करवायें ताकि जो लोग इस दुर्घटना के शिकार हुये हैं, उनके परिवारों को मदद दी जा सके।

अन्त में मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रधान मंत्री के संकल्प का समर्थन करता हूं। यह संकल्प केवल हमारी ही नहीं बल्कि सभी मानवता वादियों की आवाज है। आज संसार की सभी शांति-प्रिय सरकारों के लिये यह संकल्प एक चुनौती है, यह उनकी परीक्षा का समय है। मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिये हम अपने प्रधान मंत्री के साथ हैं और उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं।

मैनचेस्टर गार्जियन ने भी दक्षिणी अफ्रीका वासियों के इस युद्ध को उचित कहा है। आज अफ्रीका वासियों में जो जागृति पैदा हुई है, वह बल द्वारा नहीं दबाई जा सकती। यह जागृति एक न एक दिन सफल होगी और अफ्रीका की जनता अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल होगी और वह दिन मानवता की विजय का दिन होगा।

मैं अफ्रीकावासियों की सफलता की कामना करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संकल्प की भावना को अधिक प्रभावी बनाने के लिये, मैं चाहता हूं कि इसे सर्व सम्मति से स्वीकृत किया जाये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्री खाडिलकर** : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं भी अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्यों को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा २१ मार्च, १९६० को दक्षिण अफ़्रीका में केपटाउन के निकट शार्पविल और लैंगा की बस्ती में हुई दुखद घटनाओं की, जिनके फलस्वरूप पुलिस की गोली से बहुत से अफ़्रीकी मारे गये, निन्दा करती है और उस पर गहरा शोक प्रकट करती है । इस गोली-कांड और जातीय भेद-भाव की नीति से तथा अफ़्रीका निवासियों के अपने ही देश में दमन से जिन अफ़्रीकियों को कष्ट हुआ है, उन्हें यह सभा अपनी हार्दिक सहानुभूति भेजती है ।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उपरोक्त दुर्घटनाओं पर अपना शोक प्रकट करने के लिये वे अपने स्थानों पर मौन खड़े हों ।

इसके पश्चात माननीय सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

अनुदानों की मांगें

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (संख्या ७३ से ७९ और १२८) पर चर्चा करेगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर देदें ।

वर्ष १९६०–६१ के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७३	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय .	३०,९४,०००
७४	पुरात्व	१,११,८८,०००
७५	भारत का सर्वेक्षण	१,८२,५७,०००
७६	वानस्पतिक सर्वेक्षण	१५,८३,०००
७७	प्राणिकीय सर्वेक्षण	११,५४,०००
७८	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य . .	१५,६३,८७,०००
७९	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन विधि विभाग और व्यय	३७,४८,०००
१२८	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,७५,६१,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : अध्यक्ष महोदय, यह वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के कार्य का पहला पूरा वर्ष है और इस दौरान सीमित व्यक्तियों, सामग्री और धन से हमने जो कार्य किया है उसका संक्षिप्त विवरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। मैं केवल कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर सकूंगा और सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि पूरी जानकारी के लिये वे वार्षिक विवरण का अध्ययन करें।

वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना "सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान के ग्रीष्मकालीन स्कूल" का लगना था जिसमें इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अग्रणी व्यक्ति स्वतंत्रता के पश्चात् किये गये कार्य का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिये पहली बार एकत्र हुये। औपचारिक भाषणों और गोष्ठियों के अतिरिक्त छोटे छोटे समूहों में विशेष विषयों पर सारा दिन अनौपचारिक रूप से चर्चा होती रही। इसके परिणाम दो खंडों में प्रकाशित किये गये हैं और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किये गये कार्य का सुसम्बद्ध ब्यौरा संभवतः पहली बार इनमें दिया गया हैं।

मैं अपने मंत्रालय के तत्वाधान में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के लिये किये जाने वाले पहले भारतीय प्रयत्न का जिकर करना चाहूंगा। हमें प्रसन्नता है कि पर्वतारोहण क्षेत्र में हमारा पहला अभियान सफल रहा जबकि एक भारतीय दल ने १९५८ में चोयू पर चढ़ने में कामयाबी प्राप्त की। मुझे विश्वास है कि एवरेस्ट शिखर पर इस वर्ष चढ़ाई करने वाले हमारे दल की सफलता के लिये सभा शुभ कामनायें प्रकट करेगी।

चालू वर्ष में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हवाई जहाजों से किये जाने वाले सर्वेक्षण और हमारे सीमांत क्षेत्रों के नक्शे बनाने के काम में काफी प्रगति की है। राष्ट्रीय एटलस संगठन भारत के प्रामाणिक मान-चित्रों का पहला सेट शीघ्र ही प्रकाशित करने वाला है।

विदेशों से सांस्कृतिक संबंध बनाने के क्षेत्र में १९५९–६० की महत्वपूर्ण घटना पिछले पांच हचार वर्षों की भारतीय कलाकृतियों की प्रदर्शनी थी, जिसे जर्मनी और स्विटजरलैंड में दिखाया गया। चारों ओर से मिलने वाले समाचारों से यह प्रकट होता है कि इसे महान सफलता प्राप्त हुई और यूरोप के निवासियों पर भारतीय कला की महानता, विविधता और गहराई का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में यह प्रदर्शनी फ्रांस में आरम्भ होने वाली है और उसके पश्चात् वियना और रोम में इसका आयोजन किया जायेगा।

मैं गंगटोक और लद्दाख में तिब्बत विद्या और बौद्ध मत के अध्ययन के संबंध में चलने वाले कार्यों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। काफी लम्बे समय से हमें यह ज्ञात है कि भारतीय भाषाओं के कई ग्रन्थों की पांडुलिपियां, जो यहां गुम हो चुकी हैं, तिब्बत में उपलब्ध हैं। हमें आशा है कि तिब्बत में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पश्चात् भारत आये तिब्बती विद्वानों की सहायता से हम भारत और विश्व के अन्य भागों में पायी जाने वाली पांडुलिपियों की खोज कर सकेंगे और उनका सम्पादन कर सकेंगे।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

हमने तिब्बत के शरणार्थी विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये भारत की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में स्नातक-पूर्व स्तर पर विशेष प्रबन्ध किये हैं।

इस वर्ष देश के अन्दर भी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम का पर्याप्त विस्तार हुआ है। सब से पहले मैं आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के कार्यक्रम का उल्लेख करूंगा

†मूल अंग्रेजी में

"वंडर वर्ल्ड आफ सांइस' (विज्ञान का आश्चयजर्नक संसार) का प्रथम खंड बंगाली, हिन्दी, मराठी और तामिल में प्रकाशित हो गया है और अन्य भाषाओं के संस्करणों का काम जारी है। हमने सभी भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक और टेकनिकल पुस्तकों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी और इन सभी विषयों पर जल्दी से जल्दी और अधिक अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये गये हैं। मंत्रालय सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में पुरातत्व के संबंध में एक पुस्तक का प्रकाशन कर रहा है और नृतत्व शास्त्र और अन्य मुख्य वैज्ञानिक विषयों पर ऐसी ही पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। मानव शास्त्र, भौतिक विज्ञान और समाज शास्त्र की प्रत्येक महत्वपूर्ण शाखाओं के संबंध में प्रत्येक भारतीय भाषा में पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहन देना हमारा उद्देश्य है। अकादमियों ने भी साहित्य, ललित कलाओं और संगीत के क्षेत्र में प्रकाशन का अपना कार्यक्रम जारी रखा है और राष्ट्रीय संग्रहालय ने अपना पहला एल्बम प्रकाशित कर दिया है। पहली भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित कर दी गयी है। इसके साथ साथ भारत विद्या संबंधी ग्रंथ सूची का पहला खंड प्रकाशित कर दिया गया है और संग्रहालयों की नई निदेशिका, जो पिछले बीस सालों में अपने प्रकार का पहला प्रकाशन है, भी प्रकाशित की गयी है।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास का पहला खंड तैयार हो गया है और शीघ्र ही उसे छपने भेज दिया जायेगा।

हमने पहली बार दो प्रतिष्ठित विद्वानों को मानव शास्त्र का राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया है, डा० आर० बी० पाल को न्यायशास्त्र का और डा० पी० वी० काने को भारत विद्या (इन्डोलाजी) का।

विभिन्न राज्यों के संग्रहालयों के विकास में भी पर्याप्त प्रगति की गयी है। हमने राज्य संग्रहालयों, क्षेत्रीय संग्रहालयों और अन्य विशेष संग्रहालयों को सहायता दी है और महत्वपूर्ण पुरातत्वीय स्थानों पर संग्रहालय स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की है।

भारत और विदेशों में टैगोर शताब्दी समारोह मनाने का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थायी समारोहों की अपेक्षा स्थायी स्मारक बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा। इस अवसर का उपयोग प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थायी नाट्यशालायें स्थापित करने और भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पहलू—उसकी विविधता और व्यापकता—के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये किया जायेगा। तीनों अकादमियों के मुख्य कार्यालय की इमारत का नाम रवीन्द्र भवन रखा जायेगा। इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नाट्य कला के विकास के प्रोत्साहन और पुनरूत्थान के लिये राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में खुले मैदानों में रंग शालायें स्थापित करने के लिये सहायता दी गयी है। देश में सांस्कृतिक एकता के संवर्द्धन के लिये सांस्कृतिक दलों के पारस्परिक आदान-प्रदान का कार्यक्रम पहली बार चालू वर्ष में प्रारम्भ किया गया। देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक संगठनों को इमारतों के निर्माण के लिये सहायता देने की निश्चित नीति के आधार पर, जिसका निर्धारण पहली बार किया गया है, अनुदान दिये गये हैं।

सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि नागार्जुन सागर और लोथल में पुरातत्वीय खुदाई का कार्य, समाप्त होने वाला है। नागार्जुन सागर में अक्तूबर, १९५४ में खुदाई शुरू की गयी थी और इस मौसम में समाप्त हो जायेगी। हमने ऐसी बहुत सी सामग्री को बचा लिया है जो अन्यथा कृष्णा नदी के पानी में डूब जाती। इसके निकट ही एक पहाड़ी की चोटी पर एक संग्रहालय स्थापित किया

[श्री हुमायून् कबिर]

जा रहा है, जिसमें पुरातत्वीय और कलात्मक महत्व की वस्तुएं रखी जायेंगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों का अधिकतम प्रत्याशित जलस्तर से ऊपर के स्थानों पर पुनर्स्थापन अथवा पुनर्निर्माण किया जायेगा।

लोथल में होने वाली खुदाई से हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता के बीच पारस्परिक संबंधों का पता चला है और उन पुराने दिनों के जीवन के कुछ नये पहलुओं का उदघाटन हुआ है। इस सामग्री के विश्लेषण और अध्ययन से भारतीय इतिहास पर अवश्य ही नया प्रकाश पड़ेगा और उन दिनों विभिन्न देशों के बीच संचार के साधनों के संबंध में हमारे विचारों में परिवर्तन होने की संभावना है।

पुरातत्व विद्यालय की स्थापना से एक बहुत लम्बे समय से अनुभव की जा रही आवश्यकता पूरी हुई है। इससे विभाग के कर्मचारियों को और पुरातत्व शास्त्र के विशेष अध्ययन में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को क्रियात्मक प्रशिक्षण देने में सहायता मिलेगी।

प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र में सब से महत्वपूर्ण घटना मद्रास में इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी का खोला जाना है। चार उच्चतर प्रविधिक संस्थाओं की श्रृंखला में यह तीसरी संस्था है। इस संस्था को पश्चिम जर्मनी से विशेषज्ञों और साज सामान दोनों रूपों में बहुत सहायता प्राप्त हुई है। इस वर्ष दो इंजीनियरिंग कालेज और दस पालीटेकनीकों की स्थापना की गयी है। अगले वर्ष कानपुर में इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, और देश भर में बहुत से अन्य इंजीनियरिंग कालेज और पालीटेकनीक खोलने की हमारी योजना है।

मैं "योग्यता एवं साधन" छात्रवृत्तियों का जिकर भी करना चाहता हूं, जिन्हें हमने पहली बार काफी व्यापक पैमाने पर चालू किया है। हमने इस वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिये ६९२ छात्र-वृत्तियां और डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों के ३४७ छात्रवृत्तियां स्वीकृत की हैं। ये इन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त हैं जो आजकल विभिन्न संस्थाओं में दी जा रही हैं।

शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में हमारी प्रगति योग्य और लगन वाले अध्यापकों को भर्ती करने और उन्हें अपने पास रखने पर निर्भर करती है। मुझे यह बताते प्रसन्नता होती है कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनक्रमों में सुधार करने के हमारे प्रस्तावों को सभी राज्यों ने सिद्धांत रूप से मान लिया है और कुछ ने तो उन्हें क्रियान्वित करना भी शुरू कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के वेतन क्रम भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य उच्च सेवाओं के समान होंगे। हमने अध्यापकों को टेक्निकल विषयों में प्रशिक्षण देने की योजना भी बनायी है। चालू वर्ष में इंजीनियरिंग टेक्नालाजी के १४६ स्नातकों को चुन कर भारत के पांच केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है। इसके अलावा २०९ व्यक्तियों को, जिन्हें पहले अध्यापन का अनुभव था अथवा नहीं, उच्चतर अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये, इस आश्वासन पर विदेश भेजा गया है कि लौट कर वे अध्यापन कार्य करेंगे।

सभा को यह जान कर दिलचस्पी होगी कि जब दूसरी योजना बनायी गयी थी तो यह विचार था कि योजना के अन्त तक डिग्री कालेजों में और पालीटेकनीकों में क्रमशः ६९५० और १०२०० विद्यार्थियों को प्रवेश देने की व्यवस्था होनी चाहिये। अनुभव से पता चला कि यह अनुमान कम था अतः दूसरी योजना की अवधि में इन आंकड़ों में तीन बार संशोधन करना पड़ा। १९५९ में डिग्री पाठ्यक्रमों और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये क्रमशः कुल ११,१६० और २१,१०० विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया।

मैंने इससे पहले टेक्निकल संस्थाओं के लिये 'योग्यता एवं साधन' छात्रवृत्तियां का उल्लेख किया है। निर्धन विद्यार्थियों के लिये आंतरिक और विदेशी छात्रवृत्तियों के संबंध में भी इसी तरीके का अनुसरण किया जाता है। पिछले वर्ष की सब से महत्वपूर्ण घटना संभवतः 'राष्ट्र मंडल छात्र-वृत्तियां और अधिछात्रवृत्तियां योजना' को चालू करना है। इस पर शीघ्र ही अमल शुरू हो जायेगा मौजूदा योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष में २१ देशों में अध्ययन करने के लिये ४०० छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया और इस मंत्रालय द्वारा चालू की गयी योजनाओं के अन्तर्गत २९ देशों के २२० विद्यार्थी भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के लिये भी १९५९–६० का वर्ष उसके अत्य-धिक सफल वर्षों में से एक था। बंगलौर में बैमानिकी प्रयोगशाला, जोरहाट (आसाम) में प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला और दिल्ली में केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की स्थापना के अतिरिक्त, जिनसे ऐसी संस्थाओं की संख्या २५ हो जाती है, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में अनुसंधान कर्मचारियों के प्रशिक्षण और दस्तावेज़ तैयार करने के लिये देहरादून में पैट्रोलियम अनुसंधान संस्था की स्थापना के लिये कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में हो रहे कार्य के अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संगठनों को उपयुक्त अनुदान देकर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों की सहायता की जा रही है। परिषद इस समय ८० से अधिक केन्द्रों में ४०० से अधिक योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दे रही है। इनमें से कुछ मुख्य योजनायें ये हैं। देश में ऐनकों के शीशों के उत्पादन का कार्य केन्द्रीय ग्लास और सेरेमिक संस्था कलकत्ता को सौंपने का निश्चय किया गया है। इस संस्था ने अबरक के "वेट ग्राइंडिग" की विधि का विकास करने में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है। आज तक इस कार्य पर केवल एक अमरीकन कम्पनी का एकाधिकार था। मैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला में स्थापित किये गये लो शेफ्ट फर्नेस पायलेट प्लांट का उल्लेख भी करना चाहता हूं। इससे यह संकेत मिलता है कि घटिया किस्म के लौह-अयस्क से धातवीय कोयले के प्रयोग के बिना बढ़िया किस्म का लोहा और इस्पात तैयार किया जा सकता है। हैदराबाद की प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला में देशीय कच्चे पदार्थों से सफेद सीमेंट तैयार करने के लिये अग्रिम संयंत्र पर परीक्षण किये जा रहे हैं और कम तापमान पर कोयले के कार्बनीकरण द्वारा १००० टन की दैनिक उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना के लिये रिपोर्ट तैयार की गयी है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ने कोयले के चूरे को सोफ्ट-कोक बनाने और तापीय बिजली घरों में जलाने के लिये उपयोग करने के तरीके निकाले है। राष्ट्रीय भौतिक-विज्ञान प्रयोगशाला ने स्टैंडर्ड फ्रीक्वेन्सी और टाइम ट्रांसमिटिंग सेंटर की स्थापना की है। जो दक्षिण एशिया में अपनी किस्म का पहला केन्द्र है। पश्चिम में इसका निकटतम पड़ोसी इटली और पूर्व में जापान है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने भारत में उपलब्ध खनिज पदार्थों से नियोबियम और टेंटालम का उत्पादन करने की विधियों की खोज की है और कपड़े की 'डीसाइजिंग' के लिये व्यापक रूप से प्रयोग किये जाने वाले "बैक्टीरियल डायस्टेट्स" का उत्पादन अग्रणी संयंत्र विधि से करने में सफलता प्राप्त की है। अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने भी बहुत सा उपयोगी काम किया है और हमें आशा है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के पुनर्संगठन के पश्चात् हमारी प्रयोगशालाओं में तैयार की गयी विधियों का अधिक शीघ्रता से व्यापारिक लाभ उठाया जाने लगेगा।

मैं वैज्ञानिक व्यक्तियों के समूह की रचना का उल्लेख भी करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत हमने १९१ व्यक्तियों को काम करने की पेशकश की है। इनमें से ८२ व्यक्तियों ने हमारे प्रस्ताव मान लिये हैं, ४८ व्यक्तियों ने अभी कोई उत्तर नहीं दिया और १६ व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार

[श्री हुमायून् कबिर]

जारी ह। इनमें से ४५ प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि संबंधित व्यक्तियों ने किसी न किसी कारण उन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है।

मैं संसद् की प्राक्कलन समिति का कृतज्ञ हूं। समिति ने मंत्रालय के कार्य के बारे में चार बहुमूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं और बहुत से रचनात्मक सुझाव दिये हैं, जिनसे हमें अपने कार्य में और अधिक सुधार करने में सहायता मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि समिति ने हमारे काम को सामान्य रूप से पसन्द किया है और मुझे विश्वास है कि सदन के समर्थन से हम प्रारम्भ किये गये अच्छे कार्यों का विकास कर सकेंगे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं हमारे राष्ट्रीय विकास में वैज्ञानिक और प्रविधिक शिक्षा के स्थान का उल्लेख करना चाहूंगा। यह मानी हुई बात है कि पहली और दूसरी योजना में सामान्य तथा प्रविधिक दोनों प्रकार की शिक्षा के प्रसार के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गयी। मैं महसूस करता हूं कि तीसरी योजना में हमें इस चीज में सुधार करना चाहिये क्योंकि यदि हम सर्वांगीण प्रगति करना चाहते हैं—विशेषकर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में— तो हमें यह बात करनी ही पड़ेगी। जिन देशों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है और वैज्ञानिक एवं टेक्निकल शिक्षा का खूब प्रसार है, वही देश कृषि और उद्योगों में भी अग्रणी हैं। दूसरी ओर जो देश कृषि और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं वे सभी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे हैं। इन दोनों चीजों का संबंध आकस्मिक नहीं है, बल्कि सर्वतोमुखी प्रगति के लिये सामान्य और टेक्निकल प्रकार की शिक्षा का होना अनिवार्य है।

वैज्ञानिक और प्रविधिक शिक्षा तथा औद्योगिक और कृषि संबंधी विकास का तात्कालिक संबंध तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। देश में खाद्य और व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना अत्यावश्यक है किन्तु यह केवल वैज्ञानिक ढंग की खेती सुधरे हुये उपकरणों के प्रयोग, अच्छे बीजों और विधियों और प्राकृतिक और कृत्रिम खाद के इस्तेमाल से ही संभव हो सकता है। उद्योगों, बिजली और परिवहन के क्षेत्रों में प्रगति का होना प्रशिक्षित व्यक्तियों पर निर्भर करता है। इसलिये इनके प्रसार के कार्यक्रमों को तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके लिये आवश्यक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का पक्का प्रबन्ध न किया जाये। तीसरी योजना में अस्थायी रूप से निर्धारित राशियों के आंकड़ें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये हैं और मुझे यह कहने में यत्किंचित संकोच नहीं कि जब तक वैज्ञानिक और प्रविधिक शिक्षा के लिये निर्धारित धन राशियों में यदि पर्याप्त वृद्धि नहीं की जायेगी तो हमें कृषि और औद्योगिक विकास के निर्धारित लक्ष्यों को काफी कम करना पड़ेगा।

मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह विश्वास है कि भौतिक प्रगति का आधार सामग्री और साजसामान के संग्रह से गवेषणा की भावना और उच्च कोटि के व्यक्तियों पर अधिक होता है। मुझे पूरी आशा है कि संसद इस दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन करेगी और सरकार को इस बात का स्पष्ट निदेश देगी कि हमारी योजनाओं को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और प्रविधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाये।

सभापति महोदय : मांगें सभा के सामने हैं। श्री वे० प० नायर।

†**श्री वे० प० नायर** (क्विलोन) : मेरा निवेदन है कि इस मंत्रालय के अधीन जो संस्थायें हैं, वे बहुत अच्छी हैं, पर मंत्रालय ने उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। माननीय मंत्री को इन संस्थाओं के सम्बन्ध में अधिक सतर्क रहना चाहिए था।

आज किसी भी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भरती, पदोन्नति तथा तबादला आदि के सम्बन्ध में कोई पक्के नियम नहीं हैं। मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं। कुछ लोग जो प्रशासन सम्बन्धी कार्य से सम्बद्ध हैं, उन्हें इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री को भी इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए था क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन प्रयोगशालाओं में १० या १२ वर्षों से काम कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है।

इन संस्थाओं में भरती सम्बन्धी भी कोई नियम नहीं हैं। मैंने वहां के उप-नियम भी देखे हैं, उनमें भी कोई जिक्र नहीं है, इस सम्बन्ध में।

हर विभाग में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को तरक्की देकर तीसरी श्रेणी में ले जाने के नियम हैं। पर इन संस्थाओं में ऐसे कोई नियम नहीं हैं। २३ फरवरी का जो परिपत्र मंत्रालय ने इन प्रयोगशालाओं के नाम निकाला है, उसमें कहा गया है कि वही स्थायी असिस्टेंट सेक्शन अफसर बनाये जायेंगे, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जिन्होंने ५ वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। सवाल यह है कि वहां कोई असिस्टैण्ट स्थायी नहीं है, अतः कैसे कोई सेक्शन अफसर बनाया जायेगा। फिर यह भी कहा गया है कि यह प्रतियोगी परीक्षा मार्च में किसी दिन होगी। न जाने किस दिन परीक्षायें शुरू हो जायें। हो सकता है १ मार्च से ही। उन्हें १० बजे से ६ बजे तक कार्यालय में काम करना होता है, भला वे तैयारी कब व कैसे करेंगे। अतः क्या यह परीक्षा एक दिखावा मात्र नहीं है।

चूंकि नियुक्ति या भरती के सम्बन्ध में इन संस्थाओं में कोई नियम नहीं है, अतः कर्मचारियों को एक शिकायत है कि वहां बड़े-बड़े पदाधिकारियों के सम्बन्धियों को ही भरती किया जाता है। मैं माननीय सदस्य को इसका पक्का सबूत दे सकता हूं कि डिप्टी डायरेक्टर से लेकर तीसरी श्रेणी के क्लर्क तक सभी किन्हीं न किन्हीं बड़े-बड़े पदाधिकारियों के सम्बन्धी हैं। मैं पूछता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में पता है। यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ किया है और क्या वे इस मामले की जांच कराने के लिए तैयार हैं।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यदि माननीय सदस्य हमारे सामने कुछ विशेष मामले रखेंगे, तो हम उन पर अवश्य विचार व जांच करेंगे।

†**श्री वे० प० नायर** : मैं ऐसे ५४ व्यक्तियों की एक सूची दे सकता हूं, जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला में है और किसी न किसी बड़े पदाधिकारी के सम्बन्धी हैं।

†**श्री हुमायून् कबिर** : सम्बन्धी होना तो कोई अनर्हता नहीं है। पर यदि उनके मामले में कोई पक्षपात हुआ हो, तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं।

†**श्री वे० प० नायर** : मेरा कहना है कि ये लोग एक ही जाति-बिरादरी या गांव के हैं या उन में कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य हैं। मैं नहीं चाहता कि इस संस्था में ऐसा पक्षपात किया जाय।

इसके अतिरिक्त और भी बातें हैं अभी ९३९१ रु० की कीमत के डिसटेम्पर ब्रश खरीदे गये हैं। इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो इन्हें क्यों खरीदा गया। इनका इस्तेमाल नहीं किया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वे० प० नायर]

गया है। इसके अलावा १३५० गैलन एल० आई० ईंधन खरीदा गया, जिसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। १००० बोरी सीमेण्ट भी खरीद कर क्यों बेकार पड़ी हुई है। इसी तरह अनेक यंत्र व मशीनें आदि धूप व वर्षा में खुली असुरक्षित पड़ी हुई हैं। इसी तरह अभी प्रयोगशाला ने एक वर्टिकल प्रेस ३०००–४००० रु० का नीलाम किया है। यह ६५,००० रु० की कीमत का प्रेस था। इस तरह की बातें हो रही हैं।

मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं। मैं यह नहीं चाहता कि डा० कृष्णन और डा० थैकर को इन बातों में उलझा कर उनका समय नष्ट किया जाय। इस सम्बन्ध में मंत्रालय के सचिव आदि को रुचि लेनी चाहिए तथा स्वयं माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में देखभाल करनी चाहिए ताकि स्थिति में सुधार हो।

एक स्याही विकास परियोजना थी। बाद में इसे मैसूर की किसी फर्म के हाथ बेच दिया गया। इस परियोजना ने ३.२५ लाख रु० का लाभ दिया। इसमें से ८००० रु० का बोनस बांटा गया। पर यह बोनस केवल उच्च अधिकारियों को ही दिया गया। नीचे की श्रणी के कर्मचारियों को नहीं दिया गया। मेरा कहना है कि यह गलत बात है और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को छानबीन करनी चाहिए।

अतः मेरा निवेदन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उचित नियम बनाये जायें या फिर उन्हें केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत रखा जाये और उन्हें भी केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधायें व रियायतें प्रदान की जायें।

देश के पेड़-पौदों व पशु पक्षियों के सम्बन्ध में भी अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही उनके बारे में कोई संकलन निकाला गया है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री स्वयं रुचि लें और सम्पूण जानकारी इकट्ठी करके उसे संग्रह रूप में प्रकाशित करायें। यह एक आवश्यक कार्य है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

समुद्री सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भी अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया है। हमारे समुद्र तटों के आस पास कैसी धारायें हैं वहां जल का कितना दबाव है, आदि बातों का अभी तक कोई पता नहीं लगाया गया है। इनका पता लगाया जाना जरूरी है। केरल के तट पर इतनी अधिक सारडीन व मैं कटेल मछलियां पाई जाती हैं, कि उनको बेचना कठिन है और उन्हें खाद वगैरह बनाने के काम लाया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि इन बातों के सम्बन्ध में छानबीन व गवेषणा की जाये। इस सम्बन्ध में नौ सेना के जहाजों पर वैज्ञानिकों को भेजा जाना चाहिए।

हमारे देश में जो गवेषणा हो रही है, वह ऐसे विषयों के सम्बन्ध में नहीं है, जिनकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में पड़ती है। अतः आवश्यक है कि हम ऐसे विषयों पर गवेषणा करायें। विश्वविद्यालयों के लिए एक सुगठित योजना हो कि वे किन विषयों पर गवेषणा करेंगे। इससे हमारे दैनिक जीवन में लाभप्रद बातों पर गवेणा हो सकेगी। मुख्य रूप से मैं केरल की बात को लेना हूं। वहां विश्वविद्यालय में अनेक विषयों पर गवेषणा होती है; हम उनके लिए छात्रवृत्ति भी देते हैं। अतः हमें ऐसे विषयों की गवेषणा करानी चाहिए जो वहां की स्थिति के लिए लाभदायक हो। वहां नारियल जटा तथा काजू व मछली आदि के विषय अत्यन्त उपयोगी हो सकते हैं।

इस समय केरल में लगभग ३००० टन अगिया घास तेल का उत्पादन होता है। पर उद्योग का विकास अधिकतर प्लास्टिक उद्योग पर निर्भर है। केरल में प्लास्टिक उद्योग की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि गवेषणा का कार्य ऐसे ढंग से किया जाये, जो हमारे कृषि तथा उद्योग की विद्यमान समस्याओं को हल करने में सहायता करे।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : आरम्भ में ही मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने मंत्रालय का काम इतनी कुशलता से आगे बढ़ाया है। परन्तु मैं बधाई के साथ साथ उन्हें यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि वह देश की विभिन्न शोधनशालाओं तथा संस्थाओं में समन्वय करने का प्रयत्न करें जिससे एक दूसरे के अनुसन्धानों का लाभ उठा सके और वैज्ञानिक प्रगति होती रहे। हमारे प्रधान मंत्री भी हम को कई बार यह बता चुके हैं। अतः मंत्रालय को इस का महत्व समझ कर इन संस्थाओं में समन्वय लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

माननीय मंत्री ने तीन राष्ट्रीय अकादमियों के बारे में बताया। मेरा यह विचार है कि इन अकादमियों के लिये आवंटित धनराशि जो व्यय नहीं की गई है उस का समुचित उपयोग किया जाना चाहिये। इस के अतिरिक्त इन आकादमियों का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिये जिस से देश को कुछ लाभ हो। मुझे पता लगा है कि संगीत नाटक अकादमी के सचिव ने कुछ कारणों से पदत्याग कर दिया है। साथ ही साथ यह भी पता लगा है कि साहित्य अकादमी जो पुस्तकें प्रकाशित करती है वह किसी समुदाय विशेष पर कीचड़ उछालने के लिये होती है। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि इस प्रकार की बातें इन अकादमियों में न हों और यह राष्ट्र कल्याण में योग दे। देश के राष्ट्रीय अजायब-घर के बारे में मैंने सुना है कि वहां के हैड मौडलर का पद रिक्त रखा जा रहा है जबकि इस पद का काम एक व्यक्ति कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न का उत्तर दें कि ऐसा क्यों किया गया है।

मंत्रालय ने तीसरी योजना के लिये १७७ करोड़ रुपये की योजनायें प्रस्तुत की हैं और मैं समझता हूं कि यह राशि योजना आयोग अवश्य स्वीकृत कर देगा। उन्हों ने अंशकालिक पाठ्यक्रम तथा ऋण छात्रवृत्तियों की योजनायें प्रस्तुत की हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उन की सब से उत्तम योजना अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में है।

माननीय मंत्री ते प्राक्कलन समिति का उल्लेख किया। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू कर देगा।

कभी कभी वैज्ञानिक गवेषणा संस्थाओं को यंत्र खरीदने के लिमे दान दिये जाते हैं। परन्तु यह संस्थायें यंत्र उपलब्ध नहीं कर पाती हैं। अतः मेरा सुझाव है कि यंत्र आदि के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस की उपलब्धि कराने का काम भी मंत्रालय को ही करना चाहिये।

मुझे पता लगा है कि खड़गपुर तथा खान स्कूल में विद्यार्थियों की भरती के समय बड़ी गड़बड़ी होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिये तथा देश के विभिन्न भागों के अधिक से अधिक विद्यार्थी इन स्कूलों में भरती किये जाने चाहियें।

मंत्रालय को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि इन गवेषणा संस्थाओं के अनुसंधानों का वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जा सके। गवेषणाओं का उचित प्रकाशन किया जाना चाहिये तथा उद्योगपतियों को इन गवेषणाओं पर ध्यान देना चाहिये।

आज देश में वैज्ञानिक कर्मचारियों की बहुत कमी है क्योंकि इंजीनियरिंग कालिजों में अच्छे नम्बरों से पास विद्यार्थी को ही प्रवेश मिल पाता है। मैं इस बात को ठीक समझता हूं परन्तु साथ ही

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बासप्पा]

साथ यह भी चाहता हूं कि इन संस्थाओं में कुछ पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी भरती किये जायें क्योंकि वह कभी भी विकसित वर्ग की तुलना में अच्छे नम्बर नहीं पा सकते हैं। हमें यही प्रयत्न आज करना चाहिये जिस से देश के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अनुसंधान करने का प्रोत्साहन मिले । मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में यह मंत्रालय अधिक प्रगति करेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : श्रीमान, मैंने वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ा तथा यह पाया कि सांस्कृतिक योजनाओं की तुलना में वैज्ञानिक गवेषणा योजनाओं को अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है । यह उचित भी है क्योंकि आज देश का औद्योगिक विकास हो रहा है और इस विकास के लिये आवश्यक भी है कि प्रविधिक योग्यता के अधिक व्यक्ति उपलब्ध हो सकें ।

आरम्भ हैं मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उसने ऐवरैस्ट अभियान के दल को ६,४६,१८५ रुपया दिया है । यह पहला अवसर है जब इंगलैण्ड तथा स्विटज़रलैण्ड के सहयोग से भारत ने एवरेस्ट पर चढने का प्रयास किया है । हम चाहते हैं कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के नेतृत्व में यह दल सफलता प्राप्त करे । इस के साथ साथ मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अन्नपूर्णा २ पर्वत श्रेणी पर जाने वाले एक अन्य दल को भी क्या भारत सरकार ने कुछ धनराशि सहायता रूप में दी है ।

मैं मंत्रालय को इसलिये भी बधाई देता हूं कि उन्हों ने प्रविधिक शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार देश की प्रविधिक संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनक्रम बदल दिये हैं । परन्तु साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों के वेतन क्रम अब भी इतने उत्तम नहीं हुए हैं कि जिन के कारण वैज्ञानिकों को गवेषणा कार्य में प्रोत्साहन मिल सके । हाल में ही प्रधान मंत्री ने अपील की है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिक देश में आ कर काम करें । परन्तु केवल देशभावना से प्रेरित हो कर कोई देश में नहीं आ सकता उन को निधि का प्रोत्साहन भी अवश्य मिलना चाहिये ।

समाचार मिला है कि राष्ट्रीय शोधनशाला से ६२ वैज्ञानिकों ने त्यागपत्र दे दिया है । इस से स्पष्ट होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी निश्चित रूप से है । आज जब भी ब्रिटेन में, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अथवा प्रशिक्षित भारतीय से भारत आ कर गवेषणा करने को कहा जाता है तो उस का यही उत्तर होता है कि क्या आप भारत में मुझे इंगलैण्ड में मिलने वाले वेतन का आधा भी भाग देंगे अथवा नहीं । आज देश में वैज्ञानिकों की बुरी दशा है और डा० जोज़ेफ़ की आत्महत्या ने उन को और भी निरुत्साहित कर दिया है । उन के निरुत्साह के मैं तीन कारण समझता हूं । पहला यह है कि उद्योगों को यह नहीं बताया जाता है कि गवेषणा से उन को क्या लाभ हो सकेगा । दूसरे विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को उत्तम वेतन नहीं दिये जाते । तीसरे राष्ट्रीय शोधन शालाओं में पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस से विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिक देश में आयें और देश में क्रान्ति लायें ।

मैं समझता हूं कि विभिन्न गवेषणा संस्थाओं के लिये वैज्ञानिकों का चुनाव एक चुनाव बोर्ड करें क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग उन का उचित निर्धारण नहीं कर पाता है । इस के अतिरिक्त इंगलैंड से भारत में आये वैज्ञानिकों को यदि संघ लोक सेवा आयोग अस्वीकार कर देता है तो उन की समस्त ख्याति नष्ट हो जाती है इसलिये विदेशों से आये वैज्ञानिकों के साथ इस प्रकार का सलूक न हो जाये इस कारण इन का अलग चुनाव बोर्ड बनाया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि गवेषणा काय भी विश्वविद्यालय के वातावरण में होना चाहिये । गवेषणा संस्थाओं में वैज्ञानिक गवेषणा करने का वैसा वातावरर्ण नहीं बन पाता है जैसा उस के लिये अपेक्षित होता है । गवेषणा करने के लिये आवश्यक है कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के परिणामों को जाने तथा विचारों का आदान प्रदान करे ।

हाल में ही प्राक्कलन समिति ने बताया है कि परिषद् की शोधनशाला ने अपने गवेषणा परिणामों को उद्योग को बताया । यह अन्तिम परिणाम नहीं थे इस कारण उद्योग ने उन्हें पुनः शोधनशाला को लौटा दिया । क्या इस प्रकार की गवेषणा से देश का विकास हो सकता है । देश का विकास करने के लिये गवेषणा के अन्तिम परिणाम उद्योग को बताये जाने चाहियें ।

आज गवेषणा के बारे में यह भी प्रवृत्ति पाई जाती है कि उद्योगपति वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिये विदेशों को भेजते हैं । यह प्रशिक्षित वैज्ञानिक देश में लौट कर उन्हीं उद्योगपतियों के कारखानों में काम करते हैं जिन्हों ने उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेजा था । अहमदाबाद वस्त्र संस्था की गवेषणा संस्था के प्रतिनिधि ने प्राक्कलन समिति को बताया था कि उन की संस्था में हुई गवेषणा देश की आवश्यकताओं के लिये नहीं है । इस कथन से सरकार को कुछ सीखना चाहिये ।

आज देश में परिषद् शोधनशाला, प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन, अणु शक्ति विभाग तथा विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक गवेषणा की जा रही है । मैं समझता हूं कि यदि इन चारों के गवेषणा कार्यों में समन्वय नहीं होगा तो एक गवेषणा को दूसरे स्थान पर दुबारा किया जा सकता है । तापनाभिकीय शक्ति के लिये उपयुक्त सेरामिक के बारे में सेरामिक गवेषणा संस्था तथा अणु शक्ति विभाग दोनों में गवेषणा हो गई । इस से समय तथा मानवशक्ति दोनों व्यर्थ हो गईं । मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूं जिन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन शोधनशालाओं के कार्यों में कोई समन्वय नहीं है । इसलिये मंत्रालय को ऐसा काम करना चाहिये जिस से इन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय हो ।

इंडिया आफिस पुस्तकालय भारत सरकार अधिनियम १८५८ की धारा ३९ तथा ५८ के अनुसार हमारा है । मेरा यह सुझाव है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में जाने पर इस पर चर्चा करें ।

सांस्कृतिक कार्यों के लिये हमारे देश में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी बनाई गई है और इन के लिये १९६०-६१ के आय-व्ययक में २४,९३,५०० रुपये का उपबन्ध किया गया है । मैं समझता हूं कि इन तीनों अकादमियों के कामों का पुनरीक्षण करने के लिये एक पुनरीक्षण समिति बनाई जानी चाहिये । हाल में ही दिल्ली के एक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि संगीत नाटक अकादमी के सचिव ने त्यागपत्र इस कारण दे दिया क्योंकि कुछ वित्तीय अनियमितताओं के बारे में उन से पूछ लिया गया था । इसलिये यह उचित ही होगा कि इन आकादमियों के कार्यों की जांच के लिये एक समिति बनाई जाये ।

इन के बारे में मेरा दूसरा सुझाव है कि संगीत नाटक आकादमी तथा ललित कला अकादमी को महिलाओं के संगठनों को सौंप दिया जाना चाहिये क्योंकि वह इन को अधिक योग्यता से चला सकेंगी ।

प्रतिवेदन में एक मद 'वैदेशिक सम्बन्ध' है । जिस के बारे में बताया गया है कि चैकोस्लावाकिया, रूस आदि से सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाये गये हैं । परन्तु आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि पूर्व जर्मनी से सांस्कृतिक सन्धि करने से इन्कार कर दिया गया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें ।

[श्री हेम बरुआ]

प्रतिवेदन में बताया गया है कि सरकार कुछ विदेशी संस्थाओं को संस्कृति विकास के लिये वित्तीय सहायता देती है। मुझे पता लगा है कि विदेशों में कुछ झूठ मठ की संस्थायें हैं इसलिये माननीय मंत्री को सावधानी से इस सम्बन्ध में कार्य करने चाहियें।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे कथनों का बुरा नहीं मानेंगे और इन को इसी प्रकार लेंगे जैसे एक विद्यार्थी अपने प्रोफैसर से कुछ कहता है क्योंकि मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन का शिष्य रहा हूं।

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७३	४०९	श्री प्र० गं० देव	व्यापार प्रबन्ध का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्य-क्रम लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१०३०	श्री अरविंद घोषाल	भारतीय अजायबघर, कलकत्ता के लिए कलात्मक वस्तुयें खरीदने के लिए निधियों का आवंटन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१०३१	श्री अरविंद घोषाल	अजायबघर की डायरैक्ट्री के अधिक मूल्य	१०० रुपये
७४	१०३२	श्री अरविंद घोषाल	अजायबघर संबंधी ज्ञान के विशेषज्ञों की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१०३३	श्री अरविंद घोषाल	अजायबघर की वस्तुओं को आधुनिक तरीकों से लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१०३४	श्री अरविंद घोषाल	प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय अजायबघरों की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	११९६	श्री महन्ती	उड़ीसा के लिए एक विशेष पुरातत्व संबंधी केन्द्र बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	११९७	श्री महन्ती	भारतीय पुरातत्व कार्यों में उद्देश्यहीनता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७५	१०२०	श्री अरविंद घोषाल	भारत-चीन सीमा के नक्शों का पर्याप्त संख्या में प्रकाशन करने में असफलता	१०० रुपये
७६	१०२१	श्री अरविंद घोषाल	दार्जीलिंग तथा सुन्दरबन के वनों का विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	१०२२	श्री अरविंद घोषाल	कलकत्ते के चिड़ियाघर को जीव विज्ञान का शिक्षा केन्द्र बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	१०२३	श्री अरविंद घोषाल	कलकत्ता के चिड़िया घर को अधिक सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	१०२४	श्री अरविंद घोषाल	जंगली पशुओं का वैज्ञानिक तरीकों पर संरक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	१०२५	श्री अरविंद घोषाल	वन्य जीवन के भारतीय बोर्ड की कार्यवाहियों का विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१००९	श्री अरविंद घोषाल	विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी	१०० रुपये
७८	१०१०	श्री अरविंद घोषाल	कमअर्हता वाले अध्यापकों को अधिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०११	श्री अरविंद घोषाल	उच्च गवेषणा कार्यों के लिए विज्ञान विद्यार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०१२	श्री अरविंद घोषाल	नरतत्व विभाग में किया गया गवेषणा कार्य	१०० रुपये
७८	१०१३	श्री अरविंद घोषाल	गत भूभौतिकीय वर्ष के समारोहों में भाग लेने में भूभौतिकीय विभाग की असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती आ आधार	कटौती की राशि
७८	१०१४	श्री अरविंद घोषाल	धनबाद के खान स्कूल में सीट बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०१५	श्री अरविंद घोषाल	भारत के राष्ट्रीय एटलस का काम पूरा करने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०१६	श्री अरविंद घोषाल	पश्चिम बंगाल में और टेक्निकल कालिज बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०१७	श्री अरविंद घोषाल	खड़गपुर के तेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट में अधिक विद्यार्थी भरती करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०३५	श्री अरविंद घोषाल	विज्ञान कांग्रेस के उद्देश्य में असफलता	१०० रुपये
७८	१०३६	श्री अरविंद घोषाल	गवेषणा कार्य में उद्योगों का सहयोग लेने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०३७	श्री अरविंद घोषाल	गैर सरकारी उद्योगों को बांध्य करने की आवश्यकता जिससे वह गवेषणा-कार्य में विश्वविद्यालय तथा सरकार की सहायता करें	१०० रुपये
७८	१०३८	श्री अरविंद घोषाल	रिसर्च स्कालरों को यह आश्वासन देंने की आवश्यकता कि उन्हें नियुक्त कर लिया जायेगा।	१०० रुपये
७८	१०३९	श्री अरविंद घोषाल	इंडियन इंस्टीट्यूट फार वायो-कैमिस्ट्री एण्ड एक्स्पैरीमेंटल मैडीसिन, कलकत्ता का प्रशासन	१०० रुपये
७८	१०४०	श्री अरविंद घोषाल	गवेषणा कार्यों के लिए अपेक्षित रसायनों के आवर्त्तक व्यय की धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७८	१०४१	श्री अरविंद घोषाल	फोरमैन तथा सुपर वाइजरों के प्रशिक्षण की योजना का विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०४२	श्री अरविन्द घोषाल .	आदिम जाति क्षेत्रों की समाप्त होने वाली भाषाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०४३	श्री अरविन्द घोषाल .	बोले जाने वाली ऐसी भाषाओं को लिपि देने की आवश्यकता, जिनकी लिपि नहीं है	१०० रुपये
७८	१०४४	श्री अरविन्द घोषाल .	विदेशी वैज्ञानिक गवेषणा प्रशिक्षण सम्बन्धी छात्रवृत्तियों के लिये चुनाव	१०० रुपये
७८	१०४५	श्री अरविन्द घोषाल .	विश्वविद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक गवेषणा प्रशिक्षण के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०४६	श्री अरविन्द घोषाल .	पश्चिम बंगाल में और इंजीनियरिंग कालिज बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०४७	श्री अरविन्द घोषाल .	शिवपुर तथा जाधवपुर इंजीनियरिंग कालिज में अधिक विद्यार्थियों को भर्ती करने की आवश्यकता	१०० रुपये.
७८	१०४८	श्री अरविन्द घोषाल .	वैज्ञानिक गवेषणा करने वाले विद्यार्थियों के लिये वृत्तिकायें बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०४९	श्री अरविन्द घोषाल .	वैज्ञानिक गवेषणा विद्यार्थियों को नियमित रूप से वृत्तिकायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०५३	श्री अरविन्द घोषाल .	विदेशों को जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०५४	श्री अरविन्द घोषाल .	पुराने सांस्कृतिक नृत्य तथा नाटकों के पुनः उद्धार के लिये राज्यों में विशेष संसथायें स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७८	१०५५	श्री अरविन्द घोषाल .	विभिन्न क्षेत्रों में कला दीर्घायें (आर्ट गैलरीज) बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०५६	श्री अरविन्द घोषाल .	प्रादेशिक भाषाओं के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०५७	श्री अरविन्द घोषाल .	अविकसित प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०५८	श्री अरविन्द घोषाल .	वैज्ञानिक पुस्तकों के अनुवाद की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०५९	श्री अरविन्द घोषाल .	राष्ट्रीय गवेषणा शोधनशालाओं के खराब नमूने	१०० रुपये
७८	१०६०	श्री अरविन्द घोषाल .	व्यावसायिक थियेटरों को वित्तीय सहायता देने पर नियंत्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०६१	श्री अरविन्द घोषाल .	नाटक लेखकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०६२	श्री अरविन्द घोषाल .	सभी प्रादेशिक भाषाओं में पुरस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करने में साहित्य अकादमी की असफलता	१०० रुपये
७८	१०६३	श्री अरविन्द घोषाल .	सांस्कृतिक समितियों को अधिक अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	१०८२	श्री अरविन्द घोषाल .	बंगीय साहित्य परिषद् को अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	११९८	श्री महन्ती	उड़ीसी नृत्य के लिये छात्रवृत्तियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	११९९	श्री महन्ती	साहित्य, संगीत नाटक तथा ललित कला, तीनों अकादमियों के कार्य	१०० रुपये
७८	१२००	श्री महन्ती	विदेशों में जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल का गठन	१०० रुपये
७८	१२०१	श्री महन्ती	कलाकार तथा लेखकों को अनुदान तथा भत्ते	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७८	१२०२	श्री महन्ती	उड़ीसी चित्रकारिता के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	१०२६	श्री अरविन्द घोषाल .	कलकत्ता विक्टोरिया मैमोरियल हाल की कला दीर्घा के रूप में विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	१०२७	श्री अरविन्द घोषाल .	कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय को बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	१०२८	श्री अरविन्द घोषाल .	कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय में जनता को जाने देने के लिये नियमों में उदारता लाने की आवश्यकता	१०० रुपये

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : स्वतंत्रता प्राप्ति को बारह वर्ष हो चुके हैं तथापि हमने अभी तक कोई राष्ट्रीय मानचित्रावलि का प्रकाशन नहीं किया । अब जब हमारे देश में सीमाओं के संबंध में भ्रांति फैल चुकी है हमने यह निश्चय किया है कि एक राष्ट्रीय एटलस का प्रकाशन किया जाये ।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान पर्यटन मानचित्र की ओर दिलाना चाहता हूं । इस मानचित्र में तिब्बत के स्थान पर चीन दिखाया गया था यद्यपि वहां तिब्बत दिखाया जा सकता था । ब्रिटेन ने भी आक्सफोर्ड एटलस प्रकाशित की है उसमें काश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र दिखाया गया है और भारत, पाकिस्तान व काश्मीर तीनों को पृथक रंगों से चित्रित किया गया है । मैं भारत सर्वेक्षण विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे तत्काल भारत का एक सही मानचित्र प्रकाशित करें और कम से कम सदस्यों को सही सीमा से अवगत करें ।

अब मैं पुरातत्व विभाग को लेता हूं । इस क्षेत्र में भी हमने प्राचीन स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थानों संबंधी एक अधिनियम पारित करने के अलावा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया । जो स्मारक इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के अन्तर्गत आते हैं उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिलती है और जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं उनकी मरम्मत के लिये कोई आर्थिक राशि नहीं दीं जाती । उदाहाराणार्थ रामेश्वरम् का मन्दिर जो ऐतिहासिक महत्व का मन्दिर है वह राष्ट्रीय स्मारकों के अन्तर्गत नहीं आता है फलस्वरूप उसके मरम्मत के लिये गोई राशि नहीं दी जाती है । यदि तत्काल उस मंदिर की मरम्मत नहों की गई तो वह नष्ट हो जायेगा ।

मद्रास सरकार के अधीन एतिहासिक महत्व के सैंकड़ों स्मारक हैं । उन सब की देखभाल करना मद्रास सरकार के सामर्थ्य के बाहर है अत : केन्द्रीय सरकार को एतिहासिक महत्व के स्मारकों को अपने अधीन ले लेना चाहिये और उनके संधारण की व्यवस्था करनी चाहिये ।

अजंता और एलौरा की चित्रकारी के परिरक्षण के लिये मंत्रालय को एक व्यापक योजना बनानी चाहिये जिस से वहां की बहुमूल्य चित्रकारी की रक्षा की जा सके ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कालिका सिंह]

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यों के केन्द्रों के रूप में विज्ञान मंदिरों की स्थापना की है। देश में ३९ विज्ञान मंदिर हैं इनमें से उत्तर प्रदेश में केवल एक विज्ञान मंदिर है। देश के सभी राज्यों में समान रूप से विज्ञान मंदिरों की स्थापना की जानी चाहिये।

कानपुर में एक टेक्नीकल संस्था की स्थापना के लिये ४० लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। चार या पांच वर्षों से यह मामला विचाराधीन है। अभी भी वहां निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। सरकार को यह कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिये क्योंकि उत्तर प्रदेश की सात करोड़ जनता के लिये यह महान बरदान सिद्ध होगा।

यह मंत्रालय साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिये विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं को प्रतिवर्ष ४ से ५ लाख रुपयों का अनुदान देता है। मेरे विचार से यह राशि बहुत कम है इसे बढ़ा कर ५ से ६ करोड़ कर दिया जाये। तब कहीं भारत जैसे विशाल देश में कुछ सांस्कृतिक उन्नति संभव हो सकती है।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : इस मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि इसमें समन्वय तथा उद्देश्यात्मक निदेश की कमी है। गत वर्ष जिन मदों के लिये व्यय की व्यवस्था की गई थी इस वर्ष भी उन्हीं मदों पर व्यय करने का प्रबन्ध किया गया है। अत : इसके कार्यों का विश्लेषण करने के पश्चात् इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसे अभी बहुत कुछ करना है।

पुरातत्व विभाग के मामले में हम देखते हैं कि इस विभाग ने पुरातत्व की खुदाई के नाम पर उनको नष्ट ही अधिक किया है। उड़ीसा राज्य में शिशुपालगढ़ नामक स्थान पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ और बहुत सा रुपया व्यय किया गया लेकिन इस खुदाई सम्बन्धी कोई निबंध भी नहीं छापा गया। लोथल और मेरठ क्षेत्र में कुछ खुदाई का काम किया गया है जिससे हडप्पा संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है लेकिन इनको लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है ताकि इन तथ्यों के आधार पर इस विषय में रुचि रखने वाले किसी निष्कर्श पर पहुंच सकें।

श्री मोर्टीमर व्हीलर के बाद से "एनशियेंट इंडिया" तथा "आर्कोलोजीकल बुलेटिन" का कोई प्रकाशन नहीं हुआ है। उनके जाने के बाद से इस विभाग की कार्यवाहियों का स्तर गिर गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय पुरातत्व की मूल बातें क्या हैं। तथा इस पुरातत्व की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिये मंत्रालय क्या कर रहा है।

साहित्य अकादमी का उद्घाटन करते समय स्वर्गीय मौलाना आजाद ने एक बहुत ही सुन्दर भाषण दिया था। उस समय यह आशा दिलाई गई थी कि ये अकादमी साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही महान् कार्य करेंगी और हमने इस बात का स्वागत भी किया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य की एक पत्रिका प्रकाशित कर रही है लेकिन इसमें विदेशी साहित्य की ही चर्चा अधिक होती है। इसके किसी भी प्रकाशन में प्रादेशिक साहित्य की विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रादेशिक भाषाओं में लिखी गयी श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत करने की वार्षिक परम्परा का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन पुस्तकों के चयन के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह किस आधार पर किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ललितकला और संगीत अकादमी के बारे में भी मुझे यही निवेदन करना है कि उन्हें भारतीय संगीत एवं नृत्य के विभिन्न ढंगों पर महत्व दिया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहूंगा कि उड़ीसा नृत्य की उन्नति एवं उसके प्रोत्साहन के लिये अकादमी ने क्या कार्य किया है। उड़ीसा नृत्य की उन्नति का कारण उसकी अपनी क्षमता है न कि सरकारी संरक्षण। हम यह नहीं चाहते कि इसे किसी प्रकार का सरकारी संरक्षण मिले लेकिन कम से कम यह चाहते हैं कि इसे मान्यता दी जाये। इसे भी शास्त्रीय नृत्य माना जाये। हालांकि इसकी अपनी विशेषताएं हैं लेकिन फिर भी इस पर भारती नाट्यम का काफी प्रभाव है। अतः मेरा निवेदन है कि इसे भी उचित संरक्षण एवं मान्यता दी जाये।

विदेशों को बहुत से सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल भेजे गये हैं लेकिन उनमें बहुत सी प्रादेशिक संस्कृतियों को प्रतिनिधित्व करने वालों को स्थान नहीं दिया गया है।

कुछ सांस्कृतिक संगठनों को सहायता रूप धन नहीं दिया गया है। रामकृष्ण आश्रम तथा जलियांवाला बाग स्मृति आगार को धन दिया गया है। मैं मानता हूं कि जलियांवाला बाग एक ऐसा उदाहरण है जिसने हमारे जीवन में स्फूर्ति एवं स्वतन्त्रता का मंत्र फूका लेकिन उसमें संस्कृति के नाम पर कुछ नहीं था।

प्रादेशिक भाषाओं एवं उनके साहित्य की संवृद्धि के लिये धन दिया गया लेकिन उड़िया भाषा की संवृद्धि के लिये धन नहीं दिया गया।

जहां तक भारतीय लेखकों को सहायता देने का प्रश्न है मेरे राज्य के दो लेखक ऐसी स्थिति में मृत्यु का ग्रास बने जिनको उचित चिकित्सा भी नहीं मिली हालांकि उनकी ओर से अपील भी की गई। इससे प्रकट है कि मंत्रालय प्रादेशिक तत्वों को महत्व नहीं देता।

मेरा निवेदन है कि संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष अथवा स्थान विशेष में ही नहीं होती यह तो सारे देश में व्यापक है अतः साहित्य अकादमियों की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वे दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बनाई जायें।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि सभी प्रादेशिक विशेषताओं एंव महताओं को प्रमुखता दी जानी चाहिये।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, आज मैं वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की डिमांड्स पर जिन पर कि वाद-विवाद चल रहा है उन के सम्बन्ध में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ने पिछले दिनों जिस तरीके से इस कार्य में कुछ गति पैदा की और इस कार्य को सही ढंग पर आगे बढ़ाने की कोशिश की उस के लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं और यह भी सही है कि यह मंत्रालय उसके सुयोग्य मंत्री श्री हुमायून कबिर के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रहा है, हमें आशा है कि वह ठीक तरह से उसी दिशा में आगे बढते हुए इस कार्य को केवल फैलायेगा ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो हमारी सांस्कृतिक और कलचरल हैरिटैज है उस को अधिक से अधिक फैलाने की तरफ ध्यान देगा।

कुछ बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं ने जब इस कार्यालय के गत वर्ष के कार्य की रिपोर्ट पढ़ी तो मैं ने देखा कि काफी स्कालरशिप्स वगैरह विज्ञान का अध्ययन करने वाले और अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को दिये गये लेकिन उसमें कृषि का जहां तक सम्बन्ध है कोई जिक्र खास नहीं था। मैं ने यह देखा कि कृषि के सम्बन्ध में विदेशी से कुछ स्कालरशिप्स मिले हैं वे तो मिले हैं लेकिन भारत की तरफ से कुछ किया हो यह नहीं देखा लेकिन आज माननीय मंत्री ने जो अपना कथन हाउस के सामने रक्खा उसमें कृषि सम्बन्धी विज्ञान के महत्व के ऊपर काफी

[श्री राधे लाल व्यास]

जोर दिया है और मुझे आशा है कि वह इस ओर अधिक ध्यान देंगे जिससे कि हम कृषि में जो इतने पीछे रह गये हैं तो उस दिशा में भी जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे.....

श्री हुमायूं कबिर : कृषि के स्कालरशिप्स कृषि मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं .....

श्री राधे लाल व्यास : आपकी रिपोर्ट में उन स्कालरशिप्स का कुछ जिक्र आया है । जहां तक कृषि मंत्रालय द्वारा यह स्कालरशिप्स देने की बात है तो वह मुझे मालूम है । इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकलचरल रिसर्च और दूसरी जो एक दो संस्थाएं हैं वे यह देती हैं लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि साइंस के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए जो स्कालरशिप्स देते हैं वह हमारे यहां से ही देते है लेकिन वह देश के लिए ही देते हैं । लेकिन बाहर अधिक से अधिक जहां कृषि का इतना ज्यादा विस्तार हुआ है खास तौर से जापान में, अमरीका में, जर्मनी में और कैनाडा में, वहां अधिक से अधिक हमारे यहां से लोग भेजे जायें । वे वहां मौके पर अध्ययन कर के देखें कि थोड़े से साल में जापान ने कितनी ज्यादा प्रगति की है । एग्रीकलचर में साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करने और विशेष योग्यता प्राप्त करने का अगर कोई उपयुक्त स्थान हो सकता है तो मेरी समझ में वह इस मंत्रालय में ही हो सकता है ।

दूसरी बात मुझे यह ध्यान दिलानी है कि हमारे देश का इतिहास बहुत कुछ जमीन के अन्दर गड़ा हुआ है । मैं मानता हूं कि उसके लिए प्रयत्न किया गया है लेकिन वह काफी नहीं है । कई जगह खुदाई का काम किया गया है । उज्जैन में खुदाई के काम पर लगभग डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन बाद में थोड़ी खुदाई करके उस काम को बन्द कर दिया गया । मेरे इस बारे में प्रश्न पूछे जाने पर यह जवाब दिया गया कि अब कोई इरादा खुदाई का नहीं है । श्रीमन, मुझे इस उत्तर से बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उज्जैन जिसका इतना अधिक महत्व है, जिसका कि इतिहास में इतना जिक्र आया है और जहां कि कालिदास साहित्य तो है ही, दूसरे साहित्य भी हैं और वहां की स्थानीय चीजें आज जो नहीं मिलती हैं तो उसके वास्ते अधिक से अधिक खुदाई करने की जरूरत है । उस के लिए कई साइट्स हैं जहां कि खुदाई करने की जरूरत है ताकि हम को उस इतिहास का जो कि लिपिबद्ध नहीं है उस का कुछ पता लग सके । मुझे आशा है कि इस पर आप विचार करेंगे और उज्जैन ही नहीं बल्कि आसपास के कितने ही ऐसे स्थान हैं जहां कि काफी खुदाई करने की जरूरत है और जहां से कि खूब साहित्य उपलब्ध हो सकता हैं । मुझे आशा है कि उस पर भी आप विचार करेंगे और वहां पर भी यह खुदाई का काम शुरू करवायेंगे और उसके वास्ते कुछ रकम निर्धारित करेंगे ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मालवा में जगह जगह स्थानों पर मूर्तियां और शिलालेख पड़े हुए हैं और जंगलों तक में पड़े हुए हैं यहां से वहां तक पड़े हुए हैं और उनको संग्रहीत करने की कोई व्यवस्था नहीं है । उज्जैन में यदि आप पधारें तो देखेंगे कि महाकाल के मन्दिर में कुछ मर्तियां यहां से वहां जमीन पर पड़ी हुई हैं । उनकी देखरेख करने और उनको संग्रहीत करने का कोई इंतजाम नहीं है । क्या मैं यह प्रस्ताव रख सकता हूं कि उज्जैन जैसे स्थान में जहां कि हजारों लाखों यात्री देश के भिन्न भिन्न स्थानों से आते हैं, अब आप दूसरी जगह राजधानी में इसके वास्ते म्यूजियम रखेंगे तो वहां पर तो राजधानी में लोग कामकाज के खयाल से आयेंगे लेकिन अनायास जैसे कि कुम्भ का मेला लगता है, प्रयाग में है, हरिद्वार में है, उज्जैन में है, नासिक में है, यह चार जगह ऐसी हैं जहां कि हर बारहवें साल कुम्भ का मेला लगता है और उस अवसर पर लाखों यात्री आते हैं । इसके अतिरिक्त साल में कितने ही हिन्दू त्योहारों के अवसर पर यहां बहुत काफी भीड़

इकट्ठा होती है जैसे कि अमावस्या है, सोमवती अमास्या है, महा शिवरात्रि है, श्रावण के सोमवार हैं और ग्रहण के अवसर होते हैं, इन तमाम पर्वों पर हजारों यात्री इन स्थानों में आते हैं और मेरी समझ में इस स्थान पर एक विशाल राष्ट्रीय म्यूजियम स्थापित किया जाय । एक म्यूजियम बनाने के लिए जो चीजें चाहिएं वह सब वहां उपलब्ध हैं । आज वह साहित्य नष्ट होता जा रहा है । उसको कोई देखने वाला नहीं है । मेरा निवेदन है कि वह साहित्य संग्रह करके एक जगह पर रखा जायें । वहां एक क्यूरेटर रखा जाये जो कि उन सब के बारे में अध्ययन करे । वहां पर तमाम चीजें संग्रह करके रखी जायें । हजारों लोग उन्हें देख सकते हैं और हमारा वह साहित्य नष्ट होने से बच सकता है । मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस काम के वास्ते तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ धनराशि रखने की व्यवस्था करें ।

इस के बाद मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह कालिदास अकादमी की बात और एक इंस्टीच्यूट आफ इनडौलिजी की बात है । अब कालिदास के बारे में क्या अधिक कह सकता हूं । कालिदास की संसार में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सर्वत्र प्रशंसा हुई है । कालिदास ने दुनिया के विद्वानों को, कवियों को और पाठकों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है । सबसे पहले सन् १७८९ में सर विलियम जौंस ने शाकुन्तल का अंग्रेजी भाषा में भाषान्तर किया और उस अंग्रेजी के भाषान्तर को पढ़ कर प्रेरणा मिली एक जर्मन विद्वान को जिन्होंने कि सन् १७९१ में जर्मनी भाषा में भाषान्तर किया । गटे ने जब उस भाषान्तर को पढ़ा तो उन्होंने उस के प्रति जो उदगार प्रकट किये वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं ।

हमारे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक दासगुप्ता द्वारा लिखे गये कालिदास के शाकुन्तल पर एक इंट्रोडक्शन दिया है, उस में गुरुदेव ने कालिदास के बारे में गेटे के कालिदास के सम्बन्ध में एक कविता लिखी है जो कि मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं :—

"Would'st thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,

And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed,

Would'st thou the Earth and Heaven itself
In one sole name combine?

I name three, O Sakuntala ! and all at
once is said."

दो साल हुए हमारे राष्ट्रपति जी ने कालिदास समिति समारोह का उद्घाटन उज्जैन में किया था । उस समय उन्होंने यह विचार प्रकट किये थे कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और महाकवि कालिदास जो कि केवल इस देश के ही नहीं वरन् विश्व की विभूति हैं और उन का एक योग्य स्मारक बनाना हमारे स्वतंत्र देश का परम कर्तव्य हो जाता है । इस वर्ष हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी पधारे थे । कालिदास शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने के लिए वे आये थे और जब यह स्मारक की उन के सामने चीज रखी गई तो उन्होंने यह विचार प्रकट किया था कि यह तो एक छोटी योजना है और कालिदास का स्मारक एक व्यापक स्तर पर और समस्त देश के लिए वह एक स्मारक हो, ऐसा स्मारक बनाना चाहिए । इसलिए वहां पर जो कालिदास की एक समिति है वह केवल उज्जैन की ही नहीं है, वह केवल मध्यप्रदेश की नहीं है बल्कि वह सारे भारतवर्ष की है । उस समिति ने तमाम स्टेट्स को इस बारे में सहयोग देने के लिए लिखा है और उस समिति के सदस्य हमारे गृह मंत्री जी, देश के दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्री और गवर्नर्स वगैरह हैं । श्री हरिभाऊ उपाध्याय जो कि राजस्थान के अर्थ मंत्री हैं वे उस समिति के अध्यक्ष हैं और इस

[श्री राधे लाल व्यास]

तरह से वह सारे भारत भर की समिति है । उस को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कुछ मदद दी और कुछ राजस्थान सरकार ने मदद दी । मेमोरियल को बनाने के लिए उस संस्था ने जब केन्द्रीय सरकार को लिखा तो उन्होंने यह जवाब दिया कि "पहले आप राज्य सरकार से बातचीत करें।" मुझे बड़ा दुःख है कि कालिदास के स्मारक बनाने का काम मंत्रालय इतना छोटा समझे कि उसको स्टेट गवर्नमेंट करे और यह खेद का विषय है कि कालिदास के बारे में अभी भी स्वतंत्र भारत की सरकार उस के प्रति न्याय नहीं करना चाहती । उसको जो श्रद्धांजलि देनी चाहिए उससे वह विमुख हो रही है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं और भारत सरकार के इस तरह के उत्तर से दूसरे भी इसी प्रकार का अनुभव करेंगे ।

आज हमें प्रसन्नता है कि हमारा राष्ट्र गुरुदेव टैगोर जी के सम्बन्ध में कुछ कर रहा है, और यह ठीक है कि उनकी शताब्दी मनायी जा रही है, लेकिन कालिदास को तो हजारों साल हो गये/दो हजार साल हो गये, और उसके लिए अभी कोई अवसर नहीं है, यह कहना हास्यास्पद मालूम होता है । यह उसके प्रति न्याय नहीं कहा जा सकता । मेरा निवदन है कि वह इस पर विचार करें । मंत्री महोदय के दिल में कुछ करने की इच्छा है । उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि एक उच्च कालिदास अकादमी, एक आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ इंडालाजी विद स्पेशल रेफरेंस टू संस्कृत एंड प्राकृत होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा है, यह बात अखरने वाली है । इस मामले में उनको पहल करनी चाहिए । और हिन्दुस्तान के बड़ बड़े विद्वानों को इस काम में लगाना चाहिए । उन्होंने हिन्दुस्तान के बड़े विद्वान श्री काने साहब को इंडालाजी के लिए चुना है । उनको ही उज्जैन में एक आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ इडालाजी बनाने की योजना तैयार करने का काम सिपुर्द करना चाहिए । यह किसी एक स्टेट का काम नहीं है । मैं उन से नर्मतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि वह इस काम को डा० काने के सिपुर्द करें । स्टेट के प्रतिनिधियों को इस काम में शामिल करें, लेकिन हिन्दुस्तान के ऐसे विद्वानों को इस में लाना चाहिए जिन्होंने कालिदास का विशेष रूप से अध्ययन किया हो और उनके सहयोग से कालिदास के योग्य स्मारक बनाना चाहिए । आज उज्जैन में देश के विभिन्न भागों से लोग आते हैं ।

उस समिति के प्रयत्न से रूस में कालिदास की जयन्ती मनायी गयी । रूस की सरकार ने कालिदास का पोस्टल स्टाम्प निकाला, जब कि हिन्दुस्तान में उसके बहुत बाद निकाला गया । तो इस प्रकार का कार्य दूसरे देश कर रहे हैं । हालैंड में कालिदास जयन्ती मनायी गयी, फ्रांस में कालिदास जयन्ती मनायी गयी । कालिदास का कल्चुरल हैरिटेज केवल हिन्दुस्तान का ही नहीं है, वह दुनिया का है, और उसको दुनिया में फैलाने के लिए उज्जैन में कालिदास अकादमी होनी चाहिए । यह किसी एक आदमी के करने का काम नहीं है । जब तक सरकार इसको उसी तरह सहायता नहीं देगी जिस तरह से कि दूसरी अकादमियों को दे रही है तब तक इस का काम आगे नहीं बढ़ सकता । आज ललित कलाओं को बढाने के लिए देश में बहुत प्रयत्न हो रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है । पिछले दो वर्षों में जो कालिदास जयन्ती मनायी गयी उसमें हिन्दुस्तान की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भाग लिया । लेकिन उसमें कालिदास के लिटरेचर की ही चर्चा रखी लेकिन मेरा निवेदन है कि जो कालिदास अकादमी बनायी जाये उसमें कालिदास से सम्बन्धित संगीत, साहित्य, चित्र कला, गायन, और नाच वगैरह सब कलाओं का समावेश हो सकता है और यह केन्द्र इन कलाओं के विकास के लिए एक न्यूकलियस का काम दे सकता है जिसकी सहायता से सांस्कृतिक जगत में कालिदास के सारे लिटरेचर का प्रचार किया जा सकता है, केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि सारे संसार में । इसके लिए एक खास संस्था की आवश्यकता है और वह संस्था कालिदास अकादमी

और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ इंडालाजी होना चाहिए । लेकिन यह काम इस तरह नहीं चलेगा कि आप कहें कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट योजना बनाये । स्टेट के साधन अधिक नहीं हैं, दूसरे राज्य भी इस काम में सहयोग करने को तैयार हैं, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि उचित तो यह होगा कि जो गैर-सरकारी संस्था वहां काम कर रही है उसको आप ले लें क्योंकि यह काम उस संस्था की शक्ति के बाहर है । कालिदास एक ऐसी विभूति है कि जिसके कार्य को हम दुनिया में बढ़ाकर दुनिया के लोगों को एक नई प्रेरणा दे सकते हैं ।

इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, अभी मेघदूत का एक संस्करण साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित किया गया है और उसमें हमारे उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन जी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा है :

"कालीदास भारतीय भावना, प्रतिष्ठा एवं गौरव के महान प्रतीक हैं । उनकी ये विशेषताएं उनके साहित्य को विश्व की सम्पत्ति निर्धारित करती हैं ।"

इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में हिन्दुस्तान साहित्य के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका था, वह साहित्य कितना ऊंचा था कि जो आज भी उसको पढ़ते हैं उनको प्रेरणा देता है ।

तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें अधिक विलम्ब न हो, और कालिदास अकादमी और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ इंडालाजी को उज्जैन में बनाने की योजना की जाये ।

अभी हमारे उड़ीसा के एक मित्र ने कहा था कि सब अकादमियों को एक ही स्थान पर रखने में लाभ नहीं है । मैं भी समझता हूं कि यह सही है । उसके लिए उचित वातावरण चाहिए । हमारी दिल्ली का इतिहास है । यहां पांडव हुए, यहां कौरव हुए, यहां बड़े बड़े राजा हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुईं, सारा महाभारत यहां हुआ ।

श्री च० द० पांडे (नैनीताल) : जयचन्द भी हुए ।

श्री राघे लाल व्यास : जयचन्द तो कन्नौज में हुए थे । उनको हराने वाले यहां हुए थे । यहां तो हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले और मर मिटने वाले हुए हैं, लेकिन जयचन्द दिल्ली में नहीं हुए । तो एक ही जगह इन सब चीजों को रखने से काम नहीं चलेगा । अभी तो कुछ नहीं हुआ है । आप इनको अलग अलग रख सकते हैं ।

अन्त में मेरा एक निवेदन है जिस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें । आप गुरुदेव रवीन्द्र नाथ की शताब्दी समारोह के उपलक्ष में सारे राज्यों की राजधानियों में रंगमंच स्थापित करने की योजना बना रहे हैं । यह अच्छी बात है । इस सम्बन्ध में क्या मैं दरखास्त कर सकता हूं कि जहां आप राज्यों की राजधानियों में रंगमंच की स्थापना कर रहे हैं, वहां पर उज्जैन में भी एक थियेटर की स्थापना कालिदास के नाम से करने पर विचार करें । कालिदास को टैगोर साहब अपना गुरु मानते थे और बाल्यकाल से ही उनको जो शिक्षा दीक्षा दी गयी उसमें उनको कालिदास का साहित्य पढ़ाया गया जिससे उनको बहुत प्रेरणा मिली । टैगोर साहब का जो साहित्य है उस में उनको बहुत कुछ प्रेरणा कालिदास से मिली है । यह उचित ही होगा कि जहां गुरुदेव के स्मारक बनाये जा रहे हैं वहां गुरुदेव के गुरुदेव कालिदास के स्मारक के रूप में उज्जैन में एक रंगमंच स्थापित किया जाये जिसका उपयोग देश में अधिक से अधिक इस के विकास के लिए किया जाये । जहां आप राज्यों की राजधानियों के लिए रंगमंच की व्यवस्था कर रहे हैं वहां एक थियेटर की व्यवस्था उज्जैन के लिए भी हो तो बहुत उचित होगा और उपयुक्त होगा और सामयिक भी होगा और मेरा निवेदन है कि टैगोर शताब्दी समारोह के साथ ही साथ जो अगला कालिदास जयन्ती समारोह

[श्री राधे लाल व्यास]

हो उस समय तक यह थियेटर बन जाये ताकि उस जयन्ती समारोह के अवसर पर इससे लाभ मिल सके

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर): अधिष्ठाता महोदय, इस समय वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुदानों पर जब चर्चा हो रही है तो अगर हम देखें कि हमारे देश में जब से देश आजाद हुआ है तब से विज्ञान के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में कितनी उन्नति हुई है, तो उसको देखकर के हमको आशा नहीं निराशा ही होती है ।

आज संसार के सभी राष्ट्र विज्ञान में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहां तक कि रूस आज नकली चांद को उड़ा रहा है, तब हमारे देश में इन दस बारह वर्षों में विज्ञान की उन्नति के लिए जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसके अनुपात में काम नहीं हुआ है, और संसार में विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसको हम देखें तो हम अपने को बहुत पीछे पाते हैं । अभी तक हमारे स्वतंत्र भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अगर कोई काम किया है तो वह यह कि उन्होंने सूरज की किरणों से चलने वाला एक चूल्हा बनाया है । आप जानते हैं कि वह चूल्हा भी देश में लोकप्रिय नहीं हो सका और वह चूल्हा कहां जल रहा है, इस को कोई जानता भी नहीं है । मुझे मालूम हुआ है कि बम्बई की एक फ़र्म मैसर्ज़ देवीदयाल एंड सन्ज़ से नैशनल फ़िज़िकल लैबारेटरी के परचेज़ विभाग ने पांच हज़ार की कीमत पर ८४ चूल्हे १९५५ में ख़रीदे थे । वे चूल्हे आज तक पड़े हुए हैं और उन का कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है—इस देश में उन का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है ।

इस देश में विज्ञान को तरक्की देने के लिए कौंसिल आफ़ साइंटिफ़िक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की एक आटानोमस बाडी बनाई गई, जिस के अन्तर्गत देश भर में लगभग २५ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं । उन प्रयोगशालाओं में जो प्रमुख प्रयोगशाला नैशनल फ़िजिकल लैबारेटरी है, उस के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । प्रथम तो यह कि कौंसिल आफ़ साइंटिफ़िक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, जो कि एक आटानोमस बाडी है, प्रबन्ध समिति—गवर्निंग बाडी—के सदस्य देश के गण्यमान्य धनाढ्य और पूंजीपति हैं, जो कि केवल धन कमाना जानते हैं और जिन का विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार इस संस्था को करोड़ों रुपये अनुदान के रूप में देती है मैं चाहूंगा कि सरकार इस की व्यवस्था और प्रबन्ध के विषय में सुधार करने के लिए उचित कदम उठाये । जब तक सरकार इस आटानोमस बाडी को अपने कब्ज़े में नहीं लेगी और इस को कुछ धनपतियों के अन्तर्गत, जिन के अपने स्वार्थ होते हैं, चलने देगी, तब तक इस संस्था में असली खोज का कार्य नहीं किया जा सकेगा । मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज करीब पांच करोड़ रुपये प्रति वर्ष हम इस सम्बन्ध में व्यय करते हैं और इस के अन्तर्गत चलने वाली अनेक प्रयोगशालाओं में से दो प्रयोगशालाओं—नैशनल फ़िज़िकल लैबारेटरी और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली—प्रत्येक पर करीब चालीस लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करते हैं । लेकिन अनुसन्धान के नाम पर जनता के उस धन का, जो कि बड़ी मुसीबत और कठिनाई के बाद राज्य-कोष में एकत्रित होता है, कितना दुरुपयोग हो रहा है, इस का एक चित्र मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

यह नेशनल फ़िज़िकल लैबारेटरी १९४७ से यहां दिल्ली में कार्य कर रही है । मेरे पास इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि इस संस्था के उच्च अधिकारियों ने इस संस्था में अपनी जात-बिरादरी के लोगों और अपने भाई भतीजों को नौकरियां दी हैं । इस के कारण जब असंतोष फैला, तब दो अधिकारियों को, जिन के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप थे, केवल स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उन के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की गई । इस सम्बन्ध में मैं ने २०६ आदमियों

की लिस्ट बनाई है, जिन के रिश्तेदार और भाई भतीजे रखे गये । नैशनल फ़िज़िकल लैबारेटरी के एक बहुत ज़िम्मेदार अधिकारी ने अपने भाई भतीजों में २६ सालों को भी नौकरी दी हुई है—**ट्वेंटी सिक्स ब्रदर्ज-इन-ला हैव बिन एपायंटिड ।** इस की जांच होनी चाहिए । यह सही है कि बदर्ज़-इन-ला से बड़ा मधुर सम्बन्ध रहता है ।

जहां तक सालों का सवाल है, वह मधुर सम्बन्ध होता है । उन को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन जनता के धन का दुरुपयोग कर के किसी को नौकरी दी जाये, यह बड़ा गम्भीर विषय है—यह हास्यास्पद विषय नहीं है । इस के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रमाण दिये जा सकते हैं कि कुछ अधिकारियों ने सैकड़ों की तादाद में अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दीं ।

इस नैशनल फ़िज़िकल लैबारेटरी में खोज का काम प्रमुख रूप से होना चाहिए, लेकिन वह काम तो कम होता है और वहां पर टैस्टिंग वर्क ज्यादा होता है—बाहर की बनी हुई चीज़ों को ही टेस्ट किया जाता है । जो व्यक्ति यह जांच-पड़ताल का काम करते हैं, वे नान-क्वालिफ़ाइड लोग हैं, जिन में क्षमता नहीं है । इस प्रकार के व्यक्ति उस में भरे हुए हैं । मैं चाहूंगा इस ओर ध्यान दिया जाये ।

चूंकि इन प्रयोगशालाओं में पक्षपात ढंग से अपनी अपनी ज़ात-बिरादरी के लोग रखे हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उन में आपस में होड़ है और कोई कार्य नहीं होता है । वहां जो प्रोमोशन होती हैं, उन में भी भेद-भाव बरता जाता है । इस के फलस्वरूप हमारे पांच छः विज्ञान-वेत्ता, जो सचमुच बहुत उपयोगी और बहुत ही विद्वान थे, इन्हीं कारणों से ऊब कर इस लैबारेटरी को छोड़ कर बाहर चले गये । आज उन का वहां सम्मान हो रहा है और वे वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन को यहां पर स्थान नहीं मिला ।

जहां इस नैशनल फ़िज़िकल लैबारेटरी में इतनी कुनबापरस्ती है, वहां जनता के धन का कितना भीषण दुरुपयोग होता है, उस का एक चित्र मैं आप के सामने रखना चाहूंगा । यहां पर करीब चार लाख रुपयों का सामान बाहर पड़ा हुआ है धूप, गर्मी और बरसात में, जिस की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । यद्यपि वहां पर टिन रखी हुई है और उस का शेड बना कर उस में उस सामान को रखा जा सकता है, लेकिन वह सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उसकी तरफ़ कोई ध्यान दिया जाता है ।

१९५९ में—पिछले साल—डिसटेम्पर करने के लिए कुछ ब्रश लिये गये थे । उन की संख्या ५६२ थी । उन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस फ़र्म को खुश करने के लिए उन को खरीदा गया । उन में से केवल १९ का प्रयोग हुआ और बाकी पड़े हुए हैं ।

१९५६ में सीमेंट के १९०० बैग्ज़—सीमेंट की १९०० बोरियां—ली गईं ।

श्री हुमायून् कबिर : १९५६ में ?

श्री जगदीश अवस्थी : जी हां, १९५६ में । उन में से केवल ९०० बोरियों का प्रयोग हुआ और बाकी की एक हजार बोरियां डेढ़ दो साल से पड़ी हुई हैं और उन का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है । उधर कोई ध्यान देने वाला नहीं है ।

जो सब से अच्छी धातु प्लाटिनम होती है, वह बहुत दिन से एक अधिकारी महोदय के अधिकार में पड़ी हुई है और उस का प्रयोग नहीं हो रहा है । इस के अलावा लाखों रुपयों का डिसपोज़ल का सामान बाहर पड़ा हुआ है और उस की कोई केयर नहीं की जा रही है । ऐसे समय में, जब कि

[श्री जगदीश अवस्थी]

सरकार एक एक पैसे की बचत कर रही है, इकानोमिक ड्राइव हो रहा है, विज्ञान की उन्नति के नाम पर इतना सामान खरीदा जाये और उस का कोई प्रयोग न हो, पक्षपात हो, भ्रष्टाचार हो, भाई-भतीजावाद पनप रहा हो, इस की अवश्य जांच होनी चाहिए ।

इस मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य के नाम पर बहुत कुछ अनावश्यक धन व्यय किया जा रहा है, जिस की आवश्यकता नहीं है । इस रिपोर्ट में उस का वर्णन किया गया है और मैं मंत्री जी का ध्यान उस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं । जैसाकि हमारे मित्र महोदय ने कहा है, सब सांस्कृतिक कार्य-क्रम यहां ही होते हैं । इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इस दिल्ली महानगरी में कुछ विद्यार्थियों के रहने के लिये इन्टरनेशनल स्टुडेंट्स हाउस खोला जायेगा, जिस पर चार लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है । इस के साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में भी अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-भवन खोले जायेंगे, जिन पर पांच छः लाख रुपया केन्द्रीय सरकार देगी और कुछ रुपया राज्य सरकारें भी देंगी ।

इस के साथ ही साथ इस दिल्ली महानगरी में कुछ रंगशालायें आप खोलने जा रहे हैं जिन पर लाखों रुपया आप व्यय करेंगे । इस के साथ ही साथ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कुछ राज्यों में, प्रमुख केन्द्रों में भी रंगशालायें खोली जायेंगी और उन के निर्माण के लिये भी आप ने लाखों रुपये की धनराशि रखी है । जहां तक रंगशालायें खोलने का प्रश्न है, इन विद्यार्थियों के लिये होस्टल खोलने का प्रश्न है, मैं सिद्धान्ततः इस के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन प्रश्न यह है कि आज दूसरे आवश्यक कार्यों के लिये हमें रूपये की आवश्यकता है । आज विद्यार्थी समाज की दूसरी कई जरूरी चीजें हैं जिन का पूरा किया जाना आवश्यक है, उन की फीसें हम बढ़ाते जा रहे हैं, अध्यापकों को वेतन ठीक समय पर नहीं मिलता है तथा शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा होती है जोकि उचित नहीं है । ये सब काम हैं जिन की ओर पहले ध्यान दिया जाना आवश्यक है । ये वे काम हैं जिन पर रुपया व्यय किया जाना चाहिये । दिल्ली में आगे ही कई और भवन हैं जिन का उपयोग हो सकता है । यहां पर सरकारी भवनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है । मैं समझता हूं कि यह जो लाखों रुपया व्यय होगा यह पैसे का अपव्यय ही कहा जायेगा । इस की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है । जब आप का मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय में था उस वक्त भी मैं ने इस के बारे में निवेदन किया था और आज भी करता हूं कि इस की आवश्यकता नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्टूडेंट बोर्डिंग हाउस खुले, बिल्डिंग बनावें और इस को आप कुछ समय के लिये स्थगित कर दें ।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशों में सांस्कृतिक पार्टियां आप ने भेजी हैं और आप कहते हैं इन पार्टियों के जाने से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं । जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, इस में किसी का विरोध नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों को भेजने का आधार क्या है, कौन उन का चयन करता है, किन को उन में शामिल किया जाता है, यह सब देखने की बात है । मैं समझता हूं कि इस के सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से आप की मान्यतायें होनी चाहियें । आज मैं समझता हूं कि मंत्रालय में कुछ, लोग बैठ कर के अपनी इच्छानुसार उन को चुन कर के उन को विदेशों में भेज देते हैं जोकि उचित नहीं है । रिपोर्ट में मैं ने देखा है कि विदेशों को एक प्रतिनिधिमंडल गया जिस का काम गाना, बजाना और संगीत का परिचय वहां पर लोगों को कराना था और उसमें एक फिल्म तारिका, कुमारी वैजयन्तीमाला का नाम दिया गया है और कहा गया है कि उन को एक हज़ार रुपये दिये गये । फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसिस लाखों रुपये पैदा करते हैं और विदेशों में जाते रहते हैं । इस फिल्म तारिका को एक हजार रुपये दे कर किस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आप ने करवाया होगा, यह समझने में मैं असमर्थ हूं । कितना ही पैसा इन को फिल्मों में प्राप्त होता है और साथ ही साथ ये हमेशा विदेशों में घूमा करते हैं और मैं समझता हूं कि एक हज़ार रुपया दे कर आप ने कोई एहसान भी नहीं किया और कलंक भी मोल लिया है ।

इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि लिटिल बैले ट्रुप, बम्बई को उस की विदेश यात्रा के लिये वित्तीय मदद दी गई है ताकि विदेशों में वह अपने संगीत का प्रचार कर सकें। शायद आप ने यह देखा नहीं कि इस ट्रुप ने किस भारतीय संगीत का वहां प्रचार किया होगा। इस देश के अन्दर जो हमारी संगीत की प्रणाली है, इस के प्रसार के लिये अगर कोई पार्टी विदेशों को भेजी जाती है वह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन पाश्चात्य आधार पर क्लबें लोग बना कर बैठे हुए हैं और जब वे पैसा ले कर विदेशों में जाते हैं तो इस को पैसे का दुरुपयोग ही कहा जा सकता है और यह बन्द होना चाहिये।

मुझे रिपोर्ट में यह पढ़ कर भी दुःख और आश्चर्य हुआ कि भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित गांधी जयन्ती के अवसर पर नर्तकों और संकीतज्ञों का एक दल भी नेपाल गया। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी की जयन्ती चाहे देश में मनाई जाय चाहे विदेशों में मनाई जाय, उस पर अवसर पर नर्तकों के दल को भेजा जाना कुछ असंगत सा दिखाई पड़ता है, कुछ हास्यास्पद सी बात मालूम पड़ती है। गांधी जयन्ती के अवसर पर नर्तक जा कर वहां नृत्य करें, यह मैं समझता हूं भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है . . . .

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : उन्होंने रामधुन पर नृत्य किया होगा।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : वे नर्तक गरबा नृत्य करने के लिये आते हैं।

श्री जगदीश अवस्थी : जो भी करते हों, लेकिन नर्तकों और संगीतज्ञों का जो दल इस अवसर पर भेजा गया उस को पढ़ कर दुःख और आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता है।

इस मंत्रालय के द्वारा जो हमारे धन का दुरुपयोग हो रहा है, विज्ञान के नाम पर तथा संस्कृति के नाम पर उस की एक झलक मैं ने आप के सामने पेश की है। अन्त में मैं कानपुर नगर में जो एक इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, जिस के बारे में मेरे मित्र ने भी कुछ निवेदन किया है, उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सचमुच में उस में विलम्ब अवश्य हुआ है। लेकिन उस विलम्ब के पीछे हो सकता है माननीय मंत्री जी के मन में यह भावना हो कि वहां पर राज्य सरकार ने ज़मीन देर से दी है। इस के बारे में जब यहां प्रश्न किया गया तो कहा गया था कि राज्य सरकार ज़मीन देगी तो हम खोल देंगे। अब राज्य सरकार को जो ज़मीन लेनी थी वह किसानों को हटा कर के लेनी थी और आज़ हम देखते हैं कि १५,००० किसान और उन के परिवार बेघरबार हो गये हैं। जब राज्य सरकार से इन किसानों के बारे में प्रश्न किया गया कि इन किसानों के बारे में क्या किया जा रहा है जिन के घरबार नष्ट हो गये हैं, जिन से ज़मीन छीन ली गई है तो कहा गया कि अगर वे नौकरी करना चाहेंगे तो उन को चपड़ासी और माली के पद दिये जायेंगे और वे उन पदों पर काम कर सकते हैं। आज भी अगर माननीय मंत्री महोदय जा कर देखें तो उन को पता चलेगा कि बेशक वहां बिल्डिग बनना शुरू हो गई है लेकिन वे सब आज बेकार घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कथन को भूल गई है। यहां के मंत्री महोदय कहते हैं कि हम से कोई मतलब नहीं है। अब वे बेचारे करें तो क्या करें, इस सम्बन्ध में कोई बात निश्चित नहीं की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस इंस्टीट्यूट को बनावें लेकिन किसी के घरबार को उजाड़ कर के, किसी को बेघर-बार कर के किसी को अनएम्प्लायड कर के, बेकार कर के अगर कोई योजना आप चलाते हैं तो इस का मतलब यह होता है कि एक योजना तो आप बनाते हैं, उस को चलाते हैं लेकिन दूसरा काम करने के लिये और योजना बनाने के लिये आप को विवश होना पड़ता है, आप अपनी योजना को बढ़ाते जा रहे है। मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप को विचार करना चाहिये।

[श्री जगदीश अवस्थी]

अन्त में मैं 'स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास' जो लिखा जा रहा है और जिस को एक बहुत बड़े इतिहासकार लिख रहे हैं, इस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप ने रिपोर्ट में लिखा है कि इस की कुछ जिल्दें तैयार हो गई है और बाकी जिल्दें दो सालों में तैयार हो जायेंगी। यह जो इतिहास लिखा जा रहा है यह केवल अंग्रेज़ी भाषा में ही नहीं लिखा जाना चाहिये। जैसा और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जितना भी कार्य आप करते है वह विदेशी भाषा में करते हैं, चाहे जनता उस को समझे या न समझे। जब कोई भी काम हाथ में लिया जाता हैं तो पहले उसको उसी भाषा में लिखा जाता है। पता नहीं क्यों किसी शुभ काम को अशुभ भाषा में प्रतिपादित किया जाता है। इस में कोई महाप्रभुओं को प्रसन्न करने की बात नहीं है। जब किसी काम को विदेशी भाषा में कर लिया जाता है, उस के बाद फिर जब कोई उस के बारे में चर्चा होती है, जब उस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है तब जा कर उस काम को देशी भाषा में भी किया जाता है। मैं समझता हूं कि स्वाधीनता आन्दोलन जोकि देशी भाषाओं के माध्यम से चलाया गया था, विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं चलाया गया, उसी भाषा के माध्यम से लिखा जाना चाहिये और यही श्रेयस्कर होगा और जनता के हित में होगा। इस को आप ने अगर अंग्रेज़ी में लिखवाना प्रारम्भ कर दिया हो तो उस के साथ ही साथ हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उस का अनुवाद होना आवश्यक है और इस की व्यवस्था आप को करनी चाहिये।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन (कुम्भकोणम्) : वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने से पूर्व मैं मंत्री महोदय की उन के कार्यों के लिये प्रशंसा करता हूं। इस के साथ ही मैं उन की सेवा में कुछ बातें प्रस्तुत करता हूं। राष्ट्रीय पुस्तक अनुक्रमणिका अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि हिन्दू धर्म और ब्राह्मण धर्म में भेद किया गया है। वेदों और उपनिषदों को ब्राह्मण धर्म में और बाकी धार्मिक साहित्य को हिन्दू धर्म के अन्तर्गत रखा गया है। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है ? हमारा धर्म तो सनातन है। यह सब धर्मों से कुछ न कुछ लेता है। संसार की अन्य संस्कृतियां समाप्त हो सकती हैं परन्तु यह समाप्त नहीं हो सकता। यह सन्तोष की बात है कि इसे जान बूझ कर नहीं किया गया। हमारी प्राचीन संस्कृति को आज भी ब्राह्मणवाद और हिन्दुवाद का नाम देना पुरानी अंग्रेज़ों की स्मृतियों को सजीव करनी है। लार्ड कर्जन ने इस प्रकार से भारतीयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस भूल की ओर ध्यान देंगे।

यह बात भी सचमुच बड़ी खेदजनक है कि कालिदास जैसे महान संस्कृत कवि की रचनाओं को भी ठीक ढंग से संकलित नहीं किया गया है। न ही उसे समुचित ढंग से प्रकाशित ही किया गया है। कई रचनायें अभी अप्रकाशित पड़ी हैं। अतः इस प्रकार की कोई संस्था का निर्माण होना चाहिये। उन की कृतियों का अच्छा अनुवाद भी करवाया जाना चाहिये। यह अनुवाद उच्च कोटि का होना चाहिये।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ५२ पर लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि कुछ ऐतिहासिक स्थानों की मरम्मत का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को रामेश्वरम् के मन्दिर की मरम्मत कराने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। यद्यपि हम ने वास्तुकला में बहुत प्रगति की है परन्तु फिर भी मैं दावे से कह सकता हूं कि रामेश्वरम् के मन्दिर जैसी एक भी इमारत आधुनिक भारत में नहीं बन सकी। मैं रामेश्वर के मन्दिर पर आज की तमाम इमारतों को कुर्बान कर सकता हूं। मंत्री महोदय को अच्छे प्रवीण शिल्पियों से इस की मरम्मत करवानी चाहिये। इन की मरम्मत

†मूल अंग्रेजी में

का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के हाथ में मत दीजियेगा वर्ना वे सीमेंट का पलस्तर कर के इन की शोभा खराब कर देंगे। मद्रास सरकार को भी इस दिशा में अपने साधनों का प्रयोग करना चाहिये। उत्तर भारत के ताजमहल इत्यादि की मरम्मत पर यदि आप ८ लाख खर्च कर सकते हैं तो दक्षिण भारत के मन्दिरों की ओर भी आप को ध्यान देना चाहिये। देश के आक्रमणकारियों को इन मन्दिरों को तोड़ने का अवसर नहीं मिला, अतः वे आज तक बने हैं। इस दिशा में हिन्दू धर्मस्व बोर्ड ने काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। महाबलिपुरम्, मदुरा, रामेश्वरम्, इत्यादि स्थानों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि आप ने जम्मू काश्मीर के ऐतिहासिक स्थानों को अपने हाथ में ले लिया है। उस के लिये मैं मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं। परन्तु मेरा निवेदन है कि दक्षिण भारत के महान ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों के बचाव के लिये भी एक अलग विभाग होना चाहिये।

वन्य जीव के भारतीय बोर्ड की बात करता हूं। उस के लिये प्रतिवेदन में केवल ३ पंक्तियां दी गयी है। बोर्ड ने बहुत ही शानदार काम किया है। वह यह कि हजारों वन्य जीवों को गोली मार दी गई है। दूसरे देशों में वन्य जीवन को सुरक्षित रखा जाता है।

इसी प्रकार मेरा कहना है कि भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था मद्रास में खोली जा रही है। इस की हमें प्रसन्नता है परन्तु दक्षिण भारत में यह आम धारणा है कि इस में काफी देरी हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस महान् संस्था की स्थापना में देरी नहीं होनी चाहिये। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीय कर्मचारियों की भर्ती में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का भी हाथ होना चाहिये। इसे केवल खाद्य और कृषि मंत्रालय तक नहीं छोड़ना चाहिये। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें पदोन्नतियां दी जानी चाहियें। हमें उन्हें भूखा नहीं मारना चाहिये। कवियों और वैज्ञानिकों की प्रतिभा का पता लगते ही सरकार को उन की सहायता करनो चाहिये।

मुझे यह भी पता चला है कि काफी संख्या में ऐसे नवयुवक भी हैं जोकि विदेशों से प्रविधिक शिक्षा प्राप्त कर के और स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां ले कर आये हैं, परन्तु उन की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। सरकार को इन के लिये कुछ करना ही चाहिये। यदि कोई स्थायी प्रबन्ध करना एक दम सम्भव न हो तो कोई अस्थायी व्यवस्था ही कर देनी चाहिये।

अन्त में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गजेटियरों को नये ढंग से छपवाना चाहिये। यह काम उसी प्रकार करना चाहिये जिस तरह कि सरकार विधि सम्बन्धी पुस्तकों तथा उन की संक्षेपिकाओं को प्रकाशित कर के कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : लाल फीताशाही वैज्ञानिक विकास की प्रगति में रोड़ा है और देश के वांछित एवं आवश्यक औद्योगिक विकास की प्रगति में रुकावट डाल रही है। और देश की आवश्यकता को देखते हुए जिस प्रगति की हमें आवश्यकता है उस में बाधक है। दूसरे देश की अनुसंधानशालाओं में कुछ स्वार्थी लोगों के आ जाने से उन नवयुवक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जो देश की प्रगति के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 'इंडियन साइंस कांग्रेस', 'अकादमी आफ साइंस' आदि द्वारा प्रकाशित लेखों तथा आयव्ययक में जो अधिक व्यवस्था की गई है उस से ऐसा प्रकट होता है कि मानो वैज्ञानिक व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं उन के अनुसंधान कार्य में मानो बहुत प्रगति हो रही है। लेकिन अन्य देशों जैसे अमरीका, इंगलिस्तान, चीन और जापान जैसी स्थिति

†मूल अंग्रजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

हमारे यहां नहीं है । इस से तो भावी पीढ़ी के वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता तथा कार्यकर्ताओं के इस कार्य में आगे आने में हिचकिचाहट भी होगी । कलकत्ता की बायो-कैमिस्ट्री और औषधि प्रयोगशाला में काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार है । इम्यूनियो बायोलोजिकल प्रयोगशाला वहां के निदेशक की एक प्रकार से निजी प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रही है । पहले यह संस्था इन निदेशक के घर पर थी लेकिन भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् के लेने के बाद भी उस संस्था की स्थिति वही है । वहां अभी हाल में ११ वैज्ञानिकों ने त्यागपत्र 'दया है और २ वैज्ञानिकों को निकाला गया है ।

विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अनुपातत: संख्या में निरन्तर कमी हो रही है उसका कारण यह है कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई की सुविधाओं की कमी है । तथा विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की भी कमी है । अनुसन्धान कार्य के लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिये । देश में अधिक से अधिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थाएं खोलने का प्रयत्न करना चाहिये । और विशेष रूप से ये संस्थाएं राज्यों में खोली जायें जहां कि स्थानों की उपलब्धि की अपेक्षा प्रवेश पाने वालों की संख्या अधिक है । बंगाल में इस प्रकार की वैज्ञानिक संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है ।

अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों में से केवल एक-तिहाई को छात्रवृत्तियां मिलती हैं जबकि दो-तिहाई विद्यार्थियों को अपने पैसे से अनुसन्धान करना पड़ता है । यह सहायता राशि भी पहले तो बहुत कम है, दूसरे इसका भुगतान भी अनियमित है । तीसरे अनुसंधान योजना को स्वीकृत कराना भी बड़ा कठिन है । इसके अतिरिक्त अनुसन्धान कार्यकर्ताओं को सेवा मिल जाने की भी कोई गारंटी नहीं है । उद्योग भी वैज्ञानिकों को कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं । ऐसे उदाहरण भी हैं जहां विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं जहां कि उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ।

एकस्व भी अधूरे अनुसंधान के आधार पर दे दिये जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उनका कार्य उतना नहीं होता जितना कि होना चाहिये । इस क्षेत्र में गैर-सरकारी उद्योग भी सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

अधिछात्रवृत्ति के लिये जो धन स्वीकृत हुआ है उसका उपयोग नहीं किया है । इसकी आलोचना प्राक्कलन समिति ने भी की है । छात्रवृत्तियां योग्यता के आधार पर नहीं दी जातीं बल्कि अन्य दूसरे कारणों पर दी जाती हैं ।

अकादमियों के प्रतिवेदन में उनके कार्यों का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि देश की संस्कृति एवं प्रगति के लिये इन्होंने क्या किया है । इन अकादमियों के कार्य शहरी क्षेत्र तक ही सीमित हैं ।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की शताब्दी मनाने के लिये सरकार कुछ गम्भीर प्रतीत नहीं दिखाई पड़ती । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ऐसा प्रयत्न करें कि यह शताब्दी उपयुक्त ढंग से मन सके । और सरकार इसको सफल बनाने का प्रयत्न करेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : देहरादून के "सर्वे आफ इंडिया" के कर्मचारियों को पानी के शुल्क के बारे में जो रियायत दी गई है उसका उन सभी कर्मचारियों ने स्वागत किया है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री वहां के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संघ को मान्यता देने के प्रश्न पर

†मूल अंग्रेजी में

फिर से विचार करें। और गृह मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय से परामर्श करके इस संघ को जिसने पिछले वर्षों में अच्छा कार्य किया है मान्यता प्रदान करें।

सर्वे आफ इंडिया के कर्मचारियों की एक कठिनाई वर्तमान विभागीय छुट्टी की व्यवस्था है। वेतन आयोग ने भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। इस विभाग के बढ़ते हुए काम को देखते हुए यह आवश्यक है वहां कुछ व्यक्तियों को स्थायी बनाया जाये और शेष व्यक्तियों को नियमित कर्मचारी करार दिया जाये। विभागीय छुट्टी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये।

इस विभाग के कर्मचारियों को जो नेपाल जैसी जगहों पर काम करते हैं पहले "विदेश भत्ता" दिया जाता था लेकिन अब वह बन्द कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भत्ता अब दिया जाता है अथवा बन्द कर दिया गया है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को माल देने के बारे में कुछ ठेकेदारों ने मानो एकाधिकार पा लिया है। यहां तक हुआ कि टेन्डर तक भी नहीं मांगे गये। यह भी कहा जाता है कि इस्पात का पूरा कोटा भी उपयोग म नहीं लाया गया और उसे चोर-बाजार से बेचा गया। इन आरोपों की जांच की जानी चाहिये। अगर ये बातें सच हैं तो इनको दूर करना चाहिए। इस प्रकार की वैज्ञानिक संस्थाओं से ये बुरी बातें निकाल देनी चाहिएं।

ज्ञात हुआ है कि संगीत नाटक अकादमी की सचिव कुमारी निर्मला जोशी ने त्यागपत्र दे दिया है। मैं उनके त्यागपत्र का कारण जानना चाहता हूं। हम नहीं चाहते कि इन कला-मन्दिरों में भी किसी प्रकार का पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद को स्थान मिले। संस्कृति के नाम पर कुछ असंस्कृत लोग इन अकादमियों में स्थान पा रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है।

"नार्दन इंडिया हायर टेक्नोलोजी" की स्थापना करने के मामले में अधिक देरी नहीं होनी चाहिये। इस बारे में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को उचित क्षतिपूर्ति दे दी गई है अथवा नहीं।

लोकनृत्य एवं लोक संगीत के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोक संगीत एवं लोक नृत्यों के लिये भी कुछ किया जाये। और बंगाल तथा वृन्दावन के कीर्तन के पुनरुद्धार करने के लिये भी प्रयत्न किये जाने चाहियें।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुराने क्रान्तिकारियों तथा नौसेना के उन कर्मचारियों के नाम जिन्होंने १९४६ के 'नौसेना गदर' में भाग लिया था राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास में लिखे गये हैं अथवा नहीं। क्या भगतसिंह, सुखदेव राजगुरु, बोस आदि के नाम इसम आये हैं अथवा नहीं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इन तीनों अकादमियों के कार्यों के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है और वे कार्य क्या हैं?

साहित्य अकादमी प्रादेशिक भाषाओं की कुछ पुस्तकों का अनुवाद कराती है लेकिन उन पुस्तकों के चयन का आधार क्या है यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पुरस्कार देने की नीति के आधार का भी उल्लेख करना चाहिये।

इंडिया आफिस पुस्तकालय को प्राप्त करने में क्या कठिनाइयां हैं यह मैं मालूम करना चाहता हूं। प्रतिवर्ष इस मंत्रालय की मांगों की चर्चा के समय यह प्रश्न उठाया जाता है लेकिन हर बार यह कहा जाता है कि अच्छा हो कि यदि यह प्रश्न न उठाया जाये। यह एक महत्वपूर्ण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

प्रश्न है । सरकार को यथासंभव सहायता मद्रास सरकार को देनी चाहिये ताकि वह दर्शनीय मन्दिरों की सुरक्षा कर सके ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में यह शिकायत मिल रही है कि वहां बहुत मूल्यवान् चीजों की खरीद की जा रही है और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है तथा वे बेकार पड़ी हैं। प्राक्कलन समिति ने अपने ७६वें प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है तथा इन प्रयोगशालाओं में की जाने वाली भर्ती का भी उल्लेख किया है । वहां काम करने वाले तीसरे तथा चौथे श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानों के विज्ञापनों को तो स्थानीय आधार पर प्रकाशित कराना चाहिये तथा अन्य पदों के स्थानों की पूर्ति समस्त भारत के आधार पर की जानी चाहिये । तथा उनका विज्ञापन भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में देना चाहिये ।

यह उपयुक्त नहीं था कि राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास बनाने का काम केवल एक ही व्यक्ति को सौंपा जाता चाहे कितना सुयोग्य वह क्यों न हो । राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी सभी पुस्तकें, पैम्फलेट, समाचारपत्र, आदि पुस्तकालयों में रखे जायें ताकि सभी उनको देख सकें। इस इतिहास में मद्रास के बोमन भाइयों का नाम सम्मिलित कर के तामिलनाड के लोगों की भावनाओं का भी आदर करना चाहिये ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा जिन विषयों से मेरा सम्बन्ध है वे इस प्रकार के हैं जिनमें राजनैतिक भेदभाव के लिये गुंजाइश नहीं है । गवेषणा कार्य में गलती हो जाना स्वाभाविक है इसलिये माननीय सदस्यों को इसके सम्बन्ध में दुखी नहीं होना चाहिये । समस्त चर्चा सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना से प्रेरित रही है जिससे यह मालूम होता है कि गवेषणा और संस्कृति का एक विभाग में समेकित किया जाना सर्वथा उचित है ।

इसके बाद मैं विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये निर्दिष्ट प्रश्नों को लूंगा । श्री वें० प० नायर ने अपने विस्तृत भाषण में मुझे बहुत सी नई बातें बताईं और आगे भी वैसा करने के लिये कहा । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वह जो कुछ भी कहेंगे उस पर यथाशीघ्र विचार किया जायेगा और यदि सुधार के लिये कोई कदम उठाना आवश्यक होगा तो उसमें किसी प्रकार की हिचक नहीं की जायेगी। परन्तु मैं समझता हूं कि यह कहना गलत न होगा कि जिन बातों का उन्होंने निर्देश किया उन में से अनेक बहुत समय पहले घटित हुई थी । उन्होंने १९५६ की एक घटना का उल्लेख किया। उसके बाद वैसी कोई घटना नहीं हुई । परन्तु मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जब इतना बड़ा संगठन होता है तो इस प्रकार की अवांछनीय घटनायें घटित हो जाना असंभव नहीं है । परन्तु यदि उसे हमारी जानकारी में लाया जाये तो हम निश्चय ही यह विचार करेंगे कि उसके सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ।

फिर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् में कोई सेवा नियम नहीं हैं। यह ठीक नहीं है । सेवा नियम बनाये जा चुके हैं और जो पद तीन वर्षों या उससे अधिक समय से चले आ रहे हैं उनमें से लगभग ८० प्रतिशत स्थायी बना दिये गये हैं और अनेक मामलों में कर्मचारियों की पुष्टि की जा चुकी है ।

जहां तक गवेषणा पदों का सम्बन्ध है, अनेक पद स्थायी हैं। परन्तु उन पर काम करने वालों को ठेके दिये जाते हैं और ये ठेके सामान्यतः पहली बार छै साल के लिये दिये जाते हैं। इस समय वैज्ञानिक कर्मचारी समिति समस्त मामले पर विचार कर रही है क्योंकि इस विषय पर

†मूल अंग्रेजी में

अनेक प्रकार के मत हैं। संसार के विभिन्न देशों ने विभिन्न सिद्धांत स्वीकार किये हैं। उदाहरण के लिये उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक गवेषणा और शिक्षा सम्बन्धी तथा प्रविधिक कर्मचारियों के मामले में दो सिद्धांत हैं—स्थायी सेवा का सिद्धांत और ठेके का सिद्धांत। स्थायी सेवा में सुरक्षा तो रहती है परन्तु कार्य की प्रेरणा किसी हद तक कम हो जाती है। इसके विपरीत ठेके की सेवा में उन्नति करने का अधिक अवसर रहता है।

जहां तक खरीदों, आदि का सवाल है उनके बारे में निश्चित नियम हैं। हाल में हमारी जानकारी में यह बात लाई गई थी कि कुछ मामलों में सामान कम निकला है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उन सब मामलों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। इसलिये छोटे मोटे अपवादों को छोड़कर हमारी समस्त राष्ट्रीय प्रयोगशालायें उपयोगी कार्य कर रही हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनमें से प्रत्येक नित्य ही कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करती हैं क्योंकि वैज्ञानिक गवेषणा में ऐसा संभव नहीं है। परन्तु काफी उपयोगी कार्य किया गया है। पता नहीं उस समय माननीय सदस्य सभा में उपस्थित थे या नहीं जब मैं ने प्रारम्भिक भाषण दिया था। उसमें मैंने दो बातों का उल्लेख किया था। केन्द्रीय जांच तथा कुम्भकारी गवेषणा संस्था ने बिना किसी बाह्य सहायता के चश्मे के कांच बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसी संस्था ने इस साल तर अभ्रक को पीसने का तरीका ढूंढ़ लिया है जो काम अभी तक केवल एक अमरीकी सार्थ ही करता था। जब उस पेटेन्ट को रजिस्ट्रेशन के बाद इस अमरीकी सार्थ को दिखाया गया उसने कहा कि वह प्रक्रिया प्रायः उनकी जैसी ही है। अब हमने उनसे कह दिया है कि हमारा पेटेन्ट लिये बिना वे भारत में काम नहीं कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक मामले में एक पेटेन्ट बहुत संतोषजनक नहीं सिद्ध हुआ। मेरा निवेदन है कि जब हम सैकड़ों पेटेन्ट ले रहे हैं तो एकाध पेटेन्ट का असन्तोषजनक निकलना असंभव नहीं है। परन्तु वहां मैं समझता हूं कि गलती पेटेन्ट करने वालों और पेटेन्ट लेने वालों दोनों की बराबर ही मानी जानी चाहिये क्योंकि जो लोग उचित छान बीन के बाद पेटेन्ट को स्वीकार करते हैं उनको भी उस जिम्मेदारी में भागीदार होना चाहिये, यदि उस पेटेन्ट, में कोई खामियां रह गई हों। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि उन खामियों का संकेत किया जाये तो उनके सुधार का प्रयत्न किया जायेगा ताकि हमारे पेटेन्ट उपयोगी और यथासंभव पूर्ण हो सकें।

माननीय श्री वें० प० नायर ने यह भी कहा कि संसद् सदस्यों द्वारा भेजी जाने वाली शिकायतें भी रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। यह बात सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं समझता था कि संसद् सदस्य अपने सम्मान का अधिक ध्यान रखते हैं और वे जानते हैं कि यदि उनकी शिकायतों की उचित जांच नहीं की जाती तो वे अनेक प्रकार से उन्हें दूर करा सकते हैं। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यदि शिकायत ठीक होगी तो चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई हो हम निश्चय ही उसकी जांच करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जायेगा।

फिर माननीय सदस्य ने समुद्रवर्णना सर्वेक्षणों (ओशियेनोग्रेफिक सर्वे) का निर्देश किया। इस क्षेत्र में अधिक सफलता न मिलने का प्रमुख कारण विशेषज्ञों का अभाव है। हमें इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिये विदेशों से विशेषज्ञ बुलाने पड़े थे। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि अपने सामुद्रिक सीमांतों का विदेशियों द्वारा सर्वेक्षण कराने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। इसलिये हम अपने ही लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रयत्न कर रहे हैं और

[श्री हुमायून् कबिर]

अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में जो कार्य किया गया है उससे बहुत से लोग यह काम सीख गये हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इसके सम्बन्ध में अधिक तेजी से प्रगति हो सकेगी।

फिर श्री वें० प० नायर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने गवेषणा कार्य के समन्वय का सवाल भी उठाया। मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं परन्तु कुछ अन्य क्षेत्रों में गवेषणा का थोड़ा सा अनुभव मुझे है। मेरा विचार है कि आधारभूत गवेषणा का समन्वय नहीं हो सकता है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि कुछ मामलों में दोहरी गवेषणा हो रही है। इससे मालूम होता है कि वे गवेषणा कार्य की प्रकृति से अनभिज्ञ हैं। अनेक लोगों की समस्या एक ही हो सकती है। परन्तु उनका विश्लेषण करने का ढंग भिन्न भिन्न होगा और वे भिन्न भिन्न परिणामों पर पहुंचेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र, पुरातत्व, इतिहास, भाषाशास्त्र और पुरालेखविद्या (एपीग्राफी) की अनेक खोजें अनेक लोगों के एक साथ काम करने के परिणामस्वरूप ही हुई हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी प्रयत्न कर रहा है। यदि माननीय सदस्य के सिद्धांत के अनुसार एक काम एक ही व्यक्ति करता है तो वर्तमान बहुत सी गवेषणायें संभव न हुई होतीं। हाल के वर्षों में भी नाभिकीय सिद्धांत, आणविक भौतिकशास्त्र, धातुशास्त्र, विज्ञान, विद्युत् उद्योग आदि क्षेत्रों में अनेक खोजें विभिन्न लोगों के गवेषणा कार्य के परिणाम-स्वरूप ही हुई हैं जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण ले कर चले थे और जिन्हें एक दूसरे के कार्य का पता भी नहीं था।

इस सम्बन्ध में मैं प्रौद्योगिकीय और आधारभूत गवेषणा सम्बन्धी गलत धारणा को दूर कर देना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आधारभूत गवेषणा अधिक उपयोगी नहीं है। इसलिये अभी हमें अपना सारा समय प्रौद्योगिकीय गवेषणा में लगाना चाहिये। संभवतः वे यह भूल रहे हैं कि आधारभूत गवेषणा के बिना व्यावहारिक गवेषणा संभव नहीं है। इसीलिये हमने अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तीन प्रकार का गवेषणा कार्य रखा है। पहली आधारभूत गवेषणा है जिसका उद्योग अथवा प्रौद्योगिकी से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है परन्तु फिर भी वह कभी कभी अन्य गवेषणाओं से अधिक लाभकारी सिद्ध हुई है। फिर व्यावहारिक गवेषणा है जिसमें किसी उद्योग अथवा परियोजना की कठिनाइयों के सम्बन्ध में गवेषणा की जाती है जो किसी प्रयोगशाला को सौंप दी जाये। तीसरी प्रकार की गवेषणा में फुटकर समस्याओं को लिया जाता है। इन तीनों प्रकार की गवेषणाओं का भेद गवेषणा समाप्ति पर ही किया जा सकता है। गवेषणा के दौरान में केवल तीसरी प्रकार की गवेषणा को पृथक् किया जा सकता है, अन्य दो एक दूसरे से बहुत निकटतया संबद्ध हैं। आधारभूत गवेषणा के महत्व को कम करने का प्रयत्न भविष्य के लिये अत्यन्त घातक है।

इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी की याद आती है। ग्लैड्स्टन जब फैरेडे से मिलने उनकी प्रयोगशाला पर गये तो वह बिजली के सम्बन्ध में कार्य कर रहे थे। परन्तु ग्लैटड्स्टन ने कहा कि तुम ऐसी चीजों में समय क्यों नष्ट कर रहे हो जिनका वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस पर फैरेडे ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस पर कर लगा सकेंगे। माननीय सदस्य जानते होंगे कि आज हमारे जीवन के लिए बिजली कितनी आवश्यक है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि हमें अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में इस प्रकार की आधारभूत गवेषणा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में हमें अधिकाधिक आधारभूत गवेषणा करनी

चाहिए और मुझे यही दुख है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम बड़े पैमाने पर आधारभूत गवेषणा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे वास्तविक निर्माण कार्यक्रम के रूप में परिणत किया जाएगा और उससे न केवल हमारे देश का लाभ होगा वरन् संसार के अन्य सब देशों का भी ।

माननीय श्री बासप्पा ने मुख्यतः तीनों अकादमियों के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों के बीच समन्वय का सुझाव भी दिया। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि उनके बीच निकटतम सहयोग होना चाहिए परन्तु समन्वय नहीं। प्रत्येक राष्ट्रीय संगठन को यह जानना चाहिए कि अन्य संगठन क्या कर रहे हैं ताकि वे एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठा सकें। परन्तु यदि हम समन्वय करने का प्रयत्न करेंगे तो जो लोग वह कार्य करेंगे वे अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर सकेंगे। मेरा विचार है कि कुछ लोगों के हाथ में गवेषणा के नियंत्रण की शक्ति का दिया जाना विज्ञान की प्रगति के लिए हितकारी नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में हाल के दो उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं। हाल में पकिस्तान के एक वैज्ञानिक प्रो० अब्दुस सलाम हमारे यहां आए थे जो नाभिकीय तथा आणविक भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में विश्व-विख्यात हैं। जब उन्होंने पहला लेख तैयार किया तो उसे एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो आणविक तथा नाभिकीय भौतिकशास्त्र के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त हैं। प्रो० सलाम ने उनसे प्रार्थना की कि उस लेख को दोनों के नाम से प्रकाशित करा दिया जाय। परन्तु उन महानुभाव ने यह कह कर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वह योजना ठीक नहीं है। तब प्रो० सलाम ने उसे अपने ही नाम से प्रकाशित किया और उसी के परिणामस्वरूप वह आज संसार के एक महान् वैज्ञानिक माने जाने लगे हैं।

दूसरा मामला दो नौजवान चीनी वैज्ञानिकों—यांग और ली—का है जिनको एक लेख पर दो तीन वर्ष पूर्व नोबल पुरस्कार मिला था। प्रायः वही काम लगभग दस वर्ष पूर्व एक स्विस वैज्ञानिक ने भौतिकशास्त्र के एक विश्वविख्यात व्यक्ति के अधीन किया था। जब उन्होंने उस लेख को देखा तो कहा कि उसमें प्रकाशित करने योग्य कुछ भी नहीं है। परन्तु जब यांग और ली को अपने कार्य के लिए पुरस्कार मिला तो उसे जबर्दस्त धक्का पहुंचा जिसका प्रभाव संभवतः उसके मस्तिष्क पर भी पड़ा। इसलिये हम वैज्ञानिक गवेषणा के क्षेत्र में अनुचित प्राधान्य अथवा समन्वय नहीं चाहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं चाहते वरन् पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इसलिये सहयोग और जानकारी का आदान-प्रदान तो होना चाहिए परन्तु इसके अधिक कुछ नहीं ।

जहां तक इन तीन अकादमियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने अपव्यय के विरुद्ध पूर्वाव-धान के लिए जो सुझाव दिए हैं उनको मैं ध्यान में रखूंगा। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि जनता के धन का अपव्यय हो। परन्तु साथ ही हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि छोटे छोटे खर्चों से तो हाथ खींचें और बड़े बड़े खर्चे बिना विचार किए ही कर दिए जायें। हमें इन अका-दमियों को काम करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इन स्वायत्तशासी निकायों को अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जाय। यदि वे अपनी स्वायत्तता का कुछ अनुचित प्रयोग भी करती हैं तो उसको झेलने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे इन अकादमियों का अनुभव बढ़ता जाएगा वे सही ढंग से काम करने लगेंगी। कभी कभी संसद् सदस्यों के प्रश्नों द्वारा हमें उनकी अनियमितताओं का पता चला है। ऐसे प्रश्नों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं क्योंकि अन्यथा मुझे उन अनियमितताओं का पता नहीं लग पाता। जब कभी भी मुझे उनका पता लगा है मैंने अकादमियों के प्राधिकारियों से उचित कार्यवाही करने के लिए

[श्री हुमायून् कबिर]

कहा है। जब तक वे सही रास्ते पर चलते हैं तब तक मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। इसलिये मैं संगीत नाटक अकादमी के सचिव के इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उसकी कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विचार करके इस्तीफे को स्वीकार करने का निर्णय किया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि कार्यकारिणी परिषद् में अनेक सुविख्यात पुरुष तथा स्त्रियां हैं और उसके सभापति एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।

जहां तक इन अकादमियों के कार्य के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, मैं सिद्धान्ततः इस बात से सहमत हूं कि उनके कार्य का मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिये। परन्तु जिस प्रकार यह करने का सुझाव दिया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। श्री तंगामणि ने कहा कि यह मूल्यांकन एक बड़े समूह द्वारा किया जाना चाहिए। जिसमें सार्वजनिक नेता, संसद्-सदस्य तथा कई अन्य व्यक्ति हों। मेरा विचार है कि यदि मूल्यांकन किया हो जाय तो थोड़े से लोगों द्वारा किया जाना चाहिये जिन्हें उन चीजों का समुचित ज्ञान हो। जब वे प्रतिवेदन देंगे तो उस पर संसद् विचार कर सकती है और मंत्रणा अथवा निदेश दे सकती है क्योंकि अन्ततः वही देश की सर्वोच्च सत्ता है।

जहां तक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों का सम्बन्ध है, कुछ माननीय सदस्य ऐसा समझते मालूम होते हैं कि केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ही इन प्रतिनिधिमण्डलों का चुनाव करता है, अन्य किसी का कोई हाथ नहीं होता है। यह ठीक नहीं है। यह कार्य एक समिति द्वारा किया जाता है जो सर्वप्रथम फरवरी, १९५८ में निर्मित की गई थी और जून १९५९ में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। उसमें मेरे मंत्रालय का केवल एक प्रतिनिधि है। इसके अतिरिक्त एक एक प्रतिनिधि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और तीनों अकादमियों का भी है। फिर दो प्रसिद्ध गैर-सरकारी व्यक्ति हैं—जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो० मुजीब और राज्य-सभा के सदस्य डा० नीहार रंजन राय। यह समिति उन लोगों के सम्बन्ध में विचार करती है जो हमारे देश का विदेशों में सही प्रतिनिधित्व कर सकें। उनकी सिफारिश एवं स्वीकृति के आधार पर ही लोगों को बाहर भेजा जाता है। इस सम्बन्ध में श्री अवस्थी ने कुमारी वैजयन्तीमाला को दिए गए १००० रुपये के अनुदान के सम्बन्ध में नाराजगी प्रकट की। जब हम कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजते हैं तो उसमें एक हजार नहीं वरन् उससे कहीं अधिक खर्चा होता है। इसलिये यदि इतनी सी सहायता से हम किसी कलाकार को बाहर भेज सकते हैं तो उसके सम्बन्ध में सभा को आपत्ति नहीं करनी चाहिये। आप जानते हैं कि कुमारी वैजयन्तीमाला भरतनाट्यम् में संसार भर में प्रसिद्ध हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : उनका किसी अन्य प्रकार भी सम्मान किया जा सकता था।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह सहायता उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से नहीं दी गई थी। वह अंतर्राष्ट्रीय समारोह था जिसमें केवल सरकार द्वारा भेजे गये दल ही भाग ले सकते थे। उन्हें आमंत्रित किया गया था इसलिये उसमें भाग लेने के लिए समर्थ बनाने के लिए इस प्रकार की राष्ट्रीय सहायता देना आवश्यक था। उनकी कला के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मत थे परन्तु पेरिस में उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और वहां के लोगों में भारतीय नृत्य में रुचि उत्पन्न हुई।

†**श्री कालिका सिंह** : फिर इतना कम अनुदान क्यों दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह विचित्र बात है। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हें यह अनुदान क्यों दिया गया और दूसरे माननीय सदस्य उसे कम बताते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं।

श्री हेम बरुआ ने अन्नपूर्णा अभियान के सम्बन्ध में पूछा है। मैंने सभा को बताया था कि हम चो-आयू अभियान से संबन्धित हैं और माउन्ट एवरेस्ट अभियान को भी वित्तीय सहायता दे रहे हैं। फिलहाल हम इससे अधिक अभियानों में हाथ नहीं डालना चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं मे ६२ व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया। यदि तीन वर्षों में ६२ वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया, जब कि २००० वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है कि प्रतिवर्ष लगभग १ प्रतिशत कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया। अतः इसमें शिकायत का कोई कारण नहीं है। इसके स्थान पर मंत्रालय को बधाई देनी चाहिये कि ९९ प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। उक्त ६२ वैज्ञानिकों ने प्रत्येक मामले में इस्तीफा ही नहीं दिया है, कुछ लोगों को अधिछात्रवृत्तियां मिल गई हैं तथा कुछ को अन्य स्थानों में नौकरियां मिल गई हैं। कुछ लोग विश्वविद्यालयों या उच्च संगठनों में चले गये हैं। अतः इसमें शिकायत करने का कोई कारण नहीं है।

अब मैं विदेश से लौटे हुए नवयुवक वैज्ञानिक डा० जोसफ का मामला लेता हूं। मुझे उनकी आत्महत्या पर बहुत दुःख हुआ है। तथापि आत्महत्या करने से जीवन की समस्यायें हल नहीं होती हैं, लोग सोचते हैं कि इससे समस्यायें सुलझ जायेंगी तथापि वस्तुतः इससे और अधिक समस्यायें पैदा हो जाती हैं। तथापि विदेशों से आने वाले वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें दो बातों पर ध्यान रखना होता है। पहिला उनकी योग्यता तथा दूसरे वे वैज्ञानिक जो भारत से विदेशों को नहीं जा पाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को केवल विदेश जाने या अधिछात्रवृत्ति पाने के कारण ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मेरे विचार से केवल विदेश जाने के कारण हमें उन वैज्ञानिकों को अधिमान्यता नहीं देनी चाहिये। भारत में रहने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा किये गये अच्छे कार्यों पर भी गौर करना होता है। इन बातों पर हमें संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिये।

मैं सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि नवयुवक अपने को निराश अनुभव करते हैं। यदि ज्येष्ठ और कनिष्ठ वैज्ञानिकों के बीच अधिक समन्वय और सहयोग हो तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। इस संबंध में अपेक्षित सहयोग नहीं है। मैंने स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न किया है। पहिले यह नियम था कि कनिष्ठ वैज्ञानिक विना ज्येष्ठ वैज्ञानिक की अनुमति के अपने निबन्ध इत्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते थे। हमने इस नियम को समाप्त कर दिया है। हमने यह विहित कर दिया है कि निदेशक तथा ज्येष्ठ वैज्ञानिक प्रत्येक विषय में कुछ प्रामाणिक पत्रिकाओं के नाम उल्लिखित कर सकते हैं। यदि कोई नवयुवक वैज्ञानिक इन प्रामाणिक पत्रिकाओं में—चाहे वह भारत से प्रकाशित हो या भारत के बाहर—कोई लेख स्वीकृत करवा सके तो इसके लिये सरकार या विभागीय उच्चाधिकारी से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिछात्रवृत्तियों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है। कनिष्ठ वैज्ञानिकों को २५०) रु० मासिक और ज्येष्ठ वैज्ञानिकों को ४०० रु० मासिक मिलता है। इन अधिछात्रवृत्तियों की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून् कबिर]

संख्या निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय चुनाव समिति (नेशनल सेलेक्शन कमेटी) को इस बात से संतुष्ट कर सकता है कि वह किसी महत्वपूर्ण विषय में खोज कर सकता है, उसे अधिछात्रवृत्ति मिल जाती है।

इस वर्ष से हमने अन्य साधन भी अपनाये हैं। यदि कोई नवयुवक या ज्येष्ठ वैज्ञानिक कोई विशिष्ट कार्य करता है तो चाहे उच्च पदालि में कोई पद हो या नहीं उसकी पदवृद्धि हो जायेगी। हमने अच्छे कार्य करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने की व्यवस्था की है। यदि सक्षम अधिकारी उस कार्य को अपेक्षित स्तर का अच्छा कार्य स्वीकार करेंगे तो तीन अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धियां प्राप्त हो सकती हैं।

एक विषय पर मैं बार-बार आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि हम इन वैज्ञानिकों के कार्यों का निर्णय नहीं कर सकते हैं। हम वैज्ञानिकों की योग्यता के संबंध में उनका अपना मत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अपने सहयोगियों से अधिक महत्व देता है। इसलिये यदि नवयुवक वैज्ञानिक अपने समकालीन व्यक्तियों की राय से उचित स्तर के ठहरते हैं तो उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें अवसर प्राप्त होते रहेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने पिछले १० वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान में करोड़ों रुपये व्यय किये हैं। देश में २५ राष्ट्रीय प्रयोगशालययें हैं जिनमें सबसे पुरानी केवल १५ वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक जगत में १५ वर्षों की अवधि में आप किसी बड़ी खोज की आशा नहीं कर सकते हैं। तथापि कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, कभी नये अथवा पुराने वैज्ञानिक आवेश में आकर ऐसे दावे करते हैं जो न्यायोचित नहीं ठहराये जा सकते हैं। कभी-कभी समय के पूर्व ही लोग श्रेय की प्राप्ति का दावा करने लगते हैं इससे और भी समस्यायें पैदा हो जाती हैं।

मैंने सोलर कुकर का कभी उल्लेख नहीं किया है। कुछ सदस्यों द्वारा इसका जिक्र किया गया इसके उत्तर में मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। मेरे विचार से हम इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं कि इसके संबंध में गर्व कर सकें। यह कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसका पता आज ही चला है। हजारों वर्ष पहिले आर्कमीडिस ने सौर शक्ति द्वारा यूनानी बेड़े में आग लगा दी थी। मुख्य समस्या उसका उपयोग करने की है। हमें आशा है कि हम इस कार्य में सफल होंगे। इस संबंध में भारत में जो कार्य किया गया है हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। इस समस्या को विश्व के बड़े राष्ट्र हल करने में लगे हैं। अमेरिका तथा रूस में यह कार्य किया जा रहा है। यद्यपि अभी हाल हमने पढ़ा है कि अमेरिका तथा रूस में इस संबंध में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है तथापि इस शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण के कोई समाचार नहीं मिले हैं। यदि इस शक्ति का समुचित उपयोग किया जा सके तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी।

श्री महन्ती ने भावनात्मक एकता का जिक्र किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के संबंध में जो कुछ कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। भारतीय संस्कृति विषद और जटिल है तथा वह विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के सम्मिलन का परिणाम है और यह विभिन्न

क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में प्रगट हुआ है तथापि सबके मूल में एकता अन्तर्हित है। यदि उन्होंने प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो वे निश्चय रूप से यह कहते कि हम इसी एकता को बनाये रखने की ओर प्रयास कर रहे हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में सारे विकास उसी दिशा में होने चाहिये तथा किसी एक क्षेत्र तथा भाषा तक ही सीमित नहीं रहने चाहिये। सबसे पहली बार हमने भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है .। तथा इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को सहायता दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में राज्य सरकार से परामर्श करें तो ज्ञात होगा कि राज्य सरकार उड़िया भाषा के विकास के लिये दी गई सहायता के संबंध में असंतुष्ट नहीं है। मेरे विचार से उड़ीसा की सरकार या वहां को अकादमो की कोई प्रार्थना अस्वीकार नहीं की गई है। हमने अपने संसाधनों को देखते हुए यथोचित सहायता देने का प्रयत्न किया है।

माननीय सदस्य ने बड़ी उदारता से यह स्वीकार किया है कि उड़ीसी नृत्य के लिये कुछ धनराशि दी गई है। संगीत नाटक अकादमी एक स्वायत्तशासी संस्था है मैं उसकी स्वायत्तता का आदर करना चाहूंगा। अकादमी ने उड़ीसी नृत्य के संबंध में यह जानने के लिये कि इसे शास्त्रीय नृत्य माना जाय या परम्परागत नृत्य, एक समिति नियुक्त की है। अभी उसने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

माननीय मित्र ने कुछ धोखेबाज संस्थाओं का भी जिक्र किया है। ऐसी संस्थायें समस्त विश्व में रहती हैं। झूठी या सच्ची दोनों तरह की संस्थायें होती हैं। अक्सर जो लोग उनका सूत्रपात करते हैं वे स्वयं ही नहीं जानते हैं कि वे सच्ची संस्थायें हैं या झूठी क्योंकि संस्कृति के क्षेत्र में आप कुछ समय गुजरने तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं नहीं जानते कि उनमें से किसका सांस्कृतिक जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा तथा कौन सी चीजें नष्ट हो जायेंगी। कला या साहित्य में जिस चीज की आज कद्र की जाती है उसे ही कल को ठुकरा दिया जाता है। इस संबंध में बड़े-बड़े व्यक्ति भी गलती कर जाते हैं। माननीय सदस्य जानते होंगे कि मिल्टन ने इस बात पर दुःख प्रकट किया था कि वह कावले की तरह की कवितायें नहीं लिख सकता है और वह स्वयं ऐसी कवितायें लिखना चाहता था। आज हम कावले को मिल्टन के कारण याद करते हैं। अतः हम अपने सीमित ज्ञान के आधार पर इस बात का प्रयास करते हैं कि इस बात का पता चल सके कि कौन संस्थायें झूठी हैं और कौन सच्ची और सच्ची संस्थाओं को यथाशक्ति सहायता दी जाती है।

अब मैं श्री कालिका सिंह के भाषण को लेता हूं उन्होंने अधिकांश वे बाते कहीं जिनका संबंध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से था। हमने पहिली राष्ट्रीय एटलस १९५७ में तैयार की। वह हिन्दी भाषा में थी। उसे विश्व के भूगोल तथा मानचित्र शास्त्रियों ने एक महान कार्य घोषित किया है। जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया उसे पिछले वर्ष भूगोल के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के सिलसिले में मर्किसन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हमने प्रामाणिक नेशनल एटलस का कार्य अपने हाथ में लिया है। यह कार्य एक वर्ष में पूरा नहीं हो सकता है। मैंने आस्ट्रेलियन राष्ट्रीय एटलस का प्रथम भाग देखा है, वे उस पर पिछले १० वर्ष से काम कर रहे हैं। हमें आशा है कि स्टेंडर्ड नेशनल एटलस आफ इंडिया तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक समाप्त हो जायेगी। यदि यह कार्य उक्त अवधि के भीतर समाप्त हो जायेगा तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। अतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर आरोप लगाना ठीक नहीं है क्योंकि वे कई प्रकार की कठिनाइयों के रहते हुए भी यह काम कर रहे हैं। यह कार्य राष्ट्रीय एटलस संगठन के द्वारा किया जा रहा है न कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा

[श्री हुमायून् कबिर]

है। जिस विशेष नकशे का उन्होंने जिक्र किया था वह वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। आशा है प्रधान मंत्री इस संबंध में प्रकाश डाल सकेंगे।

उन्होंने यह भी कहा है कि पुरातत्व विभाग ने पिछले दस या पन्द्रह वर्षों में केवल यह कार्य किया कि एक अधिनियम तथा कुछ नियम पारित कर दिये जो १५ मार्च १९५९ से लागू हुए। मैं माननीय मित्र से 'भारतीय पुरातत्व' का अध्ययन करने को कहूंगा। यह पत्रिका सामयिक रूप से प्रकाशित होती है और इसकी प्रसंशा भारत तथा विदेशों में हुई है। हमारा पुरातत्व विभाग विश्व के सर्वोत्तम विभागों में समझा जाता है। इस विपाग द्वारा पिछरे १४, १५ वर्षों में जो कार्य किय गया है उसने भारतीय इतिहास में एक नये अध्याय की सृष्टि की है तथा उसके कार्य को विश्व में सर्वत्र प्रसंशा प्राप्त हुई है।

हरप्पा संस्कृति के मूल्यांकन के संबंध में भी प्रश्न पूछा गया है। हम पिछले वर्ष तक यह नहीं जानते थे कि हड़प्पा संस्कृति गंगा के मैदानों तक फैली हुई है। मेरठ जिले के आलमगीर पुर में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस बात के संकेत मिले हैं कि वह उसके भी पूर्व में फैली हुई थी। हड़प्पा संस्कृति और आर्य संस्कृति के संबंध को स्थापना हो चुकी है। इस संबंध में अधिक सही कालक्रम के निर्धारण का प्रयत्न किया जा रहा है।

इन दोनों संस्कृतियों के पारस्परिक सम्पर्क के पहले संकेत रोपड़ में मिले हैं। लोथल के अवशेष चिन्हों से यह ज्ञात हुआ है कि मिस्र और हड़प्पा संस्कृतियों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क था। ३५०० वर्ष ईसा पूर्व पहिली बार भारत तथा मिस्री संस्कृतियों के बीच सम्पर्क ज्ञात हुआ है।

अब मैं विज्ञान मन्दिरों को लेता हूं। विज्ञान मन्दिर राज्य सरकारों की प्रार्थना पर विभिन्न राज्यों में खोले जाते हैं यदि उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में विज्ञान मन्दिर नहीं हैं तो इसका मुझे दुःख है। अतः इन्हें राज्य सरकार को अधिक विज्ञान मन्दिर खोलने पर राजी करना चाहिये। यह बात राज्यों की दिलचस्पी पर निर्भर करती है। इसलिये यदि पश्चिम बंगाल में विज्ञान मन्दिरों की संख्या अधिक है तो इसका कारण यही है कि पश्चिम बंगाल ने इस मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई है।

अब मैं इन्डियन इन्स्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी कानपुर के विषय को लेता हूं। श्री कालिका सिंह और जगदीश अवस्थी इस संस्था को तत्काल प्रारम्भ करना चाहते हैं। हम यह आश्वासन दे चुके हैं कि यह संस्था जुलाई-अगस्त १९६० के शैक्षणिक वर्ष से काम करना आरम्भ करेगी। यदि इस बीच श्री जगदीश अवस्थी के नेतृत्व में उसकी स्थिति तथा इमारतों इत्यादि के बारे में प्रश्न उठाये जायेंगे तो उनसे केवल विलम्ब ही होगा। हम यह संस्था हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट के किराये की इमारतों में चालू कर सकते हैं लेकिन इससे संस्था का विकास नहीं होने पायेगा क्योंकि हम १०० से अधिक विद्यार्थी नहीं ले पायेंगे। यदि माननीय सदस्य इस बात में सहयोग करें कि हमें भूमि मिल जाये और भवनों का निर्माण हो जाय तो हम तत्काल ३५० विद्यार्थी दाखिल कर सकेंगे। और माननीय सदस्य यह जानते हैं कि उचित प्रतिकर देकर भूमि को हस्तगत करना राज्य सरकार का कार्य है।

श्री कालिका सिंह ने साहित्यिक पेंशनों का प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि उपदान की राशि बढ़ा कर ५ करोड़ कर दी जाय। तथापि १ करोड़ की राशि भी इस कार्य के लिये दिया जाना संभव नहीं है। इसी वर्ष हमने इस राशि को डेढ़ लाख से बढ़ा कर २ लाख किया है। मेरे विचार से इस राशि को बढ़ा कर २० से २५ लाख करने में भी कुछ समय लगेगा।

श्री महन्ती ने कहा है कि हम संस्कृति के सम्बन्ध में भी नौकरशाही रवैया अपना रहे हैं। निस्संदेह संस्कृति और नौकरशाही रवैये का कोई मेल नहीं है। मेरे विचार से सरकार को अकादमियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैंने उड़ीसी नृत्य के सम्बन्ध में उनके भाषण का जिक्र किया था। मुझे पूर्ण आशा है कि इस सुन्दर भारतीय नृत्य का उत्तरोत्तर विकास होगा।

माननीय मित्र ने जलियान वाला बाग स्मारक संस्था और रामकृष्ण सांस्कृतिक संस्था को उपदान देने के सम्बन्ध में आपत्ति की है। भारतीय जनता ने जलियान वाला बाग में जो कष्ट और उत्पीड़न सहा उसे सभी भारतीय जानते हैं। यदि हम उसे सौन्दर्य स्थान में परिणत कर देंगे तो वह हमें सदैव हमारे अतीत के त्याग और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। हमने इस कार्य के लिये सब मिला कर केवल १० लाख रुपये दिये हैं जो मेरे विचार से बहुत अधिक राशि नहीं है। रामकृष्ण संस्कृति संस्था भारत तथा विदेशों में संस्कृति के प्रचार का कार्य कर रही है। माननीय सदस्य ने भावनात्मक एकता की बात कही है। हम यह राशि रामकृष्ण मिशन को नहीं दे रहेहैं अपितु रामकृष्ण सांस्कृतिक संस्था को दे रहे हैं। इस संस्था ने न केवल भारत की आध्यात्मिक एकता बनाये रखने का कार्य किया है अपितु भारत की प्राचीन संस्कृति के मानदण्ड को भी जीवित रखने में सहायता दी है। विश्व के विभिन्न देशों से जो नये मूल्यों का झंझावात उठा है, उससे यह भय है कि हम अपने प्राचीन मानदण्डों को भूल जायेंगे। अतः मेरा विश्वास है कि वे ऐसी संस्था को उपदान देने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

अब मैं अपने मित्र श्री राधे लाल व्यास के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक बात को छोड़कर मैं उनकी शेष बातों से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कालिदास अपने कृतित्व के आधार पर स्वयमेव संसार के महानतम कवियों में से एक है, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये किसी प्रामाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। गोयटे ने कहा था "मेरी रचनायें ही मेरा स्मारक हैं।" अतः कालिदास की रचनायें भी कालीदास की मूर्धन्यता की सिद्धि के लिये पर्याप्त हैं। परन्तु हम कार्यवाही कर रहे हैं कि कालिदास की रचनाओं का एक प्रामाणिक अंक निकले। एक खण्ड जो निकला है उसका जिक्र माननीय मित्र ने स्वयं ही कर दिया है। दूसरा भी निकलेगा।

एक बात के बारे में माननीय मित्र ने मुझे शायद गलत समझा है। मैंने यह बात कही थी कि यदि कोई राज्यीय संगठन अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन दे तो वह आवेदन राज्य सरकार के द्वारा आना चाहिये। अकादमी के सम्बन्ध में मैंने कोई आपत्ति नहीं की। आपत्ति केवल संगठन द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के बारे में थी। माननीय मित्र जानते हैं कि इस संगठन विशेष को हमने गतजवर्ष तथा उससे पहले के साल में समारोह मनाने के लिये आनुदानिक सहायता दी थी पर मैंने तो केवल यह सुझाव दिया है कि कालीदास की स्मृति के समारोह मनाने का सर्वोत्तम ढंग यही है कि वे उस प्रकार की एक अकादमी बनायें जिसका मैंने सुझाव दिया है।

टैगोर के सम्बन्ध में थोड़ा अन्तर यह है कि अगले वर्ष टैगोर की जन्म शताब्दी है। उसे हम विशेष प्रकार से मना सकते हैं। कालिदास सम्बन्धी उत्सव चाहे हम १९६१ में मनायें या बाद, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कालिदास की प्रतिष्ठा, उसकी महानता अक्षुण्ण है। भारतीयों के हृदयों में उसकी रचनाओं के प्रति जो श्रद्धा है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। कालिदास ने साहित्य द्वारा भारतीय जन जीवन में एकता स्थापित करने का जो प्रयास किया था उसका महत्व कभी भी कम न होगा। चलो शेष बातों को भी छोड़ो, भारत के संक्षिप्त दर्शन तो कालिदास ही की रचनाओं में प्राप्त होते हैं। मेघदूत का सन्देशवाहक मेघ सारे देश के विभिन्न क्षेत्रों पर से होकर उड़ा जा रहा है और वह जिस जिस क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है, कवि ने उस

[श्री हुमायून् कबिर]

क्षेत्र के धरातल, प्रसिद्ध नगरों तथा वहां के निवासियों की आदतों, उनकी प्रथाओं का भव्य काव्यात्मक वर्णन किया है। इस प्रसादगुणयुक्त महाकाव्य में सम्पूर्ण भारतीय आत्मा का दिग्दर्शन होता है। जिस महाकवि ने ऐसा महाकाव्य लिखा हो उसे किसी दृश्य स्मारक की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हम स्मारक भी बनवायेंगे। पर उस मामले का समय का महत्व गौण है।

शेक्सपीयर के बारे में कहा गया था "दूसरों के बारे में हम कुछ राय दे सकते हैं पर तेरी प्रतिभा इतनी महान है कि उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना हमारे वश की बात नहीं।" यही बात कालिदास के बारे में भी कही जा सकती है। शेक्सपीयर का भी कोई स्मारक नहीं है। स्थानीय लोगों ने एक शेक्सपीयर थियेटर की स्थापना अवश्य की हुई है। राज्य की ओर से वह थियेटर नहीं चल रहा है। शेक्सपीयर की याद में जो समारोह होता है वह भी उसके करोड़ों प्रशंसकों द्वारा ही आयोजित होता है।

माननीय मित्र ने प्रसिद्ध नगरों में संग्रहालय स्थापित करने के बारे में बड़ी रोचक बात कही। मैं इस पर विचार करूंगा यदि उन नगरों में संग्रहालय नहीं हैं तो वहां उन्हें बनाना लाभप्रद रहेगा। इलाहाबाद में तो एक संग्रहालय है उसका विकास किया जा सकता है।

माननीय श्री पट्टाभिरमन् ने राष्ट्रीय पुस्तक-सूची का जिक्र करते समय हिन्दुत्व तथा ब्राह्मण धर्म के बीच काल्पनिक असमानता की बात कही। हम ये वर्गीकरण नहीं करते वरन् यह काम पुस्तक-सूची विशेषज्ञ करते हैं। उन विशेषज्ञों ने शायद यह वर्ग इस आधार पर बनाये हों कि बुद्ध के समय से पूर्व धार्मिक तथा दार्शनिक समस्याओं के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण था। तत्पश्चात् बौद्ध धर्म का प्रचार समूचे देश में हुआ और फिर हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार हुआ। हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार के समय धर्मों में कुछ परिवर्तन हुए। इसी कारण बुद्ध पूर्व कृतियों अर्थात् उपनिषदों तथा बाद की कृतियों अर्थात् भागवत आदि पुराणों को इस प्रकार अलग से वर्गीकृत किया जाता है। हो सकता है कि यह बात इस आधार पर हो। खैर मैं माननीय सदस्य के विचार विशेषज्ञों तक पहुंचा दूंगा।

रामेश्वरम् मन्दिर के बारे में भी कई बातें कही गयीं। निस्संदेह यह मन्दिर प्राचीन है। इस मन्दिर में अब भी पूजा प्रतिष्ठा होती है और इसका एक न्यास भी है जिसके पास धनाभाव नहीं है तब भी हम मद्रास सरकार से इस विषय की बातचीत चला रहे हैं कि हम किस तरह से उसकी सहायता कर सकते हैं। हम सहायता करना चाहते हैं, पर यह सहायता किस प्रकार की होगी, यह बात तभी तै होगी जब मद्रास सरकार, मन्दिर के न्यास और पुरातत्व विभाग के बीच कोई फैसला हो जायगा।

माननीय घोषाल ने वृद्ध तथा युवक वैज्ञानिकों के संघर्ष तथा लालफीताशाही के बारे में रोष प्रकट किया। हम लालफीताशाही को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पर किसी न किसी सीमा तक वह रहेगी अवश्य। जहां कोई किसी के सामने उत्तरदायी न हो, वहां पर तो किसी की सलाह बिना भी निर्णय किया जा सकता है किन्तु लोकतंत्र में निर्णय करनेवालों को संसद के समक्ष जवाब देना होता है। इसलिये लोकतंत्र में रिकार्ड रखना पड़ता है। यहां मंत्री तथा अधिकारी दोनों बदलते रहते हैं। इसलिये यदि कोई नियमित रिकार्ड न हो तो बाद में ओहदा संभालने वाले लोगों को यह ही समझ में न आये कि अमुक निर्णय किस आधार पर किया गया था। इसलिये लोकतंत्रात्मक प्रणाली में थोड़ी बहुत लालफीताशाही अनिवार्य रहती है। हां, पर यह कम से कम होनी चाहिये इस बात से मैं सहमत हूं।

इसके बाद उन्होंने कहा कि आर्ट्स कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह ठीक है और बात आसानी से समझ आती है। जब प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में अधिकाधिक विद्यार्थी जाते हैं तो स्वाभाविक ही है कि कालेजों में भी विद्यार्थियों की संख्या अहर्निश बढ़े और निर्धन देशों में अधिकांश विद्यार्थी आर्ट्स की ओर ही अग्रसर हुआ करते हैं, विज्ञान की ओर कम। इंजीनियरिंग कालेज बनाने में ५० लाख रुपया खर्च आता है। पॉलीटेक्नीक की स्थापना करने में १७।१८ लाख रुपये की जरूरत होती है जब कि आर्ट्स कालेज १ लाख रुपये में तैयार हो जाता है। जनता की उच्च शिक्षा को पूरा करने के लये वज्ञानिक कालेजों का अभ्युदय एकदम से नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा टेक्नीकल संस्था में आप हर एक लड़के को स्थान भी नहीं दे सकते। मित्र महोदय ने बताया कि भारतीय टेक्नोलाजी संस्था में दाखिले के लिए ४,००० आवेदन आये हैं परन्तु केवल ८०० विद्यार्थियों को ही लिया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि वहां ८०० को भी दाखिल नहीं किया जाता केवल ३५० ही लिये जाते हैं, पर शायद मुझे ठीक से पता न हो। खैर, ४००० लड़कों को तो लिया ही नहीं जा सकता।

टेक्नालॉजीकल तथा इंजीनियरिंग शिक्षा में जो प्रसार हुआ है उसके सम्बन्ध में तो मैं बता ही चुका हूं। द्वितीय योजना की अवधि तक के लक्ष्य को हमने दुगुना कर दिया है। आरम्भिक लक्ष्य शायद ६००० के करीब था पहले डिग्री पाठ्यक्रम में हमने ११००० लड़के दाखिल किये हैं। पॉलिटेक्नीकों के बारे में १०,००० का लक्ष्य था पर १९५९ तक हमने २१,००० लड़कों को दाखिला दिया। प्रसार निश्चय ही हुआ है। पर हमें अति विस्तार से इन संस्थाओं को कमजोर नहीं बनाना चाहिये। हमारे यहां, अध्यापकों, सामग्री और साजसामान, सभी चीजों का अभाव है।

अब गवेषणा छात्रवृत्तियों की बात है। इनके सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है। जो कोई भी योग्य हो उसे वृत्ति मिल सकती है।

मुझे पता है कि मित्र श्री बनर्जी भारत के सर्वेक्षण में अत्यधिक रुचि रखते हैं और वे उस विभाग के श्रम संगठन को मान्यता न मिलने के कारण भी चिंतित हैं। वे उसका कारण भी जानते हैं। वस्तुत वह संघ अभी न्यूनतम शर्तों को भी पूरा नहीं करता है। शायद उसकी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि वे उस संघ से अपने को अलग कर लें क्योंकि जैसा कि वे स्वयं मानते हैं यही एक बड़ी रुकावट भी है। उन्होंने कहा भी है कि संघ को मान्यता मिलने पर वे उससे त्यागपत्र दे देंगे। वे उस विनियम को जानते हैं कि जब तक वे उस संघ के प्रधान हैं तब तक उसे मान्यता नहीं मिल सकती। उन्हें इसीलिए अन्य शर्तें नहीं रखनी चाहिए। यदि वे संघ से अलग हो जांयें तो दूसरी बात भी धीरे-धीरे हो जायगी।

मैंने यही बात श्री बनर्जी को भी लिखी है। मैं आदर सहित यह बात कहना चाहता हूं कि इस शर्त को टालना मेरे वश की बात नहीं।

माननीय मित्र ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की विभागीय छट्टियों की बात भी उठाई। वे जानते हैं कि इन कर्मचारियों को विभागीय अवकाश दिया जाता है। यदि ऐसा न हो तो उन्हें सेवानिवृत्त किया जा सकता है अथवा काम के आधार पर रखा जा सकता है। सर्वेक्षण सम्बन्धी काम सालभर में ४/५ महीने तक का ही होता है। कुछ समय यह नहीं किया जाता। इसलिए हमारे सामने यही बातें थी कि उन्हें रखा जाय पर छुट्टियां दे दी जायें और उन छट्टियों की अवधि को पेंशन तथा पुनः रखने के लिए शुमार में लिया जाय। यदि उन्हें काम के आधार पर रखा जाय तो उन्हें विद्यमान लाभ लेने का हक नहीं होगा।

[श्री हुमायून् कबिर]

अब यह स्थिति है और इसमें परिवर्तन करना कठिन है। यदि हालत बदल जाय और यह संभव हो जाय कि उन्हें सारा साल नौकरी में रखा जा सकता है तो हम निश्चय ही विचार करेंगे। परन्तु उस समय तक यदि हम उन्हें लगायें रखें तो शायद माननीय सदस्य स्वयं आपत्ति करें कि हम जनता का रुपया नष्ट कर रहे हैं। तब तो संसद में इसी आशय के प्रश्न भी पूछे जायेंगे।

इसके पश्चात् राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा परियोजनाओं के टेंडरों का प्रश्न उठा है। शायद मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें कुछ शिकायतें मिली थीं। यदि उन शिकायतों में सचाई हुई तो हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे। किन्तु यह बात मैं जरूर कहूंगा कि हर वह बात जो कह दी जाती है आवश्यक नहीं कि सच्ची ही हो। मेरा यह आशय नहीं कि लोग माननीय सदस्यों के पास सद्भावनारहित होकर शिकायतें लाते है। पर हर आदमी हर चीज को अपने दृष्टिकोण से ही देखता है। ऐसी बातें इसी कारण एक तरफा होती हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है। माननीय सदस्यों ने शिकायतें कीं और हमने जांच की और तब जबकि सारी बात हमारे सामने आई माननीय सदस्यों ने भी यह बात स्वीकार किया कि उन्हें एकतरफा बात ही बताई गयी है। हर मामले में वे मुझसे सहमत नहीं हुए पर उन्होंने मेरी बात मानी। इससे ज्यादा दावा मैं नहीं करता।

जीवरसायन तथा प्रयोगात्मक औषधि की भारतीय संस्था के सम्बन्ध में भी जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, मेरा यही उत्तर है। कुछ शिकायतों की जांच मैंने खुद की है और मैं समझता हूं कि उनमें से अधिकांश व्यक्तिगत वैमनस्य था गलतफहमी के कारण की की गयी है। उस संस्था के निदेशक बड़े सुन्दर ढंग से काम कर रहे हैं।

श्री तंगामणि ने भी कुछ बातें कहीं हैं। उन्होंने अकादमियों के बारे में कहा और उस सम्बन्ध में, मैं काफी कुछ कह चुका हूं। उन्होंने पूछा कि इनामी किताबों का चुनाव कैसे किया जाता है। उन्हें तनिक घबराहट हुई कि राजाजी की एक पुस्तक इनाम के लिए कैसे चुनी गयी। सारे सभासद जान सकते हैं कि राजाजी को राजनैतिक कारणों से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। पर उनकी पुस्तक पर तमिल भाषा के सुयोग्य आलोचकों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि तमिल भाषा की वह एक अन्यतम पुस्तक है। हमें पता चला है कि एक वर्ष में उसकी १ लाख प्रतियां बिकी हैं। उनका गद्य अत्यन्त मौलिक है। माननीय मित्र ने यह भी कहा कि क्या अनुवाद मौलिक हो सकता है। उन्हें चाहिए कि इस प्रश्न पर वे स्वयं विचार करें। क्या कुछ अनुवाद मौलिकता के रंग लिए नहीं हैं? तुलसीदास हिंदी के महानतम कवि हैं--पर उसका कारण क्या है? उसी तरह से राजाजी ने भी शाब्दिक नहीं किया। उन्होंने घटना को मौलिकता के सांचे में ढाला है। वे स्वयं इसे एक निर्वचन कहते हैं। जब तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि हो सकते हैं तो राजाजी भी तमिल भाषा के ऊंचे लेखक हो सकते हैं, भले ही उनकी कृति वाल्मीकि रामायण पर ही क्यों न आधारित हो।

इसके पश्चात् एक माननीय मित्र ने अलिफ लैला (हजार रातों की दास्तां) के अनुवाद का भी सवाल उठाया। मैं इन मित्र की साहित्यिकता के बारे में नहीं जानता हूं। मैं तमिल नहीं जानता हूं। हमारे सामने जब कोई तमिल की पुस्तक आती है तब हम इसे तमिल सलाहकार समिति के समक्ष रख देते हैं। यदि समिति किताब को अच्छा बताती है तो हम उसे अच्छा मान लेते हैं। इस मामले में हमारी अपनी राय महत्व नहीं रखती। इस कारण यदि सलाहकार समिति ने इस अनुवाद को स्वीकार नहीं किया तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।

एक मित्र ने डा० आल्तेकर की योजना के लिए ५० लाख रुपये की बात कही। पुरातत्व विभाग को किसी भी एक योजना के लिए इतनी रकम मिलनी संभव नहीं है। जहां तक खुदाई का सम्बन्ध है, हड़प्पा की सभ्यता के निर्धारण का मुख्य काम समाप्त हो चुका है। अब तो मूल्यांकन की बात रही है। उसके पश्चात् उसका निर्वचन होगा और आखिर में उस सभ्यता तथा प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बीच के सामंजस्य का अध्ययन होगा। जब ये दौर खत्म हो जायेंगें तब सभा के सामने सारी बातें रख दी जायेंगी।

एक मित्र ने कहा कि पुरातत्व विभाग के प्रकाशन आद्यतन नहीं होते। न जाने यह खबर उन्हें किस से मिली। मेरे पास पुरातत्व विभाग की १९५८–५९ की रिपोर्ट है। हमने गतवर्ष सितम्बर–अक्तूबर में भुवनेश्वर में इस पर विचार किया था। जब १९५८–५९ की रिपोर्ट गत सितम्बर में प्राप्य थी तब यह कैसे कहा जा सकता है कि हम पीछे हैं। वस्तुतः प्रकाशनों को आद्यतन बनाने के उपलक्ष में ही तो पुरातत्व संबंधी सलाहकार बोर्ड ने इस विभाग के कार्य की प्रशंसा की है और उसे बधाई दी है।

आखिर बात हैं इण्डिया आफिस लाइब्रेरी की। हम सब चाहते है कि यह झगड़ा शीघ्रातिशीघ्र निपट जाय। १९५५ में मंत्री स्तर पर भी वार्तालाप हुआ था। जब इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री श्री मैक्मिलन भारत आये थे उनसे भी इस विषय पर प्रश्न पूछे गये थे। हम तो इस बात पर डटे हुए हैं पर इंग्लैंड की सरकार कोई उत्तर ही नहीं देती। यदि उनका वैध हक होता तो अब तक वे कह चुके होते कि यह चीजें हमारी हैं और यह हमारी दलीलें हैं अपने दावे के पक्ष में। उनके पास कोई जवाब नहीं है इस कारण वे जबाब नहीं दे रहे और फिर चीज उनके कब्जे में हैं वे उसे दबाये बैठे है।

गतवर्ष से लेकर अब तक एक खास बात हो गयी है। पहले तो अंग्रेज यह कहा करते थे कि क्या भारत और पाकिस्तान इस विषय में समझौता कर चुके हैं? अब तो पाकिस्तान के साथ समझौता हो चुका है। पाकिस्तान तथा भारत दोनों ने समान पत्र लिखे हैं। उनके भेजने की ठीक तारीख का मुझे पता नहीं है। शायद यह १९५९ के सितम्बर या अक्तूबर में भेजा गया हो। यह उस समय भेजा गया था कि जब कि ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे। उन्होंने जवाब में देर की और हम मतलब समझते थे। चुनाव के समय कोई भी सरकार ऐसी वाक्बद्धता नहीं करती जिसका असर व्यापक हो। अब हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। अब भारत तथा पाकिस्तान मिलकर पुस्तकों की वापसी की मांग कर रहे हैं।

मैंने कहा है कि ब्रिटिश सरकार के पास कोई न्यायोचित उत्तर भी नहीं है। यदि होता तो वह जरूर कोई बात करते। अब हम मिलकर तो और भी प्रभावपूर्ण ढंग से वापसी की मांग कर सकेंगे।

यह मामला ही ऐसा है जिसके बारे में हम केवल बातचीत ही कर सकते हैं। सांस्कृतिक मामलों में और कार्यवाही नहीं की जा सकती। वार्तालाप भी शिष्ट ढंग का ही होना चाहिए। दूसरा कोई तरीका नहीं है। यदि हमारे विद्यमान तरीके सफल न हो सके तो हम सोचेंगे कि दूसरे किन शिष्ट तरीकों का उपयोग हम कर सकते हैं जिससे कि पुस्तकालय की किताबें हमें वापस मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७३	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय	३०,९४,०००
७४	पुरातत्व	१,११,८८,०००
७५	भारत का सर्वेक्षण	१,८२,५७,०००
७६	वानस्पतिक सर्वेक्षण	१५,८३,०००
७७	प्राणिकीय सर्वेक्षण	११,५४,०००
७८	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य	१५,६३,८७,०००
७९	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन विधि विभाग और व्यय	३७,४८,०००
१२८	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,७५,६१,०००

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, ३० मार्च, १९६०/१० चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[सोमवार, २८ मार्च, १९६०
८ चैत्र, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३८७३—९९
तारांकित प्रश्न संख्या		
११२०	पंजाब के लिये अमरीकन मक्का के बीज	३८७३—७६
११२१	अगम्य क्षेत्र समिति	३८७७—७८
११२२	बर्ड एण्ड कम्पनी. .	३८७८—८०
११२३	डाक तथा तार विभाग में विशेष पुलिस संस्थापन	३८८१
११२९	टेलीग्राफ़ के तारों की चोरी . .	३८८१—८३
११२६	हरिनघाटा की पश्चिम बंगाल नदी विज्ञान संस्था . .	३८८३—८४
११३२	रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त-पद	३८८४—८७
११३४	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७.	३८८७—८८
११३७	दिल्ली में आंधी .	३८८८—८९
११३८	गन्ने का मूल्य . .	३८८९—९२
११३९	दवाओं की किस्म .	३८९२—९४
११४०	दिल्ली में बाढ़-उपकर . .	३८९४
११४२	मुरादाबाद–दिल्ली पैसेंजर गाड़ी में डाका	३८९४–९५
११४३	ढले लोहे के स्लीपर . .	३८९६–९७
११४५	दिल्ली के इर्विन अस्पताल में कैंसर का उपचार	३८९७–९८
११४६	रेलवे में भर्ती में विलम्ब .	३८९८–९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	३८९९—३९२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
११२४	विश्व कृषि प्रदर्शनी .	३८९९
११२५	सेक्लोपान के इंजेक्शन के कारण मृत्यु	३९००

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
११२७	दिल्ली-अलीगढ़ लाइन के रेल के फाटकों पर ट्रकों और लारियों का लूटा जाना	३९००
११२८	रेलवे के लिये कंक्रीट के स्लीपर .	३९००–०१
११३०	चम्बल परियोजना .	३९०१
११३१	दिल्ली में पीने के पानी का संभरण	३९०१
११३३	डकोटा और ग्लाइडर की टक्कर	३९०१–०२
११३५	रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर	३९०२
११३६	पानी की दरें . .	३९०२
११४१	आन्ध्र प्रदेश में पुल .	३९०३
११४४	कलकत्ते को अनाजों का संभरण	३९०३
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१४८६	नया रेलवे ज़ोन . .	३९०४
१४८७	आटा आदि की वार्षिक खपत	३९०४
१४८८	पान . .	३९०४–०५
१४८९	सोन बांध योजना . .	३९०५
१४९०	उत्तर रेलवे पर स्टेशनों की नई इमारतें .	३९०५
१४९१	शकूर बस्ती पर ऊपरी पुल .	३९०५ -०६
१४९२	सिंचाई विकास अर्थोपाय निधि	३९०६
१४९३	अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति .	३९०६–०७
१४९४	हुगली के पश्चिमी तट पर पत्तन	३९०७
१४९५	खाद्यान्नों का क्रमस्थापन . .	३९०७
१४९६	कलकत्ता में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के लिये इमारत .	३९०७
१४९७	सांकराइल और अन्दुल (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच सड़क का पुल . . .	३९०८
१४९८	पूना में अनुसन्धान केन्द्र के लिये ब्रिटेन से उपकरणों की भेंट .	३९०८
१४९९	सिद्धपुर स्टेशन पर ऊपरी पुल	३९०८–०९
१५००	महबूबाबाद स्टेशन पर ऊपरी पुल	३९०९
१५०१	वारंगल में निचला पुल .	३९०९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५०२	दाराकल स्टेशन .	३९०९
१५०३	हिमाचल प्रदेश में बीज के फार्म	३९१०
१५०४	हिमाचल प्रदेश में पशुधन	३९१०-११
१५०५	बम्बई राज्य में भूमिविहीन कृषि श्रमिक . .	३९११
१५०६	आसाम के लिये उर्वरक	३९११-१२
१५०७	बीजों का दिया जाना	३९१२
१५०८	हिमाचल प्रदेश में ट्राउट का विकास .	३९१२-१३
१५०९	हिमाचल प्रदेश में पंचायतें .	३९१३
१५१०	अगरतला में सड़क की धूल .	३९१३
१५११	रेलवे बुक स्टाल .	३९१४
१५१२	डाकघर	३९१४
१५१३	राष्ट्रीय बचत योजना .	३९१४
१५१४	रेलवे परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ	३९१४-१५
१५१५	खुरमाबाद रोड स्टेशन के समीप गाड़ी का पटरी से उतर जाना	३९१५
१५१६	अन्दमान का वन विभाग . .	३९१५-१६
१५१७	अन्दमान के वन	३९१६
१५१८	रेलवे पुल, माल्दा	३९१६-१७
१५१९	ठेकेदारों को बिलों का भुगतान . .	३९१७
१५२०	दिल्ली में अनधिकृत रूप से भूमि को कृषि योग्य बनाना	३९१७
१५२१	चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने के श्रमिकों के लिये क्वार्टर .	३९१७-१८
१५२२	नलकूप	३९१८-१९
१५२३	रेलवे संहिताओं का हिन्दी—अनुवाद	३९१९-२०
१५२४	प्रविधिक रेलवे शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची शब्द .	३९२०
१५२५	पत्तन तथा पोत सांख्यिकी समिति	३९२०
१५२६	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	३९२१
१५२७	टिड्डी निरोधक विभाग	३९२१-२२
१५२८	धान उगाने की चीनी पद्धति	३९२२-२३
१५२९	ऐटिमागा में प्रकाशस्तम्भ	३९२३
१५३०	त्रिपुरा में सामुदायिक विकास कार्य . .	३९२३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५३१	मशोबरा (हिमाचल प्रदेश) में ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं के लिये स्थान .	३९२४
१५३२	खाद्य परिक्षण उद्योग .	३९२४
१५३३	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजपथ	३९२४-२५
१५३४	हिमाचल प्रदेश में मुख्य गांवों सम्बन्धी योजनायें .	३९२५
१५३५	टेलीप्रिन्टरों का निर्माण .	३९२५
१५३६	आयात किये गये लकड़ी के स्लीपर . .	३९२५-२६
१५३७	हिमाचल प्रदेश में मोटर-गाड़ियों में चलते-फिरते चिकित्सालय .	३९२६
१५३८	हिमाचल प्रदेश में हस्पताल .	३९२६-२७
१५३९	हिमाचल प्रदेश में नर्सों और दाइयों का प्रशिक्षण	३९२७
१५४०	हिमाचल प्रदेश में डाक्टर . . .	३९२७-२८
१५४१	जोरबाग टेलीफ़ोन एक्सचेंज, नई दिल्ली	३९२८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .		३९२९-३०

(१) दामोदर घाटी निगम अधिनियम १९४८ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति ।

(२) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ जनवरी, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३२ (५०) ५८–एम० एण्ड पी० एच० की एक प्रति ।

(३) मद्रास पत्तन-न्यास अधिनियम, १९०५ की धारा ८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २० फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४३२ की एक प्रति ।

(४) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प उद्योगों की प्रगति के मल्यांकन के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन ।

विषय पृष्ठ

(दो) रेशम कीट पालन उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल की मूल्यांकन प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन---उपस्थापित ३९३०

उन्नासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन---उपस्थापित ३९३०

पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन---उपस्थापित ३९३१

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने विधि व्यवसायी विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

समिति के लिये निर्वाचन ३९३१

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए लोक सभा के सदस्यों में से सदस्यों का चुनाव किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरस्थापित ३९३१-३२

(१) बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०

(२) धार्मिक न्यास विधेयक, १९६०

संकल्प---स्वीकृत ३९३२-४१

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने दक्षिण अफ्रिका के शार्पविल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। कुछ चर्चा के पश्चात् संकल्प स्वीकृत हुआ और दुर्घटना के सम्बन्ध में दुःख प्रकट करने के लिए सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे ।

अनुदानों की मांगें ३९४१-८६

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ हुई और समाप्त हुई । मागें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

बुधवार, ३० मार्च १९६०/१० चैत्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।